त्रयोदश माला, खंड 1, अंक 6

बुधवार, 27 अक्तूबर, 1999
5 कार्तिक, 1921 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 3 60
Date 27-6-2000

(खण्ड 1 में अंक 1 से 8 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड–1 पहला सत्र 1999/1921 (शक)

अंक 6, बुधवार, 27 अक्तूबर, 1999/5 कार्तिक, 1921 (शक)

विषय	*कॉलम*
निधन सम्बधी उल्लेख	1-2
सभा पटल पर रखे गये पत्र ...	6-12
संसदीय समितियां – कार्य का सारांश...	13
उपाध्यक्ष का निर्वाचन	13-16
उपाध्यक्ष को बधाइयां	16-26
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	16-17
श्रीमती सोनिया गांधी	17
श्री सोमनाथ चटर्जी	17-18
श्री चन्द्र शेखर	18
श्री मुलायम सिंह यादव	18-19
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	19
श्री इन्द्रजीत गुप्त	19
कुमारी मायावती ...	19-20
श्री पी.एच. पांडियन	20-21
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	21-22
श्री अमर राय प्रधान	22
श्री जी.एम. बनातवाला	22-23
अध्यक्ष महोदय	23
श्री पी. एम. सईद	23-25
पोप जॉन पॉल द्वितीय की भारत यात्रा के बारे में ...	26-42
नियम 377 के अधीन मामले	42-47
(एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को यथाशीघ्र नियमित किए जाने की आवश्यकता	
श्री लाल बिहारी तिवारी ...	42

विषय		कॉलम
(दो)	मध्य प्रदेश के मुरैना–श्योपुर जिलों में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अशोक अर्गल	42
(तीन)	उत्तर प्रदेश में बहराइच जनपद के गन्ना किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री पद्मसेन चौधरी...	42
(चार)	उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के गन्ना किसानों के देय का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ...	43
(पांच)	देश में विशेष रूप से बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का उचित रख–रखाव करने के लिये उपाय किये जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती श्यामा सिंह...	43-44
(छह)	केरल विशेष रूप से पालघाट जिले को फसल बीमा योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन. एन. कृष्णदास ...	44-45
(सात)	उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर को देश के प्रमुख शहरों से रेलगाड़ी से जोड़ने और वहां कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	डा. बलिराम	45
(आठ)	तमिलनाडु में अर्कोनम और कठपाड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच शटल सेवा आरंभ करने और कठपाड़ी तथा विलीपुरम के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
	डा. एस. जगतरक्षकन ...	45-46
(नौ)	तमिलनाडु में रासीपुरम संसदीय क्षेत्र के लिए व्यापक पेयजल योजना के लिए पर्याप्त धन मंजूर किये जाने की आवश्यकता	
	डा. वी. सरोजा ...	46
(दस)	बिहार में नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विशेष सहायता पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम प्रसाद सिंह	46-47

विषय *कॉलम*

(ग्यारह) सीमेंट, खाद्यान्नों, चीनी और यूरिया की पैकिंग में पटसन की बोरियों के अनिवार्य उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत जारी आदेश की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 47

(बारह) शोरनूर से मंगलौर और शोरनूर से कालीकट तक रेल लाइन का शीघ्र दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन ... 47

मंत्री द्वारा वक्तव्य

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रत्यर्पण संधि सहित तीन समझौतों पर हस्ताक्षर

श्री जसवन्त सिंह 74-75

संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 334 का संशोधन) 51-54, 54-160

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री राम जेठमलानी 51-54, 121-126

सरदार बूटा सिंह 54-62

डा. (श्रीमती) सुगुणा कुमारी ... 63-65

श्रीमती संध्या बौरी 65-68

श्री खारबेल स्वाईं 68-74

कुमारी मायावती 75-79

श्री राम सागर रावत 79-81

श्री नवल किशोर राय ... 81-82

श्री कोडीकुनील सुरेश ... 82-83

डा. वी. सरोजा 83-86

श्री मोहन रावले 86-89

श्री राम नायडू दग्गुबाटि 90

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 90-93

श्रीमती गीता मुखर्जी 93-94

श्री पुन्नू लाल मोहले ... 94-96

श्री पी. आर. किन्डिया 96-98

श्री रामदास आठवले 99-101

विषय	*कॉलम*
श्री रतन लाल कटारिया	101-103
श्री बाजू बन रियान	103-105
श्री आदि शंकर	105-106
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	106-114
श्री आनन्द मोहन विश्वास	114-118
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर	118-120
खंड 2 और 1	127-168
पारित करने के लिए प्रस्ताव ...	169-184

लोक सभा

बुधवार, 27 अक्तूबर, 1999/5 कार्तिक, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे दो भूतपूर्व सहयोगियों, सर्वश्री के. एन. प्रधान और वामनराव महादिक के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री के. एन. प्रधान ने 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा में मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले श्री प्रधान 1967 से 1972 तक और 1980 से 1985 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1969 से 1972 तक मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। वह मध्य प्रदेश विधान सभा की आश्वासन संबंधी समिति के सभापति और अन्य अनेक समितियों के सदस्य भी रहे।

श्री प्रधान एक विद्वान व्यक्ति थे और उनकी पत्रकारिता में गहरी रुचि थी। वह 1950–53 के दौरान हिन्दी और उर्दू के एक साप्ताहिक 'नया साथी' के सम्पादक रहे। वह एक उर्दू दैनिक 'नदीम' एक अंग्रेजी दैनिक 'हितवदा' और हिन्दी दैनिक 'नवप्रभात', 'नवभारत' और 'भास्कर' के सम्पादक मंडल में भी रहे।

श्री प्रधान सभा की कार्यवाहियों में गहरी रुचि लेते थे। वह आठवीं लोक सभा के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचति जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य भी रहे।

वह एक सुविख्यात सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता तथा एक जाने–माने और सक्रिय श्रमिक संघ नेता थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों तथा नौकरी–पेशा वर्गों के कल्याण तथा उत्थान के लिए अथक कार्य किया। वह सहकारिता आन्दोलन से भी जुड़े रहे।

श्री प्रधान का 17 जुलाई 1999 को 67 वर्ष की आयु में भोपाल में निधन हो गया।

श्री वामनराव महादिक नौवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1989 से 1991 तक महाराष्ट्र के मुम्बई दक्षिण–मध्य संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले वह 1969–70 के दौरान महाराष्ट्र विधान सभा के और 1980 से 1986 तक महाराष्ट्र विधान परिषद् के सदस्य रहे।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्री महादिक ने सोलह वर्ष तक मुम्बई नगर परिषद् के सदस्य के रूप में मुम्बई शहर की सेवा की और 1978 के दौरान वह इस परिषद् के मेयर रहे।

श्री महादिक 1981–85 के दौरान महाराष्ट्र विधान सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति और रोजगार गारंटी योजना समिति के सदस्य रहे। वह एक सुयोग्य संसदविज्ञ थे और 1990 के दौरान वह केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रहे।

वह एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने मराठी में अनेक लेख लिखे।

श्री वामनराव महादिक का 12 अक्टूबर, 1999 को 74 वर्ष की आयु में मुम्बई में निधन हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रधान मंत्री जी से श्री राजीव गांधी के नाम को हटाने के लिए वक्तव्य की मांग की थी....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

....*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, हमने एक वक्तव्य की मांग की थी। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज, उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। हम कार्यवाही को दूरदर्शन पर दिखा रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : वह संसद सदस्य भी नहीं हैं।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे 12 बजे के बाद जारी रखा जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा का समय नष्ट न करें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, कृपया समझिए कि आज उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना है।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? आप हमेशा ऐसा करते हैं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिन्धिया, आज उपाध्यक्ष का निर्वाचन है। व्यवधान डालना ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, इस पर पूरी बहस हो सकती है, ये डिस्कशन की मांग कर रहे हैं, आप डिस्कशन की मांग मान लीजिए....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा का समय व्यर्थ न करें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सिन्धिया, आपने यह मुद्दा कल उठाया था। माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही उत्तर दे दिया है। आप यह मुद्दा फिर उठा रहे हैं। क्या सभा की यही कार्य प्रक्रिया है?

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, कल जब जीरो ऑवर में चार्जशीट का मामला उठा था तो सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि अगर सदन इस मामले पर पूरी बहस चाहता है तो सरकार उसके लिए तैयार है। कल जीरो ऑवर में मामला उठा था, मैं सदन में नहीं था, जिन मंत्री को मैंने यह कार्यभार सौंपा था, उन्होंने उत्तर दिया। अब यह प्रश्न उठाना कि वह सदन के सदस्य नहीं हैं....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, जब प्रधान मंत्री जी बोल रहे हैं तो आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं?

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, आप प्रधान मंत्री जी के उत्तर में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब प्रधान मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो उनके जवाब के बीच बाधा डालना उचित नहीं है।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको कार्य संचालक प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशीजी, प्रधान मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं, आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं?

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)* *

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंधिया जी, आपका ऐसा करना ठीक नहीं है।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : आपने जो कुछ कहा उसको मैं विनम्रता से ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, मैं आपसे बैठ जाने का अनुरोध कर रहा हूं।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि पहले मुझसे कहा जाता है कि मैं वक्तव्य दूं और जब मैं वक्तव्य देता हूं तो मुझे रोका जाता है....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अय्यर जी, यह क्या हो रहा है?

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यहां ऐसे भी प्रधान मंत्री रह चुके हैं, जो किसी सदन के सदस्य नहीं थे।....*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप बैठिए। यह ठीक नहीं है।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और कल चर्चा के लिए एक नोटिस भी दिया गया था। फिर उसे वापस क्यों लिया गया? ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी को अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : चूंकि उन्होंने एक विशेष प्रश्न पूछा है। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर नोटिस देने के बाद चर्चा मांगी जाए और आप यदि चर्चा स्वीकृत करें, तो हम विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। महोदय, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी अनुमति बाद में दूंगा।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं :

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(1) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, अनुगामी संवर्ग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 जो 29 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 467 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, (शिक्षा, विकास और पुनर्वास) संवर्ग भर्ती नियम, 1999 जो 29 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 468 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, 'पाइनियर केडर' (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 जो 29 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 469 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, 'टेलर केडर' भर्ती नियम, 1999 जो 29 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 470 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, 'गारडनर केडर' (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 जो 29 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 471 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, 'वेटीरिनरी केडर' (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 जो 29 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 472 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, प्रकाशन और मुद्रण संवर्ग भर्ती नियम, 1999 जो 29 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 473 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन संवर्ग (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1999 जो 29 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 474 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोची संवर्ग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 जो 29 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचमा संख्या सा.का.नि. 475 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक कमाडेंट (शिक्षा, विकास और पुनर्वास) भर्ती नियम, 1999 जो 27 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 550 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु चिकित्सा संवर्ग (समूह 'क') भर्ती नियम, 1999 जो 27 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 552 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार संवर्ग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 जो 27 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग संवर्ग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 जो 27 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 554 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, युद्धक अनुसचिवीय संवर्ग (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1999 जो 2 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 573 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) और उपनिरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 1999 जो 31 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 613 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोटर परिवहन और मोटर मैकेनिक संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 जो 31 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 614 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार संवर्ग (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 1999 जो 9 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 629 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, न्यायाधीश महान्यायवादी (अपर उप महानिरीक्षक), अपर न्यायाधीश महान्यायवादी (कमाडेंट), उपन्यायाधीश महान्यायवादी (उपकमाडेंट) और न्यायाधीश न्यायवादी (सहायक कमांडेंट) भर्ती और सेवा शर्तें नियम, 1999 जो 15 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 636 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, आर्मरर केडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 जो 27 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 551 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, आर्मरर केडर (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 1999 जो 9 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 628 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 12/99]

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सीमा सुरक्षा बल, इंजिनियरिंग संगठन (समूह 'ग' युद्धक, तकनीकी स्टाफ) भर्ती नियम, 1999 जो 17 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 217 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल, महानिदेशालय, एयर विंग आफिसर्स (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1999 जो 18 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 294 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, संचार (अराजपत्रित) संवर्ग भर्ती नियम, 1999 जो 22 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 147 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा सुरक्षा बल (मुद्रणालय, समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1999 जो 5 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 165 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा सुरक्षा बल, मुख्य विधि अधिकारी और विधि अधिकारी भर्ती और सेवा शर्तें नियम, 1999 जो 13 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 260 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सीमा सुरक्षा बल, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) युद्धक (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 जो 17 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 216 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सीमा सुरक्षा बल (ड्राफ्ट्समैन और आर्कीटेक्चरल असिस्टेंट) भर्ती (संशोधन) नियम, 1999 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 195 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सीमा सुरक्षा बल, निरीक्षक (लाइब्रेरियन) (युद्धक अराजपत्रित समूह 'ख') भर्ती नियम, 1999 जो 24 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 226 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सीमा पुलिस बल, उप–निरीक्षक (प्रूफ रीडर युद्धक पद) भर्ती नियम, 1999 जो 21 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 263 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 13/99]

(3) राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 139 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सुरक्षक (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1999 जो 1 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 130 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 14/99]

(4) उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उपराष्ट्रपति पेंशन, आवास और अन्य सुविधायें नियम नियम, 1999 जो 30 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 228 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 15/99]

(5) असम राइफल्स अधिनियम, 1941 की धारा 12 की उपधारा (2) के अंतर्गत असम राइफल्स (संशोधन) नियम, 1999 जो 10 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 105 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 16/99]

धारा 52 के संबंध में प्रतिवेदन—संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 इत्यादि

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) धारा 52 के संबंध में एक सौ सतावनवां प्रतिवेदन– संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 और उनमें संशोधन – अप्रैल, 1998।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 17/99]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम 1951 में संशोधन के संबंध में एक सौ अठावनवां प्रतिवेदन–जून, 1998।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 18/99]

(3) विधि के निरसन और संशोधन के संबंध में एक सौ उनसठवां प्रतिवेदन–भाग एक–1998।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 19/99]

(4) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम 52) में संशोधन के संबंध में एक सौ साठवां प्रतिवेदन–1998।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 20/99]

(5) केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संबद्ध निकायों के संबंध में एक सौ इकसठवां प्रतिवेदन–1998।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 21/99]

(6) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण– (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण) अपील अधिकरण और आयकर–अपील अधिकरण के कार्य की समीक्षा के संबंध में एक सौ बासठवां प्रतिवेदन–1998।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 22/99]

(7) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1987 के संबंध में एक सौ तिरसठवां प्रतिवेदन–नवंबर, 1998

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 23/99]

(8) भारतीय विवाह–विच्छेद अधिनियम 1869 (1869 का चार) के संबंध में एक सौ चौसठवां प्रतिवेदन–नवंबर 1998।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 24/99]

(9) बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में एक सौ पैसठवां प्रतिवेदन–नवंबर 1998

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 25/99]

(10) भ्रष्ट लोक सेवक (सम्पत्ति का समपहरण) विधेयक के संबंध में एक सौ छियासठवां प्रतिवेदन–फरवरी, 1999

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 26/99]

(11) पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1998 के संबंध में एक सौ सड़सठवां प्रतिवेदन–फरवरी, 1999

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 27/99]

(12) अवक्रय अधिनियम, 1972 के संबंध में एक सौ अड़सठवां प्रतिवेदन–मार्च, 1999.

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 28/99]

(13) सेना, नौसेना और वायु सेना अधिनियमों के संबंध में एक सौ उनहत्तरवां प्रतिवेदन– अप्रैल, 1999

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 29/99]

(14) निर्वाचन विधि में सुधार के संबंध में एक सौ सत्तरवां प्रतिवेदन–मई, 1999.

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 30/99]

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

खान और उर्वरक मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे :–

(एक) खनन पट्टे (शर्तों का उपान्तरण) संशोधन नियम, 1999 जो 1 जून 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 397 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ग्रेनाइट संरक्षण और विकास नियम, 1999 जो 1 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 398(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 31/99]

सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखों तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 32/99]

पूर्वाह्न 11.17 बजे

[अनुवाद]

संसदीय समितियां – कार्य का सारांश

महासचिव : मैं 30 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 की अवधि से संबंधित संसदीय समितियों (वित्तीय और विभागों से संबंधित स्थायी समितियों के अलावा) – कार्य का सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल॰ टी॰ 33/99]

पूर्वाह्न 11.18 बजे

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री पी॰ एम॰ सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अटल बिहारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री पी॰ एम॰ सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के॰ येरननायडू (श्रीकाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री पी॰ एम॰ सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री एम॰ वी॰ वी॰ एम॰ मूर्ति (विशाखापत्तनम) : मैं श्री के॰ येरननायडू के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि श्री पी॰ एम॰ सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : मैं कुमारी ममता बनर्जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री वैको (शिवकाशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री पी॰ एम॰ सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ कन्नपन) : मैं श्री वैको के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री पी॰ एम॰ सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री सी॰ कुप्पुसामी (मद्रास-उत्तर) : मैं श्री टी॰ आर॰ बालू के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी॰ एम॰ सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री आत्माराम मगनभाई पटेल (मेहसाणा) : मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री पी॰ एम॰ सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : मैं श्री प्रियरंजन दास मुंशी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पी॰ एच॰ पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री पी॰ एम॰ सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री टी॰ टी॰ वी॰ दिनाकरन (पेरियाकुलम) : महोदय, मैं श्री पी॰ एन॰ पांडियन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री पी॰ एम॰ सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री एन॰ एन॰ कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश पी. प्रभु) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी. एम. सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जी जोशी): मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री पी. एम. सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री शरद पवार (बारामती) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री पी. एम. सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री श्रीनिवास डी. पाटील (कराड़) : महोदय, मैं श्री शरद पवार के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

खान और खनिज मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री पी. एम. सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : महोदय, मैं श्री नवीन पटनायक के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री पी. एम. सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (कैसरगंज) : मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र सिंह (रोहतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री पी. एम. सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र सिंह।

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि श्री पी. एम. सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री राम सजीवन (बांदा) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री पी. एम. सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्रीमती कांति सिंह (विक्रमगंज) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों जो प्रस्ताव सभा पटल पर रखो गये थे उन्हें प्रस्तुत तथा समर्थित कर दिया गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत और श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा समर्थित प्रस्ताव सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है और मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रख रहा हूं।

प्रश्न यह है :

"कि श्री पी. एम. सईद, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पारित हुआ। मैं श्री पी. एम. सईद, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.19 बजे

सदन के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी श्री पी. एम. सईद को उनके आसन तक ले गए।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

उपाध्यक्ष को बधाईयां

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से, नेशनल डैमोक्रेटिक एलाएंस की ओर से और अगर मेरे मित्र मणि शंकर जी आपत्ति न करें तो सारे सदन की ओर से, सईद साहब को बधाई देना चाहता हूं।

आप पिछली बार भी सर्व सम्मति से चुने गये थे, लेकिन इस बार की सर्व सम्मति में जरा ज्यादा मिठास है। आप इस सदन के

वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं। पहली बार आप 1967 में सदय चुने गये थे और तब से लगातार यह क्रम चल रहा है। अन्य सदस्य आते हैं, जाते है, मगर आप खाली आते ही आते हैं, जाते नहीं हैं।

सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उपाध्यक्ष का दायित्व आपने भली-भांति निर्वाह किया है। जहां कड़ाई की जरूरत होती है, आप कड़े हो जाते हैं और जहां नरमाई से काम चल जाता है, वहां नरमाई से काम निकाल लेते हैं। मंत्री पद भी आपने सुशोभित किया है और सभी के सहयोग से सदन को चलाते रहे हैं।

हम आपकी सफलता की कामना करते हैं और आपको अपने पूरे सहयोग का आश्वासन देते हैं।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री पी. एम. सईद के आम राय से लोक सभा का दोबारा उपाध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई देती हूं।

पिछले तीन दशक से भी ज्यादा समय तक वे इस सदन में हमारे देश के दूर-दूर के खूबसूरत द्वीपों की आवाज बुलन्द करते रहे हैं। उनको दोबारा चुना जाना, उनका अनुभव, दिल और दिमाग की खूबियों, नेकनामी और संसद की कार्यवाही में उनका योगदान का सम्मान है। अपने व्यक्तित्व, खुशमिजाजी और तहजीब की वजह से उन्होंने हम सब का आदर पाया है।

श्री सईद ने इस सदन में अनेक ऐतिहासिक अवसरों पर बहस में हिस्सा लिया है। वे पिछले 33 सालों से लगातार लोक सभा के सदस्य हैं और उन्होंने अत्यन्त महत्व के मुद्दे उठाये हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे उपाध्यक्ष हैं।

उनके कंधों पर हमने एक भारी जिम्मेदारी डाली है, लेकिन मैं जानती हूं कि वे हमेशा की तरह प्रसन्नता और सज्जनता के साथ अपना दायित्व पूरा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री पी. एम. सईद और साथ में ही लक्षद्वीप के लोगों को भी बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि एक ऐसे उपयुक्त प्रतिनिधि के निरंतर चुनने के लिए वे स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे होंगे जिन्होंने दशकों तक इस सभा की शोभा बढ़ाई है।

महोदय, प्रधानमंत्री जी ने इनके बार-बार चुने जाने के बारे में बताया है इस प्रकार वे इस सदन के स्थायी सदस्य के रूप में उभरे हैं। हम उन्हें सबके मित्र के रूप में जानते हैं और वे एक अच्छे मार्गदर्शक हैं जिन्होंने सभा के सभी सदस्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। स्वभाव से वे मिलनसार हैं। वे हमसे कभी नाराज नहीं होते हैं। इसीलिए हम उनके मिलनसार और अच्छे स्वभाव का फायदा भी उठायेंगे। उन्होंने इस सभा के कुशल पीठासीन अधिकारी के रूप में अपना सिक्का जमा दिया है और हमें प्रसन्नता है कि इस सभा में उनकी सेवाओं को मान्यता देते हुए और संसदीय लोकतन्त्र के प्रति उनकी सेवाओं का सम्मान करते हुए उन्हें पुनः इस पद पर निर्विरोध चुना गया है। हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। अपने दल और अपनी ओर से बोलते हुए हम उपाध्यक्ष के रूप में पीठासीन, श्री सईद को पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हैं और मुझे विश्वास है कि जैसाकि उन्होंने विगत में किया था वे अभी भी इस सभा और इस सभा के माध्यम से इस देश के लोगों को अपनी सेवाएं देते रहेंगे। महोदय, मैं आशा करता हूं कि वे टूना मछली की आपूर्ति में कभी भी बाधा नहीं आने देंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष जी, श्री पी. एम. सईद को इस उच्च पद पर चुने जाने के लिए मैं बधाई देता हूं। सईद साहब जब से आए, हमारे परम मित्रों में से हैं। जैसा हमारे किसी मित्र ने कहा कि सागर की लहरों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन उससे अधिक जीवन के थपेड़ों से सीखा हैं जहां उन्होंने सागर की उठती हुई लहरों को देखा है, वहां जीवन के उतार-चढ़ाव को भी इन्होंने पहचाना है। इसीलिए इनके दिल में गरीबों के लिए ममता है, एक स्नेह है और उसका उजागर उन्होंने समय-समय पर इस सदन में किया है। लक्षद्वीप में बसे हुए निवासी उनसे इसलिए इतने प्रभावित हैं कि उनकी आवश्यकताओं के लिए, उनके जीवन की मूलभूत चीजों के लिए उन्होंने सतत् प्रयास किया है। 1967 से, जब मैं भी कांग्रेस में था, तब से लगातार गरीबी मिटाने के सपने को लेकर सईद साहब लड़ते रहे। तारीखी के कुछ दिनों में हमारा और उनका साथ छूट गया, लेकिन दोस्ती बनी रही। वह दोस्ती आज भी कायम है। अपने इस मित्र के जीवन में इतनी उपलब्धि पाने के लिए मुझे स्वयं प्रसन्नता का अनुभव होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह केवल उनके बार-बार चुने जाने के कारण नहीं है, उनके जीवन में जो कुछ उन्होंने अपनाया है, परखा है और जिस प्रकार लोगों की पीड़ा के साथ अपने को जोड़ा है, उससे न केवल वह लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि सारे उपेक्षित, लांछित और शोषित मानवता के वह प्रतीक हैं। इस रूप में मैं उनका अभिनंदन करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, श्री पी. एम. सईद जो उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं, उसके लिए मुझे खुशी है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं भी पेश करता हूं। मुझे खुशी है कि 1967 से लेकर अभी तक लगातार वे इस सदन में देश की आम जनता के दुख दर्दों को पहचानते रहे हैं और अपनी आवाज भी बुलंद करते रहे हैं।

सबसे बड़ी लोकप्रियता और जनप्रियता का प्रमाण है कि 1967 से लगातार वे इस सदन के सदस्य हैं। उनको मेरी शुभकामनायें हैं। जिस मकसद को लेकर, जिन इरादों को लेकर इस देश के गरीब किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, उपेक्षित, भूखे-नंगे लोगों, जिनके लिए अभी तक शुद्ध पीने के पानी का इन्तजाम नहीं है, जिनको कठिन संघर्ष करना है, आप इस पद पर बैठकर उनकी भावनाओं

का विशेष आदर करेंगे, जब उन वर्गों के बारे में यहां सवाल उठेंगे। आपने पिछले सत्र में जिस निष्पक्षता और निर्भीकता से इस सदन का संचालन किया है, वह भी सराहनीय है।

मैं पुनः समाजवादी पार्टी की ओर से आपका स्वागत और अभिनन्दन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी हुई है और अपने तेलुगु देशम दल की ओर से मैं श्री पी. एम. सईद को हार्दिक बधाई देता हूं। वे 1967 से लगातार इस सभा के सदस्य रहे हैं। वे चुनाव जीतने के साथ–साथ इस सभा के सदस्यों के दिलों को जीतने की कला में भी माहिर है। वास्तव में यह महान उपलब्धि है। उन्होंने इस सभा में हर प्रकार की स्थिति का देखा है। उन्होंने सदन की गरिमा को बनाए रखने की कला में भी महारथ हासिल की है।

श्री पी. एम. सईद मन्त्री के पद पर भी आसीन हुए हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। उनके उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई है और इससे हमारा सिर ऊंचा हो गया है। मुझे विश्वास है कि गरिमा और मर्यादा के साथ वे इस पद का संचालन करेंगे। हम उनकी सफलता की कामना करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज श्री सईद का निर्वाचन पहले से ही तयशुदा था। इस सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में इतने लंबे रिकार्ड और उनकी लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी लोकप्रियता को ठीक से समझे जाने की आवश्यकता है कि सभा में वे सबके प्रिय क्यों हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप की बात है। उनका स्वभाव और चरित्र ऐसा है कि हम कई वर्षों से उन्हें उपाध्यक्ष के साथ–साथ अपने निकटतम मित्र के रूप में जानते हैं। विगत वर्षों से सर्वकुशल व्यक्तित्व के साथ–साथ वे अत्यंत मिलनसार, मित्रवत और बहुत स्नेही उपाध्यक्ष हैं। जहां तक मेरे दल का संबंध है हम हर प्रकार से उनका सहयोग करेंगे।

मुझे इस तथ्य की अहसास है कि मैं शायद इस सभा के भावी वरिष्ठतम सदस्य को बधाई दे रहा हूं। वे अपने लक्ष्य के नजदीक ही पहुंच गए हैं। अतः हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। उनके निर्विरोध चुने जाने पर आज हम बहुत प्रसन्न हैं।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री पी. एम. सईद के उपाध्यक्ष पद पर चुने जाने पर मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनको बधाई देती हूं। साथ ही उनके व्यक्तित्व के बारे में मुझसे पूर्व जिन पार्टियों के नेताओं ने अपने विचार रखे हैं, उनसे अपनी सहमति जताते हुए, मैं एक बात कहना चाहूंगी।

मुझे याद है पिछली सरकार के दौरान इसी पद पर चयन करने की बात जब आई तब परम्परा के अनुसार विपक्ष की ओर से डिप्टी–स्पीकर के पद पर सिलैक्शन होता है। लेकिन उस समय ऐसे हालात बने कि सत्ता पक्ष की ओर से भी इस पद के लिए पहल की गयी। उस समय मैंने यह महसूस किया कि विपक्ष की ओर से तो लगभग सभी सांसद उनको इस पद पर लाने की अपील कर रहे थे लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से भी बहुत से ऐसे नेता थे जो उनको इस पद पर लाना चाहते थे। कुमारी ममता बनर्जी ने इनको लाने की जोरदार अपील की थी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी सांसद जिनका डिप्टी--स्पीकर के पद पर निर्विरोध चयन हुआ है, उनको मैं बधाई देते हुए अपील करना चाहूंगी कि वे जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं उस समाज का खास तौर से ध्यान रखेंगे।

जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो उसे धर्म–निरपेक्षता के आधार पर बनाया गया। उसके अनुसार सभी धर्मों के मानने वाले बराबर हैं। उनके जान–माल और उनके धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकारों की है। लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग, जिनकी काफी लम्बे अर्से से अनदेखी हो रही है तथा आज वे अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप धार्मिक अल्पसंख्यकों में सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के विभिन्न वर्गों का पूरा ध्यान रखेंगे और जब कभी उनके हितों की कोई बात संसद में उठेगी तो आप पूरा समय देकर उनके हितों की रक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करती हूं कि मैंने जिन बातों की तरफ और खासतौर से जिन धर्मिक अल्पसंख्यकों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है उनके हितों का आप जरूर ध्यान रखेंगे।

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ए.आई.ए.डी.एम.के. दल और अपनी ओर से श्री पी. एम. सईद को, उनके सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद पर चुने जाने के लिए बधाई देता हूं।

मैं किसी भी सभा के पीठासीन अधिकारी के कठिन कार्य को जानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय शान्त, हंसमुख मैत्रीपूर्ण स्वभाव के हैं और पिछले सप्ताह हमारी मित्रता में और अधिक घनिष्ठता आई है। मुझे आशा है कि हमारे संसदीय कार्य में वह हमारा मार्ग निर्देश करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में सभा का संचालन करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय उसी निर्वाचन क्षेत्र के लगातार दस बार लोक सभा के लिए चुने गए हैं। एक ही निर्वाचन क्षेत्र से इतनी बार चुने जाना बहुत कठिन है क्योंकि उन्हें हर बार उन्हीं मतदाताओं का सामना करना पड़ता है। लक्षद्वीप के लोगों ने अपना स्नेह और प्रेम प्रकट करते हुए उन्हें लगातार दस बार लोक सभा के लिए चुना है।

अतः मैं अपने दल और अपनी ओर से उनकी सफलता की कामना करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, लोकसभा के पुराने माननीय सदस्य श्री पी. एम. सईद जी को उपाध्यक्ष पद पर दुबारा निर्विरोध चुने जाने और लगातार दस बार लोकसभा के लिये चुने जाने पर राष्ट्रीय जनता दल को और मुझे बड़ी प्रसन्नता हैं। मैं उन्हें इस बात के लिये बधाई देता हूं कि वे निर्विरोध चुने गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इसलिये भी है कि उपाध्यक्ष जी के चुने जाने पर उनके सहयोग से आपके काम का भार काफी हल्का हो जायेगा। इस पद पर उनके निर्विरोध चुने जाने पर दूर–दराज के क्षेत्र लक्षद्वीप, जो समुद्र के बीच में छोटा सा इलाका है, वहां के लोगों के दिलों में कितनी खुशी होगी कि इस सम्मानित पद पर वहां का प्रतिनिधि चुना गया है। इससे भी लोगों का हौसला बुलंद हुआ होगा कि एक ही व्यक्ति वहां से बार–बार चुना जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली लोकसभा में जिस तरह से माननीय सदस्यों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन्होंने जिस निष्पक्षता और योग्यता से इस सदन का संचालन किया और आपको सहयोग प्रदान किया, उससे 1977 की वह धारा बलवती हुई जिसे हम लोगों ने शुरू किया था कि उपाध्यक्ष पद पर विपक्ष का व्यक्ति निर्विरोध ढंग से चुना जाये। यह ठीक बात है जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछली बार उपाध्यक्ष निर्विरोध रूप से चुना गया था और इस बार भी वे निर्विरोध चुने गये हैं, लेकिन पिछली बार और इस बार में फर्क है। पिछली बार सत्ता पक्ष के लोग चाहते थे कि उस परिपाटी को चकनाचूर किया जाये और अपना व्यक्ति उपाध्यक्ष चुन लिया जाये। उस समय उनकी सहयोगी पार्टी के लोगों, जिनमें कुमारी ममता बनर्जी भी थीं, ने बहुत कड़ा स्टैंड लिया और कहा कि इस परिपाटी को नहीं टूटना चाहिये तथा उपाध्यक्ष पद विपक्ष को दिया जाना चाहिये। इसलिये मैं प्रधानमंत्री जी के उद्‌गार से सहमत हूं कि इस बार ज्यादा उत्साहपूर्वक और उस परिपाटी को मजबूत करने की कार्यवाही उनके चुने जाने से हुई है।

अध्यक्ष महोदय, जब आप चुने गये थे, उस दिन हमें भारी प्रसन्नता हुई थी और आज जब उपाध्यक्ष जी चुने गये हैं, हमें उतनी ही प्रसन्नता है। यह सदन देश के समाज के आइने की तरह है। देश की क्या स्थिति है, उसका सही चित्र लोकसभा में जब आयें तो माना जायेगा कि यह सजीव है और आप दोनों पीठासीन अधिकारी इस लोकसभा के संरक्षक हैं। इसलिये जनता की आकांक्षाओं, जनता की समस्याओं, समाज के दबे–कुचले लोगों की समस्याओं का निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे। साथ ही नये सदस्यों और छोटी पार्टियों का भी ख्याल रखेंगे ताकि जनता का सही रूप से और देश का सही चित्रण इस लोकसभा के आइने में आ सके और लोगों का लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली के प्रति विश्वास जम जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः एक बार श्री पी. एम. सईद को उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध रूप से चुने जाने पर बधाई और धन्यवाद देता हूं कि वे इस पद की गरिमा और महिमा बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अपने दल फारवर्ड ब्लाक और अपनी ओर से माननीय श्री पी. एम. सईद को इस माननीय सदन के उपाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने पर बधाई देता हू! वह हमारे अच्छे मित्र हैं। श्री सईद न केवल एक सज्जन पुरुष हैं बल्कि निष्ठापूर्वक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं। वह लगातार ९क ही निर्वाचन क्षेत्र से दस बार चुने गए हैं। यह एक रिकार्ड है। इस धरती पर मनुष्य न्याय के प्रति बहुत आशावान २हता है। मैं आशा करता हूं, जब वह पीठासीन होंगे, वह इस माननीय सभा के माननीय सदस्यों के साथ न्याय करेंगे।

वह इसी के अनुरूप कार्य करेंगे और सभा की प्रतिष्ठा को बनाये रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : जनाब स्पीकर साहब, हमें बहुत खुशी है कि जनाब पी. एम. सईद साहब डिप्टी स्पीकर मुंतखिब हुए हैं और इत्तफाके राय के साथ मुंतखिब हुए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं अपनी पार्टी मुस्लिम लीग तथा अपनी जानिब से उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसा कि हमारे वजीरेआजम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया कि पी. एम. सईद साहब वसीह तजुर्बा रखते हैं। वह इस ऐवान के न सिर्फ सीनियर मैम्बरान व अराकीन में से हैं, बल्कि उन्होंने मसनदे विजारत को भी जीनत बख्शी है और आपके मआवीन के तौर पर डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। हमारा यकीन है कि इंशाअल्लाह वह अपने फराइज को बखूबी अंजाम दे पायेंगे। पार्लियामानी जम्हूरियत की रिवायत बरकरार रखी गई है कि और अपोजीशन में से डिप्टी स्पीकर लिया गया है। साथ ही साथ सेक्युलर जम्हूरियत को भी चार चांद लगते हैं। पी. एम. सईद साहब अक्लियत से हैं और अक्लियतों को भी बेहद खुशी होगी। मैंने हमेशा कहा है कि हमसे हिंदुस्तान है। इस लफ्ज 'हम' पर गौर करने की जरूरत है। 'ह' और 'मीम' हम, 'ह' और 'म' हम, 'ह' से हिंदू 'म' से मुसलमान और तमाम दीगर फिरके यह 'ह' और 'म' जब मिलते हैं तो 'हम' होता है और इस 'हम' से हिंदुस्तान होता है। यह पैगाम है जो हम देश को दे रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और यकीन करता हूं कि इंशाअल्लाह सेक्युलर जम्हूरियत के उसूल की हमेशा यहां कद्र होती रहेगी। जनाब पी. एम. सईद साहब को मुबारकबाद।

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پونانی): جناب اسپیکر صاحب، ہمیں بہت خوشی ہے کہ جناب پی۔ ایم۔ سعید صاحب ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے ہیں اور اتفاق رائے کے ساتھ منتخب ہوئے ہیں۔ ہم اُنکا استقبال کرتے ہیں۔ میں اپنی پارٹی مسلم لیگ اور اپنی جانب سے اُن کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہمارے وزیراعظم جناب اٹل بہاری واجپئی جی نے بتایا کہ پی۔ ایم۔ سعید صاحب وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ اس ایوان کے نہ صرف سینئر ممبرو اراکین میں سے ہیں، بلکہ انہوں نے مسندِ وزارت کو بھی زینت بخشی ہے اور آپ کے معاون کے طور پر ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ انشااللہ وہ اپنے فرائض بخوبی انجام دے پائیں گے۔ پارلیمانی جمہوریت کی روایت برقرار رکھی گئی ہے اور اپوزیشن میں سے ڈپٹی اسپیکر لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سیکولر جمہوریت کو بھی چار چاند لگتے ہیں۔ پی۔ ایم۔ سعید صاحب اقلیت سے ہیں اور اقلیتوں کو بھی بے حد خوشی ہوگی۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم سے ہندوستان ہے۔ اس لفظ 'ہم' پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 'ہ' اور 'م' ہم، 'ہ' اور 'م' ہم، 'ہ' سے ہندو، 'م' سے مسلمان اور تمام دیگر فرقے۔ یہ 'ہ' اور 'م' جب ملتے ہیں تو 'ہم' ہوتا ہے اور اس 'ہم' سے ہندوستان ہوتا ہے۔ یہ پیغام ہے جو ہم ملک کو دے رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یقین کرتا ہیں کہ انشااللہ سیکولر جمہوریت کے اصول کی ہمیشہ یہاں قدر ہوتی رہے گی۔

جناب پی۔ ایم۔ سعید صاحب کو مبارکباد۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार पुनः श्री सईद साहब के उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर, उनका प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और अन्य माननीय सदस्यों के साथ अभिनन्दन करता हूं। उनका इस पद पर दुबारा सर्वसम्मति से चुना जाना लोकतांत्रिक मूल्यों और परम्पराओं के प्रति इस सभा की सामूहिक वचनबद्धता का एक अन्य प्रमाण है।

श्री सईद उन कुछ विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों में से हैं जिन्होंने वास्तव में इस सभा के सदस्य के रूप में अनेक दायित्व निभाये हैं। यह समूची सभा और विशेष रूप से नये सदस्य अनेक समितियों, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण पिछली लोकसभा में उपाध्यक्ष के रूप में अनेक दीर्घ और विविध अनुभवों से काफी लाभ उठायेंगे।

वह हमारे सांसदों के लिए एक आदर्श के प्रतिरूप हैं। एक ही क्षेत्र से लगातार 10 बार चुना जाना भी अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समूची सभा द्वारा उन्हें लगातार दूसरी बार निर्विरोध अपने उपाध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया जाना उनकी उस उपलब्धि को द्विगुणित कर देता है।

विनम्र तथा सुशील, रमणीक स्थल लक्षद्वीप की जनता के प्रतीक, गत तीन दशकों से अत्यंत तर्कसंगत एवं विश्वसनीय वक्ता, श्री सईद के इस सभा में अनेक मित्र तथा प्रशंसक हैं।

एक पीठासीन अधिकारी के रूप में नम्रता और दृढ़ता का समुचित समुच्य बनाते हुए वह अध्यक्षपीठ की दोनों ओर के सदस्यों के साथ पूरी निष्पक्षता से निपटने में पूर्णतः सफल रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं, उक्त दायित्व का निर्वहन पीठासीन अधिकारी के लिए एक कठिन परीक्षा की घड़ी है। निःसंदेह इस सभा ने इनके चयन में बहुत बुद्धिमता का परिचय दिया है।

मैं श्री सईद जी को शुभकामनाएं देता हूं।

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष के नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राजनीतिक दलों के नेता और सभा के अन्य माननीय सदस्यों: इस सभा का, जो कि विश्व में सबसे बड़े सक्रिय लोकतंत्र का लोकप्रिय सदन है, सदस्य निर्वाचित होना, अपने आप में बहुत बड़े सम्मान और गौरव की बात है। मैं आप सबको तहे दिल से बधाई देता हूं कि आपने यह सम्मान और गौरव प्राप्त किया।

यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आपने उपाध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से मेरा चयन किया। आपने दूसरी बार मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी इससे यह सम्मान दुगुना हो गया है। मैं भाव-विभोर हो गया हूं।

देश में आज की राजनीति का दौर मिलान की राजनीति का चल रहा है। मुझे लगता है कि वर्जन की राजनीति पीछे रह गई है। इस सभा के गठन में, सरकार के ढांचे में मुझे मिलान की प्रवृति दिखाई देती है। मैंने अपने सभा के उपाध्यक्ष के चुनाव में देखा है कि सामान्य रूप से देश के द्वीप-वासी और विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप की जनता को भी इस मिलान प्रवृति का लाभ मिला है। मैं इस अवसर पर लक्षद्वीप की जनता की शुभकामनाओं को सभा को समर्पित करता हूं और इन लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने 10 आम चुनावों के माध्यम से मुझ में अपना विश्वास संजोया, अन्यथा मैं लगातार दूसरी बार उपाध्यक्ष के पद पर आसीन नहीं हो पाता।

इस सभा के सदस्य के रूप में अपने दीर्घकालिक अनुभव से, जिसमें मेरा संपर्क अन्य देशों के संसद सदस्यों से ही हुआ, मैने पाया कि पूरे विश्वभर में सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों की सेव करने में अधिकाधिक व्यावसायिक बनते जा रहे हैं। सभा के समय का महत्व जानना, संसदीय कार्यवाही का सुगमतापूर्ण निर्वहन, परस्पर एक-दूसरे के विचारों को सम्मान देना, मौलिक राष्ट्रीय हितों के मामलों के संबंध में दलगत भावना से उठकर विचार-विमर्श, संसद

में तथ्यों पर आधारित विचार व्यक्त करना इत्यादि इस व्यवसायीकरण के विभिन्न आयाम हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से कुशलतापूर्वक अपना कर्तव्य निर्वहन करने का आवाहन करता हूं।

जबकि मैं व्यवसायीकरण पर जोर देता हूं, मैं यह स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्यों को इसके लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहिए। विश्व के अन्य देशों में यहां तक कि छोटे–छोटे देशों में भी संसद सदस्यों को पूरा कार्यालय उपलब्ध करवाया जाता है जिसमें उन्हें पर्याप्त सहायक कर्मचारी और कम्प्यूटरों सहित अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। ताकि वे पूर्ण दक्षता से अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। मैं जानता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय भी सांसदों की सेवा क्षमताओं का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। इस संबंध में पूरी सभा के संचालन को नया रूप दिए जाने की आवश्यकता है।

इस सभा में अनेक नये सदस्य हैं और मेरा विश्वास है कि वे अपने साथ नये अनुभव लायेंगे, नए आदर्श कायम करेंगे। हमें सामूहिक रूप से इन अनुभवों से और इनके आदर्श स्वरूप से कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए।

संसद सदस्य को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक आबंटन किया जाता है। मेरा अनुभव यह है कि इस योजना के कार्यान्वयन में अनेक खामियां हैं। उनको दूर किया जाना चाहिए। योजना को अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में मुझे कोई शंका नहीं है कि यदि माननीय सदस्य इस योजना में गंभीरता से रुचि लें तो वे देश की निर्धन जनता के जीवनयापन में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। हम कम से कम उन लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं जो कि वास्तव में हमारे मतदाता का बहुत बड़ा भाग है।

हमारा मीडिया संसदीय कार्यवाही को दिखाने में काफी उत्साहित है। इलेक्ट्रानिक क्रांति, सचल दृश्यों के कारण संसद की कार्यवाही देश के दूरदराज क्षेत्रों में भी देखी जा रही है। संसद सदस्यों द्वारा किए रचनात्मक कार्यों सहित संसद की कार्यवाही को मीडिया द्वारा सन्तुलित रूप से दिखाने से लंबे समय में लोकतांत्रिक संस्था की अक्षुणता को बल मिलेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों में जनता की आस्था बढ़ेगी।

हालांकि, सभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का स्तर ज्यों का त्यों रहा है, देश के इतिहास में इस समय पहली बार विपक्ष की नेता एक महिला है। महोदया, मैं आशा करता हूं कि सभा के इस महत्वपूर्ण पद पर आपकी उपस्थिति महिलाओं के अधिकारों, विशेष रूप से संसद तथा देश की अन्य विधान सभाओं में महिलाओं की पुरुषों से बराबरी संकल्पना को और अधिक मजबूत बनाएगी।

प्रधान मंत्री महोदय, मैं देश को अगली शताब्दी में ले जाने के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय बारहवीं लोकसभा में मुझे आपके साथ कार्य करने का अवसर मिला। यह एक सुखद अनुभव था। मैं आशा करता हूं कि मैं इस सभा में उपाध्यक्ष के रूप में आपके साथ इसी प्रकार सहयोग से कार्य करता रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस बार केवल तेरह महीने नहीं।

श्री पी. एम. सईद : धन्यवाद। जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : अगली मद है, नियम 377 के अधीन मामले। मैं श्री पी. एम. सईद को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और नियम 377 के अधीन मामलों से उपाध्यक्ष के रूप में अपने कार्य आरंभ करें।

पूर्वाह्न 11.59 बजे

पोप जॉन पॉल द्वितीय की भारत यात्रा के बारे में

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने पोप जॉन पाल की भारत यात्रा के संबंध में नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए सूचना दी है तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है क्योंकि उनकी सुरक्षा का विषय इस देश में काफी चिन्ता का विषय बना हुआ है। हम चाहते हैं कि इस पर नियम 193 या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत विस्तार से चर्चा हो। इस संबंध में एक सूचना दी गयी है। यह न केवल ईसाई समुदाय से संबंधित मामला है बल्कि पूरे विश्व में इस राष्ट्र की समग्र छवि से भी संबंधित है। एक तरफ तो गुजरात में गृह मंत्री ने कहा था कि उन्हें देश के अतिथि के रूप में समझा जाएगा और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, दूसरी तरफ, नॉर्थ ब्लाक के ठीक सामने विजय चौक पर, जो क्षेत्र धारा 144 में आता है, वी एच पी और आर एस एस के लोगों ने पोप जॉन पाल का पुतला जलाया था। यह एक गंभीर मामला है और देश इस घटना को अनदेखा नहीं कर सकता क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री ने वचन दिया था और राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में पूर्ण प्रजातांत्रिक राजनीति और धर्मनिरपेक्षवाद का वचन दिया था। मैं यह महसूस करता हूं और यह मांग करता हूं कि इस सभा द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार इस संबंध में आगे आना चाहिए क्योंकि पहले .....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : गृह मंत्री जी से आश्वासन मिलना चाहिए। .....*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत पहले 1992 में जब एक ऐसा ही प्रश्न उठाया गया था कि क्या बाबरी मस्जिद

बचाई जाएगी या नहीं. एक मुख्य मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे के साथ एक वचन दिया था कि इसकी पूरी हिफाजत की जाएगी। फिर भी ऐसा नहीं किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें अपना वचन पूरा करना चाहिए और इस पूरे देश में ईसाई समुदाय को स्वयं को सुरक्षित समझना चाहिए। गृह मंत्री को तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, क्या आप बैठने की कृपा करेंगे? मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। श्री राधाकृष्णन कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं बोल रहा हूं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने एक विषय का उल्लेख किया है जिस पर सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती है। अगर आप सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे तो मैं आप सभी को एक साथ बोलने के लिए कैसे बुला सकता हूं? अब मैं श्री सुरेश कुरूप जी को बोलने के लिए कह रहा हूं।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको माननीय गृह मंत्री जी द्वारा अपना बयान देने से पहले एक मौका दे रहा हूं। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, श्री सुरेश कुरूप जी?

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, मैंने सूचना दी है। पोप जॉन पाल द्वितीय.....*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, या तो आप गृह मंत्री जी को अपना बयान देने दें या .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू जी, मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने सूचना दी है।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, पोप जॉन पाल द्वितीय एक प्रभुत्वसंपन्न राष्ट्र के प्रमुख हैं और विश्व भर में लाखों ईसाइयों के धार्मिक नेता भी हैं। विश्व हिन्दु परिषद ने धार्मिक गुरु की भारत यात्रा के विरुद्ध गलत प्रचार किया है। यह इस देश में ईसाई अल्प समुदाय के विरुद्ध चलाए गए गलत प्रचार के संबंध में दिया गया तर्क है। इस संबंध में सरकार चुप है। उन्हें इस संबंध में स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी यात्रा के संबंध में उनका दृष्टिकोण क्या है। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है और इसे ऐसा ही समझा जाना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश जी सरकार इस संबंध में अपना बयान देना चाहती है। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। अब वे गोवा से दिल्ली तक की यात्रा निकाल रहे हैं और वे लोग यह धमकी दे रहे हैं वे पोप पाल की यात्रा के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम बताएंगे। अब, श्री बसुदेव आचार्य जी।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास जी, क्या आप बैठने की कृपा करेंगे? मैंने श्री बसुदेव आचार्य जी का नाम पुकारा है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, पोप जॉन पाल द्वितीय की यात्रा के संबंध में विश्व हिन्दु परिषद् और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चलाया गया अभियान.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : शान्त रहिये, आपको चांस मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, विश्व हिन्दू परिषद् ने पहले ही गोवा से दिल्ली तक की यात्रा शुरू कर दी है।.....*(व्यवधान)* इससे देश में साम्प्रदायिक असंतोष पैदा हो गया है और इससे दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों पर खराब असर पड़ेगा। सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप सभी मोबाइल फोन बंद कर दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : न केवल वे बंद कर दिए जाएं, उन्हें यहां लाया भी नहीं जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी इन्हें यहां ला रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय सरकार ने अभी तक विश्व हिन्दू परिषद् और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा की गई कार्रवाई के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के इन दो बड़े संगठनों की कार्रवाई से अनभिज्ञ नहीं है। मेरी मांग है कि यह सदन इसकी निन्दा करे और सरकार एक वक्तव्य दे..... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ये दो बड़े संगठन नहीं हैं, ये तो दो फासिस्टवादी संगठन हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : जी हां, फासिस्टवादी संगठन। मैं भूल सुधारता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया अपनी बात पूरी करें। आप बहुत अधिक समय ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, ये कैसे कह सकते हैं कि फासिस्ट संगठन हैं, हमें इनकी बात पर आपत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपत्ति है तो जब आपको मौका मिलेगा, तब कहें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सरकार को इस सभा में एक वक्तव्य देना चाहिए। .....*(व्यवधान)* पोप जॉन पाल द्वितीय न केवल एक धार्मिक नेता हैं बल्कि वे राष्ट्र प्रमुख भी हैं। इस देश में साम्प्रादायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए सरकार की क्या

योजना और कार्यक्रम है?.....*(व्यवधान)* हमें इसका अनुभव है। बाबरी मस्जिद को तोड़ते समय क्या हुआ था यह हम देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए वचन के बावजूद बाबरी मस्जिद को 6 दिसम्बर, 1992 को तोड़ दिया गया था। .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष जी, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। अब श्री के. फ्रांसिस बोलेंगे।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, यहां विस्तार से चर्चा नहीं की जा रही है। यह शून्यकाल है। आपको विषय बताना चाहिए। सरकार अपना जवाब देना चाहती है। यह विस्तृत चर्चा नहीं की जा रही है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसका आयोजन 1992 में मुख्य मंत्री ने किया था। तभी से हमारे देश में साम्प्रादायिक असंतोष पैदा हुआ था।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। जबकि मैं आपका साथ देने की कोशिश कर रहा हूं।

.....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं मांग करता हूं कि सरकार को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : यह मामला अभी भी लम्बित है। गृह मंत्री जी इस मामले में एक अभियुक्त हैं। यह न भूलिए कि यह मामला अभी भी लम्बित पड़ा हैं। .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र बैंदा (फरीदाबाद) : उस मामले को इसमें कैसे उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, मैं कंट्रोल करूंगा।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : उपाध्यक्ष महोदय .. ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन आप फ्रांसिस जार्ज नहीं हैं। मैंने श्री जार्ज को बोलने के लिए कहा है, वे नए सदस्य हैं। कृपया उनकी बात सुनें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय हमें यह कहते अत्यन्त दुख और खेद है कि संघ परिवार के इस प्रकार विद्वेषपूर्ण अभियान से होली फादर पोप जॉन पाल द्वितीय की यात्रा में विघ्न डाला जा रहा है। इस संबंध में हम माननीय प्रधान मंत्री से मिले थे। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि सरकार सभी धर्मों का आदर करती है। पोप यहां हमारे निमंत्रण पर राष्ट्राध्यक्ष के रूप में आ रहे हैं। बाद में माननीय गृहमंत्री ने भी इस संदर्भ में वक्तव्य दिया था। किंतु अब हम क्या देख रहे हैं? संघ परिवार घृणा व अविश्वास का अभियान चला रहा हैं अब तक सरकार ने क्या किया है? अब तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया या कदम नहीं उठाया है..... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृहमंत्री प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, मुझे अपना भाषण पूरा करने दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि संघ परिवार द्वारा गोवा से दिल्ली तक निकाली जा रही यात्रा के बारे में सरकार का क्या करने का विचार है.....*(व्यवधान)* महोदय, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं..... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने सूचना दी है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, मैंने भी सूचना दी है। हम सभी जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या करने का विचार है। क्या सरकार संघ परिवार के तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी? क्या सरकार संघ परिवार द्वारा प्रस्तावित इस यात्रा को रोकने के लिए तैयार है? हम सरकार से स्पष्ट उत्तर जानना चाहते हैं. आपको बहुत–बहुत धन्यवाद .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी. सी. थामस कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री वी. एम. सुधीरन का नाम पुकारा है।

श्री वी. एम. सुधीरन (अलेप्पी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो बातें कहनी हैं। पहली बात यह है कि ऐसे परम पावन पोप जॉन पाल द्वितीय की यात्रा एक ऐतिहासिक घटना है और यह उचित होगा कि संसद इस देश की यात्रा पर आ रहे पोप का स्वागत करे। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे समुचित कदम उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि पूरी सभा होली फादर का स्वागत करे।

दूसरी बात यह है कि कुछ साम्प्रदायिक तत्व इस देश में कुछ अवांछनीय स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं उसकी निंदा की जानी चाहिए। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री व माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अन्य लोगों द्वारा वातावरण बिगाड़ने के प्रयासों को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (कैसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, ... *(व्यवधान)* सत्ता पक्ष के लोग भी बोलने के लिए आतुर हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसी तरह से आपत्ति उठायेंगे, तो आपको चांस नहीं मिलेगा और उनको भी चांस नहीं मिलेगा।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, शांत रहिए।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह ऐसा मुद्दा है, जिन लोगों ने नोटिस दिया है, उन्हीं लोगों को बुला रहा हूं।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावत, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दीजिए.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने का यह तरीका नहीं हैं।

.....*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : केवल एक पक्ष आपके समक्ष अपना मत व्यक्त कर रहा है.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष महोदय, आपने उन लोगों को भी बुलाया है, जिन लोगों ने नोटिस नहीं दिया है।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः इस तरह से होगा, तो आपको भी चांस नहीं दूंगा।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप शांत रहिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में आग्रह करना चाहता हूं। 21 वीं सदी में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, ऐसा न हो कि आने वाली हमारी संतानें पंथ निरपेक्षता की प्रतिबद्धता संविधान में ही पढ़ती रहें, लेकिन अमल में उनको विध्वंस दिखाई दें। हम विगत में देख चुके है। इसी प्रकार राम–जानकी रथ यात्रा निकाली गई थी और देश में वातावरण खराब किया गया था। हिन्दू उग्रवाद को बढ़ाया गया था और बाबरी मस्जिद विध्वंस इसी क्रम में हुआ था।.....*(व्यवधान)* सुन नहीं सकते हैं। इनमें धैर्य नहीं हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : इन्होंने रथ यात्रा पर कलंक लगाया है। हम सुनने वाले नहीं हैं। यह हिन्दुस्तान हैं, पाकिस्तान नहीं है। इनको विदड्रा करना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : इन्होंने राम रथ यात्रा पर आक्षेप किया हैं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परांजपे आप इस तरह खड़े होकर जो चाहिए सो न कहें। यदि कोई भी बात असंसदीय होगी तो मैं उन्हें उसे वापस लेने के लिए कहूंगा। इस तरह व्यवहार न करें।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : इसी प्रकार का वातावरण 1986 में बना था। मुलायम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष थे और मैं उपनेता, उत्तर प्रदेश विधान सभा में। हम लोगों ने आह्वान किया था। .....*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : इसी तरह उन्होंने वहां का वातावरण खराब किया था। .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहां का वातावरण खराब कर रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हम लोगों को बोलने नहीं देंगे, तो इनके नेता कैसे बोलेंगे।.....*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : उस समय ये दोनों साझीदार थे। इनकी मिली–भगत थी। उन्होंने गोली चलवाई, उन्होंने ढांचा गिरवाया और आरोप हम पर लगा रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कटियार कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, आप सीनियर मैम्बर हैं। अगर कोई चीज अनपार्लियामेंट्री होगी, तो उनको विदड्रा करने के लिए बोलूंगा। आप क्यों कहते हैं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कटियार, बहुत हो गया, कृपया बैठ जाइए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी के सचेतक की मानें। यह क्या है। सभा को कैसे चलाएं?

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष जी, ये जो चाहेंगे बोलते जाएंगें। गोलियां ये चलवाएं, ढांचा ये गिरवाएं, आरोप हम पर लगाएं, यह

कैसे चलेगा।.....*(व्यवधान)* क्या यह बाबरी मस्जिद और अयोध्या पर बहस हो रही है। क्या ये जो चाहेंगे वह बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कोई बात असंसदीय होगी तो उसे निकलवा देंगे। मैं यहां किसलिए बैठा हूं। श्री रामदास कृपया बैठ जाइए। आपको भी चांस मिलेगा। मिस्टर कटियार आप भी बैठ जाइये। ऐसे कैसे चलेगा।

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष जी, हम बैठ जाते हैं, हमें भी बोलने का मौका दीजिएगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष जी, हमें आश्चर्य है कि अनुशासित दल का दावा करने वाले लोग सुनने का धैर्य भी नहीं रखते।.....*(व्यवधान)* यह सदन की गरिमा के खिलाफ है कि जब हम आपकी इजाजत से बोल रहे हैं तो ये बीच में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। श्रीमान्, इसी तरह का वातावरण 1986 में पैदा हो रहा था। श्री मुलायम सिंह यादव उस समय नेता विरोधी दल थे और मैं उप–नेता था। मजबूर होकर श्री मुलायम सिंह यादव को लोक दल के कार्यकर्ताओं से कहना पड़ा था कि खून देकर भी ऐसे राम–जानकी रथ को रोक दो, जो देश में साम्प्रादायिकता के जहर को फैला रहा हैं।.....*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, ये किस पर बोल रहे हैं। पोप की यात्रा का सवाल है, उस पर बोलें लेकिन ये तो राम रथ–यात्रा पर बोल रहे हैं।.....*(व्यवधान)* आज का विषय क्या राम रथ–यात्रा हैं उन्होंने विषय को बदल दिया।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : ये बीती हुई बात पर बोल रहे हैं.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : चौबे जी, आप इतने सीनियर मैम्बर हैं। आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मलहोत्रा : वे इस प्रकार कैसे बात कर सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, ये हमारे हिन्दू देवता का नाम क्या सम्मान से ले रहे हैं, क्या ये भगवान राम का नाम सम्मान से ले रहे हैं.....*(व्यवधान)* ये कैसे बोल रहे हैं। क्या उनका नाम सम्मान से लिया जा रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह संवेदनशील मुद्दा है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने शब्दों के चयन में सावधानी बरतें। ये भावनात्मक मामले हैं। इसलिए कृपया अपने को विषय तक सीमित रखें और इसमें अन्य मामलों को न लाएं।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : इस मामले में मैं सावधान हूं। जैसा मैंने पहले कहा था, हम लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं और आज पंथ–निरपेक्षता हमारे संविधान में केवल शब्द ही न रह जाये बल्कि उस पर अमल भी हो। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको जागरूक रहना चाहिए। अगर कुछ लोग यह समझते हैं कि अल्पसंख्यक हिंदुओं से कम है, इसलिए अल्पसंख्यक कहलाते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा भारत में होने जा रही है। इंडोनेशिया भी पीछे रह जाएगा। अल्पसंख्यक चाहे जो भी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो और चाहे हिंदू ही क्यों न हो, उन सबके लिए हमने डा. लोहिया जी से सबक लिया है कि जहां हिन्दू कम हैं और मुसलमान ज्यादा हैं वहां मुसलमानों को अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा करना चाहिए। इसी तरह से जहां मुसलमान कम हैं और हिन्दू ज्यादा है वहां हिंदुओं को अपनी जान देकर भी मुसलमानों की रक्षा करनी चाहिए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वर्मा, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : ईसाई हमारे देश में बहुत कम हैं और ऐसे हालात में यहां पर बड़ी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। पोप जॉन पाल देश में आ रहे हैं और यह दुख की बात है कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए कुछ संगठन आर.एस.एस. और विश्व हिन्दू परिषद् उनके खिलाफ देश में वातावरण बना रहे हैं।

हमें इस बात का आभास हो रहा है कि जिस तरह का वातावरण इस देश में 1986 से 1992 तक बनाया गया था, आज उसी तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही हैं हम चाहते हैं कि इस की इजाजत नहीं दी जानी चाहियें। यदि इस तरह की इजाजत दी गई तो हम उन लोगों में से हैं जो जान देकर भी उन यात्राओं का विरोध करेंगे। इस देश में हम ऐसा नहीं चलने देंगे जो पंथ निरपेक्ष संवैधानिक प्रावधान पर प्रश्नचिन्ह लगाये। इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पीठ से सरकार को निर्देश दें कि जो इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है, पोप के खिलाफ जो यात्रायें निकाली जा रही हैं, तत्काल उस पर प्रतिबंध लगायें। हम चाहते हैं कि सरकार कड़ी कार्यवाही करे और इस सदन को आश्वासन दे।

श्री विनय कटियार : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो संस्थायें इस सदन में नहीं हैं, उनका भी नाम लेकर घसीटा जा रहा है। यहां 1992 की चर्चा की गई। मैं अयोध्या पर नहीं जाना चाहता लेकिन माननीय सदस्य ने जो बयान यहां दिया और कई अन्य सदस्यों ने बोला, मैं इतना बताना चाहता हूं कि उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी और जब गोली चली उस समय श्री मुलायम सिंह मुख्य मंत्री थे जिन्हें कांग्रेस का समर्थन

प्राप्त था। जब ढांचा गिरा था, उस समय यहां पर श्री नरसिंह राव बैठे हुए थे। क्या कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकती है? माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया लेकिन उसके छः घंटे बाद भी ढांचा गिरता रहा। क्या कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकती है? .....(*व्यवधान*).... कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकती। माननीय उपाध्यक्ष जी, पोप साहब यहां आ रहे हैं। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। वे राष्ट्राध्यक्ष के नाते यहां आये, उनका स्वागत है। यह देश की परम्परा रही है कि विदेशी अतिथि का स्वागत किया जाता है। कहीं पर वी.एच.पी. या आर.एस.एस. के विरोध की बात नहीं कही गई है। लेकिन कुछ बातें हैं जिनकी उन्हें सफाई देनी चाहिये। पिछले दिनों...

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री विनय कटियार : मैं अपनी बात कर रहा हूं, भारत सरकार की बात नहीं कह रहा हूं। मैं एक एम.पी. होने के नाते अपनी बात कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्रालय इस पर क्या व्यवस्था करे, यह कहिये।

श्री विनय कटियार : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पोप साहब को कुछ न कुछ सफाई देनी चाहिये। पिछले दिनों जब पोप साहब भारत आये थे। उस समय श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे। उनके आवास पर शिक्षा–दीक्षा का काम किया गया था जिसके चलते पूर्वांचल में 15 सालों में 12 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप गृह राज्य मंत्री रहे हैं। इस हालत में इस देश के लोग पोप साहब से सफाई चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय, हम इस विचार का पूर्णतः विरोध करते हैं कि पोप इसका स्पष्टीकरण दें।

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : हम भी वैको को बधाई देते हैं। .....(*व्यवधान*) यह चौंकाने वाली बात है।.....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : आतंकवादियों को पैसा दिया जाता है, क्या वे इसकी सफाई देंगे ?

[अनुवाद]

श्री वैको : महोदय, इस मुद्दे पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं, उनकी नीतियों से विरोध है। हमारे देश के अंदर सहिष्णुता और उदारता है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू

.....(*व्यवधान*)

श्री विनय कटियार : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सदन में कुछ लोग जानबूझकर देश के लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करना चाहते हैं.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....(*व्यवधान*) *

श्री के. येरननायडू (श्री श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह संवेदनशील और भावुक मामला है। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय श्री चन्द्रबाबू नायडू ने भी वाजपेयी को पत्र लिखा है कि इस देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखा जाए। साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना इस सभा का कर्तव्य है। हम नई सहस्राब्दि में प्रवेश कर रहे हैं।

इसलिए सरकार को इस देश में साम्प्रदायिक सौहार्द भंग न होने देने के लिये सभी एतियाती कदम उठाने चाहिए, हमारा संविधान देश के सभी धर्मों का आदर व सभी धर्मों से प्रेम करता है।

मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि सरकार हमें बताए कि पोप जॉन पाल की शांतिपूर्ण यात्रा और इस देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए वह क्या कदम उठा रही है।

श्री मणि शंकर अय्यर : क्या सरकार को उस बात का खंडन करना चाहिए जो श्री विनय कटियार ने पिछली सीटों पर बैठकर कहा है? क्या श्री आडवाणी इस तथ्य को नजरदांज कर सकते हैं कि उनके साथ कटियार जैसे व्यक्ति हैं। .....(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नितला, कृपया बैठ जाइए। अब हमें माननीय गृहमंत्री की बात सुननी है।

.....(*व्यवधान*)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा.....(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम माननीय मंत्री की बात सुनेंगे।

.....(*व्यवधान*)

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय मैं केवल एक मिनट लूंगा। मैंने भी नियम 193 के अंतर्गत सूचना दी है।.....*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक अवसर है और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि .....*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, उन्होंने अपनी बात कह दी है। अब हम माननीय गृह मंत्री की बात सुनना चाहते हैं.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही गृहमंत्री को बोलने के लिए कह दिया है।

.....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा। कृपया मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। किंतु आपको एक मिनट में अपनी बात समाप्त करनी होगी।

श्री रमेश चेन्नितला : ठीक है महोदय। महोदय, पोप जॉन पाल द्वितीय की यात्रा एक ऐतिहासिक अवसर है। किंतु माननीय सदस्य श्री विनय कटियार ने जो कहा वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा मानना है कि यदि भाजपा और सरकार का यह रवैया है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, इस संबंध में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। पोप जॉन पाल द्वितीय पहले भी इस देश की यात्रा पर आए थे। वे विश्व के ईसाई समुदाय के धार्मिक नेता हैं। वे एक संत राष्ट्राध्यक्ष हैं। भारत ने जॉन पाल द्वितीय का गर्मजोशी से स्वागत किया था किंतु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा और संघ परविार ने देश में विद्वेषपूर्ण वातावरण पैदा किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चेन्नितला, आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे?

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं ताकि जॉन पाल की यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो सके.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाइए, अब माननीय गृह मंत्री को उत्तर देने दीजिए। कृपया इस बात को समझने का प्रयास करें कि हमें अनेक मदों को लेना है। अनेक विधेयकों पर विचार किया जाना है। कृपया सहयोग दें। कल भी आपको मौका मिलेगा।

गृहमंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, सभा के अनेक सदस्यों ने सही कहा है कि महामहिम पॉल जान ने केवल सम्माननीय प्रमुख हैं.....*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : यदि गृह मंत्री उनका नाम ठीक से नहीं ले सकते है.....*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं अपनी बात को सही करता हूं, श्री मणि शंकर अय्यर महामहिम जॉन पाल द्वितीय वह न केवल एक महान धार्मिक समुदाय के आदरणीय प्रमुख हैं बल्कि वैटीकन राज्य के प्रमुख भी हैं जो कि भारत सरकार द्वारा अच्छी तरह जाने जाते हैं। भारत सरकार के आमंत्रण पर ही अगले महीने वह भारत आ रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के उल्लेख विशेषकर सभा में न किए जाएं जो कि सम्मानजनक न हो, उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए.....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जी, नहीं.....*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए.....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्होंने पोप जॉन पाल द्वितीय के पुतले को जलाया है.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी पूरी बात सुन लीजिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : उन्होंने पोप जॉन पाल के पुतले को जलाया है.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह बोल रहे हैं। कृपया पहले उन्हें बोलने दीजिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मुझे इस पर अपनी टिप्पणी नहीं करनी.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना--अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : गृह मंत्री जी को उनका पुतला जलाए जाने की भर्त्सना करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, ...व्यवधान न डालें। कृपया उन्हें बात पूरी करने दीजिए।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)* *

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आज की चर्चा के दौरान इस ओर से तथा उस ओर से अनेक टिप्पणियां की गईं जिनका आज की चर्चा से कुछ लेना–देना नहीं है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसलिए मेरा उन पर टिप्पणी करने का विचार नहीं है।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। गृहमंत्री के कार्यालय के सामने विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ताओं द्वारा पोप जॉन पाल के पुतले को जलाया गया। हिन्दुस्तान टाइम्स में यह प्रकाशित हुआ था। क्या गृह मंत्री इस पर ध्यान देंगे, इसकी भर्त्सना करेंगे और उन्हें गिरफ्तार करवायेंगे? आप कहते हैं, "मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।" आप कहते हैं कि आप इस प्रकार की टिप्पणी पर ध्यान नहीं देंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने बात पूरी नहीं की है।..... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, शून्यकाल के दौरान जब किसी मामले का उल्लेख किया जाता है तो सरकार चर्चा के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करती है।

.....*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : यदि यह श्री विनय कटियार द्वारा कही गई बात पर टिप्पणी है तो क्या वे इसे अस्वीकार नहीं कर रहे हैं? यदि वे इसे अस्वीकार करते हैं, तो श्री विनय कटियार जैसे व्यक्ति को उनके पीछे उनके बैंच पर बैठने की अनुमति क्यों दी जाए? ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा श्री मणि शंकर अय्यर जी कह रहे हैं वैसा मैंने कुछ नहीं कहा है.....*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, कटियार जी की तो ऐसी मनःस्थिति बनी हुई है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : हम यह नहीं भूल सकते कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री विनय कटियार ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का षड़यंत्र रचा था। मैं नहीं जानता कि क्या श्री एल. के. आडवाणी और श्री कटियार के बीच कोई संबंध है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि जो कुछ श्री विनय कटियार ने कहा है गृह मंत्री उसे न मानें। मैं चाहता हूं कि श्री विनय कटियार को इस सभा से निष्कासित किया जाए यदि उन्होंने इस तरह के विचार व्यक्त किए हैं।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)* *

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महामेघबाहन ऐरा खारबेल स्वाईं मैं बोल रहा हूं।

.....*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं बोल रहा हूं।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको कम से कम यह मालूम होना चाहिए कि 'शून्यकाल' के दौरान जब किसी मामले का उल्लेख किया जाता है तो सरकार उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। यह कोई विस्तृत चर्चा अथवा जवाब का विषय नहीं है। माननीय सदस्यों को बार-बार खड़े होकर जवाब का विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुनिए और फिर यदि कोई स्पष्टीकरण है तो आप पूछ सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पोप जॉन पाल द्वितीय इस देश के आदरणीय अतिथि हैं और भारत सरकार किसी भी पुतले को जलाने की भर्त्सना करती है। वह पोप जॉन पाल के आगमन के विरुद्ध किसी भी विरोधी कार्यवाही को ठीक नहीं समझते हैं.....*(व्यवधान)*

महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी यह कहा है. ....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : गृह मंत्री के कार्यालय के सामने पुतला जलाया गया था। आपने इस विषय पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आप उन्हें गिरफ्तार करने में असफल क्यों रहे?....*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि किसी पुतले को जलाया गया है, तो मैं इस बारे में नहीं जानता हूं.....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री कहते हैं कि वह इस बारे में नहीं जानते हैं। वह कहते हैं कि वह नहीं जानते हैं कि पुतले जलाए गए हैं। मैं हैरान हूं कि उन्हें यह कैसे नहीं मालूम है !.....*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : वह इस बात को भी नहीं जानते थे कि पाकिस्तानी कारगिल में घुस आये थे और विश्व हिन्दु परिषद उनके कार्यालय में उपस्थित थी। यह पूर्णतःअक्षम सरकार है !.....*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं बहुत स्पष्ट हूं.....*(व्यवधान)* सरकार का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने उनकी बात सुनी है? उन्होंने सरकार के निर्णय के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपना बयान दिया है। आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

.....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम व्यवधान नहीं डाल रहे हैं। मैं केवल एक निवेदन कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? आप गृह मंत्री जी की बात को सुनने की स्थिति में नहीं हैं?

.....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह नहीं जानते कि यह घटना हुई है। यदि गृह मंत्री की यह स्थिति है तो हम कुछ नहीं कर सकते। उनके कार्यालय के लॉन में पुतला जलाया गया था। यह *हिन्दुस्तान टाइम्स* में प्रकाशित हुआ है। वह इस बात को नहीं मानते हैं। यह गृह मंत्री का जवाब है।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : जीरो आवर में प्वाइंट ऑफ आर्डर कैसे अलाउ कर रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव आपका व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अधीन है?

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको नियम उद्धरित करना होगा। शून्यकाल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

.....*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। पहला मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी श्री बिनय कटियार द्वारा कही गयी बात से इन्कार करें.....*(व्यवधान)* दूसरी बात यह है कि मैं कहना चाहता हूं क्या यह सत्य नहीं है कि श्री आडवाणी और श्री कटियार ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का षडयन्त्र रचा था ?.....*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : क्या यह मणि शंकर अय्यर है आपका मणिशंकर अगस्टाइन हैं?.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

अपराह्न 12.40 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों को यथाशीघ्र नियमित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, गत दिल्ली सरकार ने 1071 अनाधिकृत बस्तियों को पास कर भारत सरकार के पास स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा था। परन्तु तत्कालीन केन्द्र सरकार ने स्वीकृति नहीं दी थी। स्वीकृति न मिलने के कारण दिल्ली के लगभग 20 लाख लोग जो इन बस्तियों में रहते हैं अत्याधिक कठिनाइयों का सामने कर रहे हैं। उनमें नागरिक सुविधाओं का अभाव है।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन कालोनियों को शीघ्र पास किया जाए।

(दो) मध्य प्रदेश के मुरैना – श्योपुर जिलों में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक छविराम अर्गल (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के मुरैना श्योपुर जिले के एम.ए.आर.आर. ग्रामीण पी. सी. ओ. 95 प्रतिशत खराब पड़े हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा उनके सुधार हेतु कोई उपाय अभी तक नहीं किया गया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूरे संसदीय क्षेत्र के खराब टेलिफोनों को शीघ्र सुधारा जाये तथा जो प्रतीक्षा सूची है उसे शीघ्र समाप्त किए जाने हेतु उपाय किए जावें।

(तीन) उत्तर प्रदेश में बहराइच जनपद के गन्ना किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री पद्मसेन चौधरी (बहराइच) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में चिलवरिया में स्थित सिभौली शुगर एंड केमिकल्स चीनी मिल के मालिक ने पिछले सत्र के पेराई के बाद ताला बंद कर दिया है। जिससे गत वर्ष के गन्ने का मूल्य बकाया पड़ा है। किसान बहुत ही परेशान हैं और रबी की बोआई में खाद, बीज आदि की व्यवस्था कर पाने में असमर्थ हैं। इस फैक्टरी के कार्यक्षेत्र में गन्ने की नई फसल को यदि नानपारा व बलरामपुर चीनी मिल में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा तो किसानों का गन्ना सूख जाएगा।

अतः किसानों को बकाया गन्ने का मूल्य दिलाने तथा फसल गन्ना की पेराई की व्यवस्था अविलम्ब की जाये।

(चार) उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के गन्ना किसानों के देय का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद और देवरिया संसदीय क्षेत्र में गन्ना किसानों को जो गन्ना उन्होंने गौरी बाजार, कठकुइयां, पडरौना और सरदार नगर चीनी मिलों को बेचा है, उसका इन मिलों ने भुगतान नहीं किया है। यह भुगतान दो से लेकर चार साल तक का बाकी है। वहां की चीनी मिलें ठीक नहीं चल रही हैं। यह सब मिलें अब निजी क्षेत्र में हैं। गौरी बाजार, कठकुइयां और पडरौना की चीनी मिलें पहले बी.आई.सी. में थी, अब निजी हाथों में बेच दी गई हैं। बेचते वक्त यह कहा गया था कि किसान के बकाया के भुगतान के लिए ही यह मिलें बेची जा रही हैं, लेकिन भुगतान अभी तक शुरू नहीं हुआ है। किसानों की स्थिति दयनीय है, क्योंकि गन्ने की खेती ही उस क्षेत्र का आर्थिक आधार है। किस क्षेत्र का गन्ना किस मिल को दिया जाये, यह भी शासन ही तय करता है। किसान अपनी उपज इसी आशा से बेचता है कि उसका दाम मिलेगा और अगर नहीं मिला तो शासन उसके भुगतान के लिए उचित कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार हमारे क्षेत्र के किसानों के भुगतान की जिम्मेदारी नहीं ले रही है।

इस समस्या की तरफ मैंने प्रदेश सकरार का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन उनका कहना है कि यह मिलें केन्द्र सरकार में कपड़ा मंत्रालय से संचालित होती हैं या निजी क्षेत्र में हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी को भी इस समस्या से अवगत कराया गया है और उन्होंने देवरिया में 25 सितम्बर को घोषणा की थी कि यह एक गंभीर समस्या है, जिसका हल बैठ कर निकाला जायेगा।

मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र, खास तौर से देवरिया एवं कुशीनगर के किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए एक टास्क फोर्स गठित की जाये, जो कि इस समस्या का हल निकाले।

[अनुवाद]

(पांच) देश में विशेष रूप से बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का उचित रख-रखाव करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद) : मैं इस सरकार का ध्यान बिहार की दोनों राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों की अत्यंत खराब स्थिति की ओर दिलाना चाहती हूं जिससे एक ओर वहां की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दूसरी ओर यह स्थिति उदारीकरण और विकास की संकल्पना को भी शून्य कर देती है।

सड़क मार्ग की उपेक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम डीजल के मूल्यों में हाल की वृद्धि का होना है। यह एक प्रचलन हो सकता है अथवा उपभोक्ता वस्तुओं पर और आगे राजसहायता न देना अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना हो सकता है। तथापि इस तथ्य को भूलना नहीं चाहिए कि भारत एक समाजवादी अर्थव्यवस्था से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है और इसलिए इस बात पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए कि आम आदमी पर कम बोझ पड़े। माल दुलाई पर प्रत्येक दस किलोमीटर के लिए भारत में डीजल की खपत विश्व में सबसे अधिक है। इसका तात्पर्य केवल यह है कि यदि सड़कें अच्छी होंगी तो बहुत कम संख्या में ट्रक बहुत कम डीजल की खपत से उतने ही माल की दुलाई अधिक सुरक्षित रूप से और कम समय में कर देंगे।

सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। चेक पोस्टों पर यातायात को रोकने से कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रथा को रोकना चाहिए। राजमार्ग विकास के कार्यान्वयन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करना चाहिए। अच्छी से अच्छी सड़कें होना विकास का अनिवार्य हिस्सा है और उनका रखरखाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए गहन निगरानी और उच्च स्तर के कार्य किये जाने की आवश्यकता है। भारी वाहनों के द्वारा सामान की दुलाई से आम आदमी को लाभ होता है और आवश्यक वस्तु उसके पास जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए।

मैं जल–भूतल परिवहन मंत्री से जो कि बिहार राज्य के हैं अनुरोध करना चाहती हूं कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग–एक की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दें और स्थिति में सुधार करने के लिए पर्याप्त उपाय करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है यदि सदन सहमत है तो श्री येरननायडू मेरे स्थान पर बैठेंगे।

अपराह्न 12.46 बजे

(**श्री के. येरननायडू** *पीठासीन हुए*)

(छह) केरल विशेष रूप से पालघाट जिले को फसल बीमा योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : केरल राज्य में खाद्य पदार्थों की कमी है। अब राज्य में किसानों को सहायता देकर चावल की पैदावार बढ़ाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। पालघाट केरल में महत्वपूर्ण चावल उत्पादक क्षेत्र है लेकिन केरल में उत्पादन लागत बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण चावल उत्पादकों पर भारी संकट आ पड़ा है। इसलिए केरल में चावल उत्पादकों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की अत्यंत आवश्यकता है। संघ सरकार द्वारा चलाई जा रही फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी लेकिन केरल राज्य को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल राज्य को विशेषकर पालघाट जिले को संघ सरकार द्वारा चलायी जा रही

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

(सात) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर को देश के प्रमुख शहरों से रेलगाड़ी से जोड़ने और वहां कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. बलिराम (लालगंज) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ रेलवे स्टेशन की ओर दिलाना चाहता हूं। पहले यह स्टेशन छोटी लाईन से जुड़ा हुआ था। सन् 1996 में इसको बड़ी लाईन में परिवर्तित किया गया तथा बाद में कम्प्यूटर आरक्षण द्वारा जोड़ा गया। लेकिन आज तक इस स्टेशन से कलकत्ता, मुम्बई, दिल्ली, मद्रास, जम्मू आदि स्टेशनों के लिए रेल नहीं चलाई गई और न ही कम्पयूटर को सभी स्टेशनों से जोड़ा गया और न ही वापसी टिकट यहां से मिलता है।

आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के नजदीक बनारसी साड़ियां मुबारकपुर में बनती हैं तथा देश–विदेश में जाती हैं। मुबारकपुर, खिरैयाकोट, खरिहानी, मेहनगर, बिन्द्राबाजार, लालगंज, मुहम्मदपुर, रानी की सराय, ठेकमा बाजा बरहद आदि क्षेत्र की जनता देश–विदेश में अपना जीविकोपार्जन करती है। ऐसे में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का महत्व और भी बढ़ जाता है, लेकिन सरकार द्वारा इस क्षेत्र की ओर समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण यहां की जनता, बुनकर, व्यापारी व नौकरीपेशा वालों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास व अन्य शहरों के लिए ट्रेनें चलाई जाएं तथा साथ ही सभी स्टेशनों से आने–जाने की कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

(आठ) तमिलनाडु में अर्कोनम और कठपाड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच शटल सेवा आरंभ करने और कठवाड़ी तथा विलीपुरम के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

डा. एस. जगतरक्षकन (अर्कोनम) : अर्कोनम और कठपाडी रेल लाइन कस्टम रेल लाइनों में से एक है और अर्कोनम और कठपाड़ी के बीच भारी संख्या में दैनिक यात्री सफर करते हैं। लेकिन इस लाइन पर कोई ई. एम. यू. अथवा शटल सेवा नहीं है जबकि इतने लंबे समय से मांग की जाती रही है।

इसी प्रकार अरकोट से नेय्यार होकर कठपाडी से विलोपुरम तक एक रेल लाइन बिछायी जाने की अत्यंत आवश्यकता है और इसलिए अरकोट और नेय्यार होकर कठपाड़ी और विलोपुरम के बीच पड़ी रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए।

इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अरकोंनम और कठपाड़ी के बीच एक शटल सेवा शुरू की जाए और कठपाड़ी और विलोपुरम के बीच एक नई रेल लाइन बिछायी जाए।

(नौ) तमिलनाडु में रासीपुरम संसदीय-क्षेत्र के लिए व्यापक पेयजल योजना के लिए पर्याप्त धन मंजूर किये जाने की आवश्यकता

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन क्षेत्र रासीपुरम में पानी की अत्यंत कमी है और नामक्कल कस्बे तथा आसपास के गांवों में यह समस्या और भी गंभीर है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई पर्वत और टीले हैं। इस क्षेत्र के लोग पीने के पानी के लिए भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। उन्हें पानी खरीदना पड़ता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का अधिक भाग गरीबी की रेखा से नीचे है और इस प्रकार वे पानी खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। नामक्कल जिला मुख्यालय है। वहां अनेक छोटे और बड़े उद्योग हैं। लेकिन वहां कोई समुचित जल योजना नहीं है। विद्यमान जल योजना मांग की पूर्ति को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सैकड़ों आवास इकाइयां बिना पीने के पानी की व्यवस्था किये बनाई जा रही हैं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नामक्कल और उसके आसपास के गांवों में विस्तृत पेयजल योजना बनाने के लिए पर्याप्त धन प्रदान करे।

(दस) बिहार में नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए विशेष सहायता पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : सभापति महोदय, बिहार राज्य का भोजपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, चतरा, पलामू, रोहतास इत्यादि, जिला उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र बनने लगा है, जो मानवता और सरकार के लिए चुनौती है। कभी यह इलाका अमन–चैन, सुख शांति और मानवता का प्रतीक था, परन्तु आज यह अशांत और उग्रवाद एवं हिंसा का प्रतीक बनता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि इस क्षेत्र के समुचित विकास के लिए भारत सरकार की ओर से अधिक प्रयास नहीं किया गया। कुछ निजी प्रबन्धन जैसे रोहतास उद्योग पूंज, जपला सीमेंट फैक्ट्री, बन्जारी सीमेंट फैक्ट्री कार्यरत थे जो आज बंद हो गए हैं। भारत सरकार की सहायता से चलने वाला एक मात्र पी. पी.सी.एल. भी बन्द होने के कगार पर है। कृषि पर आश्रित खेतिहर मजदूरों और किसानों की हालत भी बहुत खराब हो गई है। पढ़े–लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग फटेहाली, आर्थिक तंग का शिकार बनते जा रहे हैं। इस इलाके में एम. सी. सी. पिपुल्सवार जैसे संगठन सक्रिय हो गए हैं, जिसका एकमात्र कारण अशिक्षा, बेरोजगारी एवं कृषि की गिरती हुई दशा है।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र के सर्वागीण विकास के लिए, बेरोजगारों को रोजगार के लिए, कृषि को समुन्नत बनाने के लिए, औद्योगिक प्रबंधनों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज के अंतर्गत सहायता देकर दिग्भ्रमित नौजवानों तथा नागरिकों को बचाने का कष्ट करें।

(ग्यारह) सीमेंट, खाद्यान्नों, चीनी और यूरिया की पैकिंग में पटसन की बोरियों के अनिवार्य उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम 1987 के अंतर्गत जारी आदेश की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : भारत सरकार में वस्त्र मंत्रालय ने हाल ही में 15.12.1998 को सा.आ. 1076(ई) जारी किया है जिससे सीमेंट, खाद्यान्न चीनी और खाद की पैकिंग में पटसन थैलियों का अनिवार्य प्रयोग करने के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री, (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 के अंतर्गत जारी किये गए सांवधिक प्रतिबंध आदेशों में ढील दी गयी है।

सरकार ने सांवधिक प्रतिबंध आदेशों में ढील देने के निर्णय से पटसन उत्पादकों की बाजार को बहुत हानि होगी। अकेले उर्वरकों (खाद) के मामले में अनुमति हानि 72,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी। चीनी उद्योग मामले में 2,00,000 मीट्रिक टन जूट थैलियों की हानि होगी। सीमेंट उद्योग को जिसमें सीमेंट पैकिंग के लिए वास्तव में पटसन की बोरियों का उपयोग करना बंद कर दिया है, उक्त अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। निःसंदेह इसका पटसन उद्योग पर अत्यंत प्रतिकूल असर पड़ेगा।

चूंकि पटसन उद्योग का अस्तित्व दांव पर लगा है मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करे ताकि यथास्थिति रहे और उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं।

(बारह) शोरनूर से मंगलौर और शोरनूर से कालीकट तक रेललाइन को शीघ्र दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरण (कालीकट) : यद्यपि शोरनूर से मंगलौर तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य चल रहा है लेकिन कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं हैं। कल्लई, मुराद (बडकर) माहे आदि जैसे कई रेलवे पुलों के निर्माण का कार्य अभी तक आरंभ भी नहीं हुआ है। कोरापुजा तालेसेरी आदि स्थानों पर पुलों का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर यातायात के सुचारु संचालन के लिए कोजीकोडे, कन्नूर और कासरगोड़े जिलों में बहुत से उपरि पुल बनाए जाने चाहिए। सुनने में आया है कि कोजीकोडे जिले में वडकर में चोरोडे रेलवे गेट पर उपरि पुल के निर्माण के लिए भूमि का अभिग्रहण कर लिया गया है। लेकिन पुल के निर्माण का कार्य अभी तक आरंभ भी नहीं किया गया है। इस उपरिपुल के निर्माण का प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से लम्बित पड़ा हुआ है। रेलगाड़ियों के तीव्र गति से चलते रहने और मालाबार जोन में अधिक रेल सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए शोरनूर से कालीकट का रेल लाइन का दोहरीकरण नितांत आवश्यक है। जिसके लिए सरकार की ओर से प्रयास अनिवार्य है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सदन में संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक 1999 (अनुच्छे 334 का संशोधन) पर चर्चा की जाएगी। श्री राम जेठमलानी।

संसदीय कार्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह संविधान संशोधन विधयेक है, हमें इसमें सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होगी, यह विवादास्पद विधेयक नहीं है सदन का प्रत्येक वर्ग इसका समर्थन करेगा। लेकिन यदि हम मतदान हेतु समय निर्धारित करते हैं तो हम सदस्यों को सूचित कर सकते हैं ताकि वे उपयुक्त स्थान पर मतदान हेतु आ सकें और आज यह लोकसभा में पारित किया जा सके हमें इसे राज्य सभा में भी पारित करवाना है और उसके पश्चात् इसे 25 जनवरी से पहले देश की आधी राज्य विधान सभाओं को भेजना है। अतः यदि हम मतदान हेतु समय निर्धारित कर दिया जाता हैं तो हम सदस्यों को सूचित कर देंगे और वह मतदान के समय उपस्थित हो सकेंगे।

सभापति महोदय : क्या तीन घंटे पर्याप्त होंगे?

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : हम पांच घंटे चाहते हैं।

सभापति महोदय : इसे सभा में पारित करना है और राज्य सभा में भेजना है। तीन घंटे पर्याप्त हैं।

श्री कोडीकुनील सुरेश : हम अधिक चर्चा करना चाहते हैं इसलिए हम अधिक समय चाहते हैं हम कम से कम पांच घंटे चाहते हैं।

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : मेरा विनम्र निवेदन है कि हम सब इस विधेयक के विषय–सूची से सहमत हैं। कोई समस्या नहीं है। चूंकि यह मामला इतना गंभीर है अगर करोड़ों भारतीयों के जीवन से संबंध रखता है और माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी– मैं इससे सहमत हूं कि मतदान के लिए समय निर्धारित किया जाना चाहिए – यह तीन घंटे नहीं होना चाहिए, यह कम से कम चार घंटे कर देना चाहिए ताकि सभी इसमें भाग ले सकें....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मुझे तीन घंटे, चार घंटे, पांच घंटे अथवा दस घंटे में आपत्ति नहीं है। मेरी समस्या है कि चार बजे बाद की स्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसे स्थगित नहीं किया जा सकता। कार्यसूची के अनुसार इसे चार बजे लिया जाना है। और यह सदन के उठने तक जारी रहेगी। कृपया समझने का प्रयास कीजिए यदि इसे आज पारित नहीं किया जाता तो राज्यसभा में मेरे लिए केवल एक दिन का समय बचता है। हमें राज्यसभा में भी इसे इसी सत्र में पारित करवाना है और फिर देश की आधी विधानसभाओं के पास भेजना है। हमें इसे पारित करने के लिए विधानसभाओं को भी पर्याप्त समय देना होगा। 25 जनवरी से पहले यह विधेयक संविधान संशोधन कर सके। इसे पारित करना है। इसीलिए मैं चर्चा हेतु कम समय के लिए कह रहा हूं मैं किसी प्रकार की चर्चा के विरुद्ध नहीं हूं। यदि सदन समझता है कि बाद की स्थिति पर चर्चा की जरूरत नहीं है तो यह सदन के हाथ में है। नेताओं की बैठक में जहां प्रत्येक नेता उपस्थित था इस चर्चा हेतु निर्धारित समय तीन घंटे था। अभी एक बजे हैं हमारे पास तीन घंटे हैं और चार बजे हम मतदान करवा सकते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है।

सरदार बूटा सिंह : यदि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि उनका वक्ता बोले तो हमें आपत्ति नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : मतदान का समय क्या है?

श्री कोडी कुनील सुरेश : जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का संबंध है हम कई बातें कहना चाहते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, चर्चा हेतु चार घंटे दिये जाते हैं। मतदान पांच बजे होगा।

सरदार बूटा सिंह : मतदान पर हमें आपत्ति नहीं है। वे किसी भी समय मतदान करवा सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : क्या बाढ़ की स्थिति संबंधी चर्चा स्थगित की जा सकती है?

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : कई राज्य समुद्री तूफान से बुरी तरह प्रभावित है। इसे कैसे स्थगित किया जा सकता है? इसके बाद सभा में चर्चा हेतु कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।

श्री प्रमोद महाजन : मैं समुद्री तूफान संबंधी चर्चा और संविधान संशोधन विधेयक के बीच में फंस गया हूं। मैं नहीं जानता कि क्या किया जाये।

श्री कोड़ी कुनील सुरेश : हम मतदान के लिए रात में बैठ सकते हैं।

सरदार बूटा सिंह : आप मतदान के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : चर्चा समाप्त होने से पहले आप मतदान नहीं करा सकते।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण को बढ़ाने का कार्य संविधान में संशोधन करके किया जाना चाहिये। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि हमें इस विधेयक को पारित करने से पहले कई चीजों को इसमें शामिल करना होगा। पीठाध्यक्ष कृपया नोट करें कि हम उस समय कर रहे थे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सुधार के लिए केवल दस वर्षों की आवश्यकता है। लेकिन हम पांच बार संशोधन पारित कर चुके हैं। यह छठी बार है कि हमें संशोधन करने की आवश्यकता है।

अपराह्न 1.00 बजे

इतना विलंब किसलिए ? हमें उन मामलों पर चर्चा करनी होगी और मैं आशा करता हूं कि कम से कम अगली सहस्राब्दी में इस अधिनियम में कोई संशोधन न करना पड़ें ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह आवश्यक नहीं कि सभी इसमें भाग लें। श्री राधाकृष्णन, कल नेताओं की बैठक में हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी और निर्णय लिया था कि यह समय तीन घंटे रखा जाये। श्री बूटा सिंह ने चार घंटे का समय मांगा है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में प्राकृतिक आपदा के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण चर्चा करनी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मेरा विनम्र निवेदन है कि सदस्य का मौलिक अधिकार है कि वह चर्चा की मांग करे।

सभापति महोदय : ठीक है। सभा में संसदीय कार्य मंत्री ने इस विधेयक के शीघ्र पारित करने की महत्ता को बता दिया है। कृपया पीठाध्यक्ष के साथ सहयोग कीजिए। अतः हमने चार घंटे का समय निर्धारित किया है और मतदान शाम पांच बजे होगा।

....*(व्यवधान)*

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या शाम 5 बजे नियम 193 के अधीन चर्चा की जाएगी?

सभापति महोदय : वह चर्चा बाद में की जाएगी।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : मुझे एक सुझाव देना है। नियम 193 के अधीन चर्चा अपराह्न 4.00 बजे शुरू होगी और हम अपराह्न 6.00 बजे के बाद संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हम अपराह्न 4.00 बजे तक चर्चा जारी रख सकते हैं, फिर हम नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू कर सकते हैं। अपराह्न 6.00 बजे के बाद हमारे पास संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय होगा। यह केवल मेरा एक सुझाव ही है।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : परन्तु चर्चा के बाद, इस पर मतदान होगा और फिर हम प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : तो क्या नियम 193 के अधीन चर्चा अपराह्न 5.00 बजे शुरू की जाएगी?

सभापति महोदय : जी हां।

....*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.02 बजे

संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 334 का संशोधन)

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

संविधान का चौरासीवां (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करते हुए मैं,

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : क्या यह चौरासीवां संशोधन है?

श्री राम जेठमलानी : यह चौरासीवां संशोधन विधेयक है परन्तु जब यह कानून बन जाएगा तो यह उनासीवां संविधान संशोधन बन जाएगा। इसलिए हमें इसके साथ एक संशोधन भी पेश करना होगा।

मैं दो बातों पर विचार कर रहा हूं जिससे आज की लम्बी चर्चा समाप्त हो सकती है। वास्तव में, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे संविधान निर्माताओं की मूल आशाएं यह थीं कि पहले पन्द्रह वर्षों के अंदर हम समाज के हर वर्ग के लिए समान कार्य क्षेत्र बना सकेंगे। परन्तु हमें हर दस या 15 वर्षों में अपनी असफलता का स्पष्टीकरण देने के लिए सभा के समक्ष आना पड़ा। मैं यह सोच रहा था कि मुझे दोनों सदनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्यों की अनौपचारिक बैठक बुलाऊं। यह बैठक चार घंटे की चर्चा के रूप में नहीं बल्कि तीन दिन के सम्मेलन के रूप में बुलाई जाए जिसमें प्रत्येक मुद्दे पर जिनमें वे मुद्दे भी शामिल होंगे जिस पर विधायी कार्यवाही की आवश्यकता होती है तथा वे भी जिन पर विधायी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, बारीकी से चर्चा की जाएगी और इस प्रकार हमें इस संबंध में एक योजना का प्रारूप तैयार करना चाहिए।

मैं यहां उपस्थित माननीय सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव करता हूं कि यह सम्मेलन शीतकालीन सत्र के शुरू होने से कुछ पहले आयोजित किया जाना चाहिए।

दूसरा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से एक रिपोर्ट आने की संभावना है। यह आयोग आरक्षण प्रणाली लागू करने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियति में सुधार लाने संबंधी आरक्षण उपायों की ओर ध्यान देता है। जब यह रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की जाएगी उस समय हम सभा में और चर्चा कर सकते हैं क्योंकि वह चर्चा अपेक्षाकृत अधिक सूचना प्राप्त चर्चा होगी। क्योंकि सदन से बाहर दो–तीन दिन तक हम इन समस्याओं पर चर्चा कर चुके होंगे। महोदय, फिर भी ये ऐसे मामले हैं जिन्हें मैं माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूं। औपचारिक या अनौपचारिक रूप से प्रत्येक सदस्य मुझसे संपर्क कर सकता है। आप जब चाहें मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके साथ बैठकर यह चर्चा करने का इच्छुक हूं कि क्या किया जाना चाहिए।

जहां तक किए जा रहे वर्तमान उपायों का संबंध है मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस प्रस्ताव को कुछ हद तक हर्ष और विषाद की मिश्रित भावनाओं के साथ पेश कर रहा हूं। मुझे दुख इस बात का है कि हम पूरी तरह असफल रहे हैं। "पूरी तरह से असफल" कहना कुछ अतिश्योक्ति हो सकती है। परन्तु डा॰ अम्बेडकर जी और उनके विद्वान साथी संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में काफी असफल रहे हैं।

संविधान निर्माताओं ने समाज के एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर किए गए अपमान और अत्याचार की परिकल्पना की थी। संविधान ने बहुत ही सावधानीपूर्वक यह निर्णय किया था कि समान स्तर बनाने के लिए विशेष कदम उठाने होंगे ताकि हम सदियों के अत्याचार से होने वाले नुकसान और असक्षमता की भरपाई की जा सके। परन्तु दुख इस बात का है कि संविधान निर्माताओं ने पन्द्रह वर्षों के अंदर ही जीवन के मानकों और उन तरीकों में तेजी से बदलाव आने की आशा की थी। जिनके दायरे में समाज के पददलितों को लिया जाता है। परन्तु खुशी इस बात की है कि डा॰ अम्बेडकर और उनके विद्वान मित्रों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के प्रति हमारी वचनबद्धता कम नहीं हुई है और इस सभा का प्रत्येक वर्ग इस बात से सहमत है कि विशेष उपाय किए जाने होंगे और इतना ही नहीं बल्कि अब उन्हें और से ज्यादा मजबूत बनाया जाना चाहिए क्योंकि हमें अब यह पवित्र संकल्प करना चाहिए कि हम अगले दस वर्षों के अन्दर वह प्राप्त कर लेंगे जो हम पिछले पचास वर्षों में नहीं कर सके। यह बात कुछ ज्यादा ही आशावादी लग सकती है। परन्तु जब तक हम इस काम को एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ाते, जब तक हम इस महान् कार्य के लिए अपने सारे भौतिक, नैतिक आध्यात्मिक संसाधनों को उपयोग में नहीं लाते तब तक मैं समझता हूं कि मेरे भावी उत्तराधिकारी विधि मंत्री जी को फिर इस सभा के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि हम अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं इसलिए हमें यह अवधि और

दस या पन्द्रह वर्षों के लिए और बढ़ानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि भविष्य में किसी आने वाले विधि मंत्री के साथ ऐसी स्थिति न हो।

निश्चय ही यह विधेयक एक अविवादास्पद विधेयक है। सच तो यह है कि जिस आवश्यकता के कारण संविधान में अनुच्छेद 334 लाया गया वह समाप्त नहीं हुआ है। हम सभी इस बात से सहमत हैं। इसलिए पचास वर्षों की इस अवधि, जो कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली है, को बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए, इसमें निःसंदेह कोई विवाद नहीं है। आप आज जो कुछ भी कहना चाहते हैं उससे उस मूल बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो मैं इस सभा से स्वीकार करने के लिए कह रहा हूं। इसके साथ कई अनुषंगी मामलों को भी मुख्य प्रश्न में शामिल किया जाएगाः हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं क्या आरक्षण ही उनका एकमात्र समाधान है? हमें अन्य कौन से उपाय करने हैं? लोगों की मानसिकता को आमतौर पर किस तरह बदला जाए कि सबके मन में भाईचारे, समानता और गौरव की भावना आए? ये सभी गंभीर समस्याएं हैं। परन्तु इन सभी समस्याओं और उन समस्याओं पर आपकी टिप्पणियों का इस विधेयक की मूल भावना पर कुछ असर नहीं पड़ेगा कि आरक्षण को दस वर्षों के लिए जारी रखा जाए। जब तक उन्हें दस वर्षों के लिए जारी नहीं रखा जाता तो आपको उस समस्या के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा जिनके बारे में आप सोचते हैं।

जहां तक मेरा संबंध है, मैं इस विधेयक के बारे में बोलने के लिए आया हूं। अगर यह सभा चार-पांच घंटे या मध्यरात्रि तक चर्चा करना चाहती है तो मैं मध्यरात्रि तक, जब तक आज यह विधेयक पारित न हो जाए, बैठने के लिए तैयार हूं ताकि मैं इसे कल राज्य सभा में प्रस्तुत कर सकूंगा। इसलिए यह फैसला करना सभा का काम है कि मतदान अपराह्न 4.00 बजे हो या 5.00 बजे।

मेरा सुझाव है कि इस पर और चर्चा किए बिना इसे एकमत से पारित कर दें। परन्तु अगर यह सभा और तीन घंटे चर्चा करना चाहती है और कुछ सदस्य अपने विचारों को कार्यवाही वृतांत में शामिल करवाना चाहते हैं तो मैं यह धैर्यपूर्वक बैठ कर आदरपूर्वक उनके विचार सुनूंगा। मैं जानता हूं कि श्री राजेश पायलट जी क्या कहेंगे। मैं उन्हें पहले आश्वासन दे सकता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं कि वे क्या कहेंगे, उस पर सरकार ससम्मान गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। इस पर न केवल सरकार, बल्कि मैं स्वयं और इस सरकार में मेरे सभी सहयोगी तथा सभा के अन्य सभी सदस्य जिनके मन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति हितैषी की भावना है, वे सभी तीन दिवसीय सम्मेलन, जैसा कि मैंने कहा था, में भाग लेंगे और हम सब मिलकर विचार-विमर्श से इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। ये समाधान चाहे कुछ हो, हम उन्हें संसद के शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मत संकल्प के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अब मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सभापति महोदय, पिछली बार जब हमने इस विधेयक पर चर्चा की थी तो हमने कहा था कि इन निर्वाचन क्षेत्रों को बारी-बारी से आरक्षित किया जाना चाहिए। जब हमने पूरे देश का दौरा किया तो इन निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों की शिकायत थी कि अमुक विशेष निर्वाचन क्षेत्र विगत 50 वर्षों से आरक्षित है, हमें देखना होगा कि क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या आज की उसी स्तर पर है या उस निर्वाचन क्षेत्र से लगे निर्वाचन क्षेत्रों में उसी जिले में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या अधिक है। अतः इन निर्वाचन क्षेत्रों को बारी-बारी से आरक्षित किया जा सकता है। मेरे विचार से सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, यह बात मेरे ध्यान में है। माननीय सदस्य यह समझ लें कि हम इस समस्या से अवगत हैं। यह समस्या मूलतः निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की समस्या है। जिस पर हम निश्चित तौर पर गंभीरता से विस्तार पूर्वक विचार करेंगे।

श्री राजेश पायलट : धन्यवाद।

सभापति महोदय : चूंकि सरकार में इस विषय पर एक तीन दिवसीय सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया है। अतः मेरा सुझाव है कि मतदान 5.00 बजे के बजाए 4.00 बजे कराया जाए ताकि विधेयक के पारित होने के बाद सभा प्राकृतिक आपदा पर चर्चा कर सके।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : सभापति महोदय, संसद में चर्चा संसद से बाहर सम्मेलन बुलाने से अधिक महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : यह मेरा सुझाव मात्र है यदि इस सुझाव पर सभा सर्वसम्मति से सहमत होती है तो मतदान 4.00 बजे होगा अन्यथा मतदान 5.00 बजे ही होगा।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : सभापति जी, यहां जो संविधान का 84 वां संशोधन विधेयक आया है, यह एक औपचारिकता है, एक रूटीन मामला है। साधारणतः यह पिछली लोकसभा में आ जाता, चूंकि पिछली लोकसभा सर्वाइव नहीं कर पाई इसलिए इस लोक सभा में आया है। यह विधेयक अपने आप में इस बात का संकेत है और इस बात को प्रकट करता है कि इस देश में 30 करोड़ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ जो वायदे संविधान के माध्यम से किए गए थे वे आज 50 सालों के बाद भी पूरे नहीं हुए हैं बल्कि अब उनकी जो परिस्थिति है, आज समाज में जो उनकी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक हालत है, उसे देखकर हमें दुख होता है क्योंकि 50 सालों में उनकी हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी समाज में उनका उतना ही निरादर हो रहा है, आज भी उनका उतना ही शोषण हो रहा है जितना पहले होता था।

[सरदार बूटा सिंह]

सभापति महोदय, इस संविधान संशोधन विधेयक में, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, केवल एक ही लाइन का संशोधन है और साधारण तौर पर, इसे पढने से लगता है कि इसमें कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन इसमें इतना कुछ कहने को है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब हम इस शताब्दी के अन्त में इस संशोधन को पास करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो यह स्वाभाविक है कि जो कुछ पिछली अर्धशताब्दी में हुआ है, उस पर ध्यान दें। इसकी बैकग्राउंड कांस्टीट्यूएंट एसैम्बली से ही शुरू नहीं होती है। अभी माननीय जेठमलानी जी ने कहा कि हमारी कांस्टीट्यूएंट एसैम्बली में संशोधनों का प्रावधान किया गया था।

परन्तु उनको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर संशोधनों की प्रथा सन् 1926–1927 से शुरू हुई जबकि सभी जातियों के लिए संशोधन थे जिसमें मद्रास प्रैजीडेंसी और बम्बई प्रैजीडेंसी में हरिजनों के लिए 22 प्रतिशत, मुस्लिम्स के 0.6 प्रतिशत, क्रिश्चियन्स के लिए 0.7 प्रतिशत, हिन्दूज़ के लिए 12 प्रतिशत, हिन्दू नॉन–ब्राह्मण के लिए 38 प्रतिशत और हिन्दू ब्राह्मण के लिए 13 प्रतिशत। यह आज की बात नहीं है, यह आरक्षण की नीति अंग्रेज के वक्त से चली हुई है और आखिर में इस नीति को परम पूज्य डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों और पिछड़े हुए लोगों को मुक्ति दिलावाने के लिए ऐसे समाज से, जिस समाज ने जाति प्रथा के अंदर उनको पीस–पीसकर उनके जीवन को अमानवीय जीवन बनाया हुआ था, उसको समाप्त करने के लिए पूरा जीवन ब्रिटिश सरकार के अगेन्स्ट संघर्ष किया। देश के अंदर जा साम्प्रादायिक शक्तियां थीं, उनके खिलाफ संघर्ष किया। राम विलास जी जानते हैं, 1932 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सामने जब यह परिस्थिति पैदा हुई कि देश के अंदर जो आजादी से पहले सम्प्रदाय के नाम से विभाजन हो रहा था, जिसमें डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रभाव से देश के दलित, दबे पिसे लोग इकट्ठे होकर एक शक्ति के रूप में उभरे तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद देश की एकता और अखंडता नहीं बच पाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पुणे में बहुत बडा प्रयास करके देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए अपना आमरण अनशन रख दिया। उसे लेकर देश की सभी पार्टियों के नेताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर से अपील की और बाबा साहेब ने देश की एकता और अखंडता को सामने रखते हुए एक राजनैतिक समझौता महात्मा गांधी जी के साथ किया। जेठमलानी जी, इसकी शुरूआत यहां से होती है। फिर इसको हमारे देश के संविधान में दिया गया ताकि इसे कानून का रूप दे दिया जाए। परन्तु इसकी शुरूआत सन् 1932 में हुई और 1932 में पुणे पैक्ट के नाम से जो कागज दस्तखत किए गए, उसमें इसके दो पहलू हैं – पूणे पैक्ट के क्लॉज 6 में लिखा हुआ है–

[अनुवाद]

"इसमें प्रावधान किया गया है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में और लोक सेवाओं में नियुक्ति में दलित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।"

[हिन्दी]

जो बिल आज आपने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है, विधान सभा और संसद लोकतांत्रिक निकायों में प्रतिनिधित्व, उसमें भी अभी बहुत कुछ अधूरा है। जेठमलानी जी, आपने कौन्फ्रेंस बुलाने का आह्वान किया है। हम उस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नहीं है मगर आपके दाएं हाथ के पास बैठे हुए राम विलास पासवान जी ने इसका समाधान आज से दो–तीन साल पहले पार्लियामेंट के अंदर, कैबिनेट के अंदर एक आर्डिनेंस के रूप में पेश किया था। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि उस आर्डिनेंस को आप सेंट्रल एक्ट के रूप में तुरंत ले आइए। आपको कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही नहीं है। उसमें सब कुछ देख लिया गया है। उस आर्डिनेंस में आज तक आरक्षण नीति के तहत सरकार की तरफ से, न्याय प्रणाली की तरफ से, नौकरशाही की तरफ स जो अधिकरण कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया, वह पांच भारत सरकार के ऑफिशियल मैमोरंडम, जिनकी वजह से एक–एक करके आरक्षण के सभी पहलुओं को खत्म किया गया। उसके बाद हम यह समझते थे, पिछली लोक सभ में 17 और 18 मार्च को इसी सदन के अंदर सभी पक्षों की ओर से लोक सभा के 86 सदस्यों ने एक ज्ञापन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी, सी. पी. एम., सी. पी. आई. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल आदि के लोग थे। सभी ने दस्तखत करके यूनैनिमसली एक मैमोरंडम दिया था और उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री उस मैमोरंडम, जो पुराना गुजराल साहब के वक्त का आर्डिनेन्स था, जिसके ऊपर भारत सरकार के कक्ष में अभी तक धूल पड़ी हुई है, को इसी सदन में लाएंगे, और जो पांच आफिशियल मैमोरेंडा भारत सरकार की ओर से जारी करके हमारी आरक्षण नीति की जड़ें काट दी गई हैं, उन सब को वापस करेंगे। मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद जब पूरा देश लोक सभा के इलैक्शंस में उलझा हुआ था तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसले और कर दिये, जो बहुत ही घातक हैं परन्तु मैं आज इस बात पर चर्चा नहीं करूंगा। विधि मंत्री जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जितने हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट के फैसले आरक्षण नीति के तहत आदिवासी अथवा दलित लोगों के खिलाफ आये हैं, उनके ऊपर सामूहिक तौर पर चर्चा इस सदन में हो जाये, क्योंकि वह उसकी बुनियाद है, वह उसकी रूट है, उसकी जड़ है। दुर्भाग्यवश हमारा यह विभाग, हमारा यह विषय तीन मंत्रालयों में बंटा हुआ है। एक मंत्रालय माननीय राष्ट्रपति जी ने एलोकेशन आफ बिजनेस के नाम से दिया है, एक मंत्रालय प्रधान मंत्री जी की देखरेख में है.....*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज उ.प्र.) : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सरकार की नीयत साफ नहीं जान पड़ती। सदन में सदस्यों का अभाव है, कोरम का अभाव है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : संबंधित मंत्री, अन्य कैबिनेट और राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : सभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो फैसले आये हैं, उनके उन फैसलों का पूरा का पूरा असर केवल दलित वर्ग और आदिवासी, बैकवर्ड क्लासेज के हितों के खिलाफ हुआ है। बहुत से हाई कोर्ट्स के ऐसे फैसले भी हैं, मुम्बई हाई कोर्ट के हैं, केरल हाई कोर्ट के हैं, मद्रास हाई कोर्ट के हैं और सुप्रीम कोर्ट का है, जिन फैसलों के माध्यम से आरक्षण नीति को बल मिलता है। परन्तु खेद से कहना पड़ता है कि जिन फैसलों के माध्यम से दलित और आदिवासी वर्ग के लोगों का फायदा हो, उन फैसलों को छुआ तक नहीं गया, दरकिनार कर दिया गया और सब्सीक्वेंटली यदि कोई मसला किसी हाई कोर्ट में उठता है तो उन फैसलों को रद्द कर दिया गया।

मैं एक उदाहरण दूं, हाल ही में जो सबसे आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, मैं किसी जज या किसी न्यायालय के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करूंगा, मगर जो प्रक्रिया कचहरियों के अन्दर चल रही है, जिससे दलितों का और आदिवासियों का पतन हो रहा है, उसका उल्लेख जरूर करूंगा। सबसे आखिरी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की पांच मैम्बर बैंच ने किया है, जिसकी अध्यक्षता हमारे देश के उच्चतम न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस ने की, इससे पहले उसी मसले के ऊपर एक फैसला हुआ था, जिसमें सात मैम्बर बैंच बैठी थी और उसमें कहा गया था कि दलितों और आदिवासियों के आरक्षण का जो मामला संविधान में है, वह उनका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि हमारे संविधान के पार्ट थ्री में अनेकों धाराएं हैं, आर्टीकल हैं अथवा फंडामेंटल राइट्स हैं। परन्तु मुझे उस फैसले को पढ़कर दुख हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान बैंच ने उस फंडामेंटल राइट को बदलकर एनेबलिंग प्रोविजन का दर्जा दे दिया। नतीजा यह हुआ कि कांस्टीट्यूशन के पार्ट थ्री के सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स, उसके सारे के सारे आर्टीकल्स, मगर उसके एक आर्टीकल का छोटा सा अनुच्छेद, जिससे दलित वर्गों का और आदिवासियों का फायदा हो, उसको सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस की बैंच ने यह कह दिया कि यह फंडामेंटल राइट नहीं है।

हमारे माननीय मंत्री जी देश के बहुत बड़े ज्यूरिष्ट हैं और बहुत लीडिंग लॉयर है। मैं उनके माध्यम से इस सदन से एक अपील करना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन लिखना और कांस्टीट्यूशन में संशोधन करना केवल इस सदन का काम है। इस सदन के अलावा हमारे डैमोक्रेटिक सेट-अप में किसी को भी यह अधिकार नहीं है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किसने दिया, मैं इतना ही आपसे पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

दूसरे, यदि संविधान इस बात को मानता है कि संविधान के भाग-तीन में मौलिक अधिकार हैं। फिर उच्चतम न्यायालय को इस विशेष खंड को सामर्थ्यकारी उपबंध घोषित करने का अधिकार कहां से मिला।

[हिन्दी]

मालूम है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि इसका दुष्परिणाम क्या होता है।

इसका पहला दुष्परिणाम क्या हुआ, यह मैं बताना चाहता हूं। मैं एक प्रांत की बात नहीं कहता, सभी प्रांतों की राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो कार्यवाही शुरू की है, उससे लाखों दलित, और आदिवासी कर्मचारियों का जीवन दूभर हो गया है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं पंजाब से देना चाहता हूं। वहां से मुझे एक फैक्स मिला है। उसमें लिखा हुआ है कि पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले के अंतर्गत जो लोग प्रमोट हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट फैसले के तहत वहां की सरकार ने उनको रिवर्ट कर दिया है। हम समझ सकते हैं कि न्यायपालिका की जजमेंट को कार्यान्वित करना राज्य सरकार का काम है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। इस फैक्स में यह भी लिखा हुआ है कि जितने अंतराल के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले वाले कानून के मुताबिक ये दलित और आदिवासी कर्मचारी प्रमोट होकर उस पद पर रहे, अब उनको रिवर्ट करके उनसे उस पांच-छः साल की अवधि की सैलरी काटी जा रही है। देश में पहली बार हमने ऐसा देखा है कि एक तरफ हम संविधान के माध्यम से काम करते हैं, मंत्री जी भाषण देते हैं कि इस समाज का, इस वर्ग का उत्थान करने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ न्याय प्रणाली के नाम से बहुत तेज छुरी के साथ हमारी गर्दन काटी जा रही है। आपके पास इसका क्या समाधान है? आपने कहा कि तीन दिन की कांफ्रेंस बुलाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मंत्री जी आपकी आत्मा शुब्द हो सकती है, आपके विचार हमारे साथ हो सकते हैं, लेकिन आप ही ऐसे मंत्री नहीं हैं जो इस विषय को डील करते हैं। यह विषय तीन विभागों में बंटा हुआ है।

सबसे पहला विभाग सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता मंत्रालय है, जिसको राष्ट्रपति जी ने यह काम सौंपा है। उसके बारे में जितना थोड़ा कहा जाए, उतना ही अच्छा है। पिछले दिनों कई लोगों ने यह बात प्रकट तौर पर कही है। मैं किसी व्यक्ति या किसी मंत्री के ऊपर कभी आक्षेप नहीं करता हूं, लेकिन जिस ढंग से पिछले दो साल 13 महीनों से इस मंत्रालय का संचालन हुआ है, उसके लिए सत्ता पक्ष के कई सदस्य मेरे पास आए और कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जो प्रतिमा उनके दफ्तर में लगी थी, उन्होंने आते ही कह दिया कि इसे मेरे कमरे से बाहर फेंको। मैं समझता हूं कि ऐसी परम्परा हमारे देश की कभी नहीं रही। हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की शताब्दी मनाई थी और भारत

[सरदार बूटा सिंह]

सरकार की तरफ से करीब 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए थे। डा. साहब अम्बेडकर फाउंडेशन नाम से एक संस्था चली थी। उसके लिए बहुत से फैसले हुए थे, अभी समय कम है, फिर कभी मैं उनके बारे में जिक्र करूंगा। उस फाउंडेशन से सभी अधिकारियों को निकाल दिया गया, जबकि उसके चार्टर में लिखा हुआ है कि जहां तक प्रयास होगा इसका सचिव होगा, वह या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होगा। यह डिटेल का मसला है, फिर कभी इसे बताऊंगा, मगर सबसे बड़ा नुकसान वर्तमान मंत्री जी के होते हुए हुआ। इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो हर साल के बजट में आदिवासी ओर अनुसूचित जाति की बच्चियों के लिए 250 करोड़ रुपए रखे जाते हैं, लेकिन 1998 और 1999 के बजट में इस पैसे को खर्च नहीं किया गया, जिससे यह पैसा लैप्स हो गया। दूसरी बात यह है कि देश के सफाई कर्मचारी जो अपमानजनक धंधा करते हैं और इन्सान का मलमूत्र अपने सिर पर ढोते हैं उनकी मुक्ति के लिए 90 करोड़ रुपए हर साल बजट में रखे जाते हैं, ताकि उनके बच्चे पढ़–लिखकर अपने जीवन को सुधारने के लिए कोई अच्छा काम करना चाहें तो इस पैसे के माध्यम से कर सकते हैं, इसीलिए यह बजट रखा जाता है।

वह 90 करोड़ रुपया 1998 और 1999 में खर्च नहीं किया गया और उस पैसे को बिल्लियों के लिए, कुत्तों के लिए, छिपकलियों के लिए, बन्दरों के लिए, भालुओं के लिए डाइवर्ट कर दिया गया।. ...*(व्यवधान)* मैडम, यह सारा रिकार्ड में है, आपको पता चल जाएगा। हमें इस बात का बहुत ही दुख है कि और हम सोचते थे, आप जैसे महान् नेता के हाथ में जब यह मंत्रालय आएगा, तो इसमें कुछ वृद्धि हो सकेगी और प्रगति हो सकेगी।

दूसरा मुद्दा आरक्षण नीति का है। आरक्षण नीति का संचालन डिपार्टमेंट आफ पर्सोनैल करता है। जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, राष्ट्रपति महोदय द्वारा भारत सरकार के एलोकेशन आफ बिजनेस से संबंधित आदेश में लिखा है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रिजर्व्ड सर्वेसेज का संचालन मिनिस्ट्री आफ सोशियल वैलफेयर करेगा। आप पांच साल में एक बार आयेंगे या दस साल में आयेंगे और आप दस साल के लिए, तो दस साल के बाद आपके दर्शन होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरक्षण के नाम से जितने भी दलित और आदिवासी लोग हैं, उनको घृणा से देखा जा रहा है। बड़े–से–बड़े अधिकारी चाहे वह वह दलित हो या आदिवासी, जब वह सैक्रेटेरिएट में जाता है, तो बड़ी जाति के लोग उस पर उंगली उठाते हैं और घृणा से देखते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इसका असर हो गया है। आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है। जो सुपर हाइयेस्ट एजूकेशन है, जिसमें डाक्टर, इंजीनियर, स्पेस, हवाईजहाज इंजीनियर आते हैं, इनमें एडमीशन में आरक्षण बन्द। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सुपर स्पेशियलिटी टर्म दी है।

सभापति महोदय, आप दक्षिण से आते हैं, दक्षिण में भी एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है और वह धन्धा है– मेडिकल कालेजेज का। मेडिकल कालेजो में आपने प्रतिबन्ध लगा दिया कि रिजर्वेशन में एडमिशन नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक प्रावधान कर दिया कि कालेजेज में 15 से 50 प्रतिशत तक आप एन आर आई के बच्चों को ले सकते हैं और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन मुट्ठी पर डालर या मुट्ठी पर पाउंड या स्टर्लिंग ले सकते हैं। आप विदेश के एक बच्चे को एडमिशन दे सकते हैं, जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैरिट नहीं है, लेकिन देश की धरती पर जन्मा बच्चा भूखा रहता है, नंगा रहता है, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। यह विडम्बना है। जेठमलानी जी, आप कुछ करिए, क्योंकि आप इन बारीकियों को खूब समझते हैं।

तीसरा मुद्दा डिपार्टमेंट आफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग का है। इस विभाग को केवल कन्ट्रोलिंग अथारिटी बना दिया गया है। प्रधान मंत्री जी इस विभाग के मंत्री हैं। हमें खुशी होनी चाहिए थी, प्रधान मंत्री जिस महकमे के खुद मंत्री हैं, उस महकमें की मॉनीटरिंग शिद्दत से होगी और जोर से होगी। राज्य सरकार हो या यूनियन टैरेटरी या भारत सरकार के खुद के अपने कार्यालय या पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स हों, जिस विभाग के प्रधान मंत्री हैड हों, उस स्थिति में तो पूरे देश के अन्दर एक लहर जानी चाहिए कि कोई इस पर कार्यवाही नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मगर दुख इस बात का है कि डिपार्टमेंट आफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग ने इन लोगों को शिकार बनाया है। एक नहीं, दो नहीं, जनवरी 1997 से अगस्त, 1997 तक पांच ऐसे आफिशियल मैमोरंडम पेश निकाले, जो विभाग प्रधान मंत्री जी के अंतर्गत हैं। एक–एक आफिशियल मैमोरंडम को लेकर हमारे देश के कमीशन फार शैडयूल्ड कास्ट्स एंड शैडयूल्ड ट्राइब्स ने एक–एक मंत्री के दरवाजे को खटखटाया, प्रधान मंत्री जी के पास भी गए, लेकिन सबसे एक ही जवाब मिला कि हम क्या करें, यह तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्पन्न हुआ है।

फिर हम एक बहुत बड़ा शिष्ट मंडल लेकर प्रधान मंत्री जी के निवास पर गये। जिसमें आदरणीय बालयोगी जी, राम विलास पासवान जी, संघप्रिय गौतम जी और रिपब्लिकन पार्टी सहित सभी दलों के लीडर थे। प्रधान मंत्री जी को हमने कहा कि यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के माथे आप मत मढ़िये, जो ब्यूरोक्रेसी द्वारा किए गये केसेज हैं उनको वापस ले लीजिए। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने हमारी बात को सुनने के बजाए....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बूटा सिंह आपका समय समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : मैं एक मिनट भी फालतू नहीं लूंगा। आप जानते ही हैं कि किस तरह से 12वीं लोक सभा में इस इश्यू पर सदन को परेशानी का सामना करना पड़ा था। हम नहीं चाहते कि

अब परेशानी हो। हम अपना एक रचनात्मक रोल अदा करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर से जो वायदा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था उसके साथ खिलवाड़ न हो। अगर ऐसा न किया गया तो मैं कोई वार्निंग नहीं देना चाहता हूं लेकिन मैं चुनाव के दौरान पूरे देश में घूमा हूं और मैं कह सकता हूं कि देश की एकता के लिए जितना काम दलित और आदिवासी कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप उनको पीछे मत धकेलिये। उनकी जिंदगी आज पशुओं से भी बदतर है। इसलिए अगर आपने उनको मिले मौलिक अधिकारों को अनेबलिंग प्रॉविजन के नाम पर संविधान से निकाल दिया तो देश के अंदर इतना बड़ा तूफान पैदा होगा जिसको यह सरकार रोक नहीं पायेगी। इसलिए इन मुद्दों पर आप राष्ट्रीय स्तर पर पूरा ध्यान दें। अगर आप कांफ्रेंस बुलाएंगे तो हम उसमें आयेंगे, लेकिन उससे पहले वह सेंट्रल एक्ट जिसका प्रारूप आपकी कैबिनेट के पास है उसको यहां लाइये और पास करवाइये। क्योंकि आज तक आरक्षण नीति का संचालन केवल सरकारी अध्यादेशों से होता रहा है। इन 50 सालों में ब्यूरोक्रेसी के आर्डर से हमारी जिंदगी के साथ क्या हो सकता है वह आपके सामने है। उस कानून को नौंवे शैडयूल्ड में लाइये और इम्प्लीमैंट करने के लिए खास करके एस सी एस टी की रिजर्वेशन पॉलिसी पर एक स्वतंत्र अथारिटी का गठन किया जाए। तभी मैं समझूंगा कि कुछ किया गया है।

दूसरा, हमारे कमीशन फॉर शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्ज के आर्टिकल 338(9) में लिखा है कि कोई अथॉरिटी हो, सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न हो, जब तक आरक्षण नीति पर कमीशन के दस्तखत नहीं हो जाते तब तक उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। इसलिए कमीशन को पावर दीजिए, ताकि कमीशन इस देश में इस नीति को अमल करने में मदद कर सके। जिन आफिशियल मैमोरंडम्स का मैंने जिक्र किया है उनको तुरंत वापस लिया जाए। अगर देश की न्यायपालिकाओं में आरक्षण लागू कर दिया जाए और हमारे जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में बैठें तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी उपस्थिति से ही बड़ा अच्छा वातावरण वहां बनेगा और जो न्यायपालिका आज हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है वह नहीं हो सकेगा।

न्यायपालिका और आर्मी में अभी तक आरक्षण लागू नहीं हुआ है। मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि 1997 से पहले राजीव गांधी जी ने आर्टिकल 60(4) ए को शामिल करके हमारे दलित और आदिवासी भाइयों को हमेशा के लिए आरक्षण दिया था। उससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एस सी के लिए कम्पोनेंट प्लॉन और एस टी के लिए ट्राइबल सब—प्लॉन बनाया था। लेकिन आज उसका कोई जिक्र नहीं सुनता हूं। कांग्रेस की हुकूमत जाने के बाद उन प्लॉनों पर मिट्टी डाल दी गयी। कोई भी मंत्रालय या विभाग ऐसा नहीं है जो आज शैडयूल्ड कास्ट्स के स्पेशल कम्पोनेंट प्लॉन पर ध्यान देता हो या ट्राइबल के सब—प्लॉन पर ध्यान देता हो, या ट्राइब्ल के सब—प्लान पर ध्यान देता हो। श्रीमती इंदिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम, 15 सूत्री कार्यक्रम मुख्यतः इसी के लिये था कि न केवल दलित वर्ग, आदिवासी और देश के सरकारी कर्मचारी बल्कि जो दूसरे धंधे, उद्योग में हों, व्यवसायी हो, खेती—बाड़ी में लगे हों, उन सब में उनको हक मिले। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश के लिये सेवा की, इसलिए उन्हें पुनः लागू किया जाये।

सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि देश की शैक्षणिक संस्थाओं में यह आरक्षण बिल्कुल लागू नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ए आई सी टी एस, आई सी, एम आर, सी एस आई आर, डी आर डी ओ आदि में आरक्षण नहीं हैं। यहां तक कि यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर स्तर पर भी नहीं है। हां, अभी किसी यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर लगा है लेकिन जॉइन नहीं किया है। हम चाहते हैं कि विधिवत् तौर पर शैक्षणिक संस्थाओं में पूरा आरक्षण हो। इसमें सबसे बड़ी बात लोकल बाडीज की है। इसमें राज्य सभा को शामिल किया जाये क्योंकि वहां यह आरक्षण नहीं है। राज्यों की विधान परिषदों में नहीं है। पंचायतों में है, म्युनिसिपल कमेटीज में है लेकिन राज्य सभा में नहीं है। इसमें भी लाया जाये।

एक माननीय सदस्य : मंत्रि परिषद् में किया जाये।

सरदार बूटा सिंह : मंत्रि—परिषद् में तो ऐसे लोगों को भर लिया गया जो इलैक्शन में हमारे सामने हार गये ताकि खाना—पूरी हो सके। खैर, हमें इस बात की खुशी है कि ऐसा किया गया है। मेरा जेठमलानी जी से नम्र निवेदन है कि वे हमारी सहायता करें। यदि इनके जैसे सक्षम वकील हमें मिल जायें तो मैं मानता हूं कि हमारा कल्याण हो सकता है वरना जो आपने लेवल प्लानिंग का नाम लिया, यह बहुत ही खतरनाक बात है। आप भूलकर भी आदिवासियों और दलितों के लिये इस्तेमाल न करें क्योंकि जब हम लोगों के लिये लैवल नहीं तो प्लानिग कहां से होगी। हमारे पास तो खाने के लिये नहीं है, घर में अनाज नहीं है, हम लैवल कहां से लायेंगे। इसलिये दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि लेवल प्लानिंग हम नहीं कर सकते, लैवल प्लानिग नहीं हो सकता। हमारे हाथ, पांव और यहां तक कि दिलोदिमाग तक जकड़े हुये हैं। हमारे ऊपर लेवल प्लानिंग की बात मत लाइये।

सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैंने कभी राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की है। मगर यह बात कहूंगा कि यह अंतिम मौका हो। हम आपसे ज्यादा कौन हैं क्योंकि विदेशों में हमें कई—कई नामों से पुकारा जाता है जिससे हमारा दिल दुखी होता है। इसलिये हम चाहते हैं कि बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने जो पहचान हम लोगों को दी है, वह पहचान बनी रहे, वह इज्जत हमारे देश में बनी रहे। हम लेवल प्लानिंग नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे इज्जत नहीं मिलेगी।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैंने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि हालांकि समय नियत किया गया है

[श्री प्रियरजन दासमुंशी]
किंतु अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक पर बोलते समय उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए और प्रत्येक सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि सभा की बैठक का समय बढ़ाया जाए तो अच्छा होगा।

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी आप यहां नहीं थे। माननीय मंत्री इन सभी मुद्दों के बारे में अलग से तीन दिवसीय सम्मेलन बुलाने के लिए सहमत हो गए हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय इस मामले पर सभी पार्टियां सहमत हैं।

सभापति महोदय : इसीलिए हमने सभा की बैठक का समय एक घंटा बढ़ाया है। अब श्रीमती सुगुणा कुमारी बोलेंगी।

.....(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : वे नवनिर्वाचित सदस्य हैं। कृपया सहयोग करें।

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

आज चर्चा इस विषय पर हो रही है कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण दस वर्ष के लिए और बढ़ाया जाए या नहीं। वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री बूटा सिंह ने अपनी बहुमूल्य राय व्यक्त की है। भारत विशाल देश है जहां पर विविध धर्म, भाषाएं और जातियां हैं। जनसख्या का एक बडा वर्ग अनेक ऐतिहासिक खामियों के कारण परेशानी झेल रहा है। समाज में कमजोर वर्ग महिलाएं, शूद्र, दलित, मुस्लिम और आदिवासी हैं। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहली बार भारत सरकार अधिनियम, 1935 में किया गया था। इसका तात्पर्य मुख्यतया अस्पृश्य वर्ग था जिन्हें आमतौर पर दलित वर्ग कहा जाता था। 1991 में देश की कुछ 81.6 करोड़ जनसंख्या में 13.66 करोड़ अर्थात् 16.74 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों और 6.49 करोड़ अर्थात् 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों की थी।

देश के सभी राज्यों में पंजाब में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। वहां पर 28.3 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है। अनुसूचित जातियों की सबसे कम संख्या गुजरात में है। वहां यह प्रतिशत 7.4 का है। पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जातियों की संख्या नगण्य है और नागालैंड में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। अनुसूचित जातियों की 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है और अनुसूचित जातियों के स्कूल जाने योग्य कुल बच्चों में से एक तिहाई ही स्कूल जाते हैं।

अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में राज्य की जनसंख्या में 23.3 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है जो अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या की लगभग एक चौथाई है। अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम संख्या उत्तर प्रदेश में है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 0.2 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों की लगभग 93 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। अनुसूचित जातियों की अधिकतर जनसंख्या विशिष्ट जनजातीय पट्टियों, पर्वतीय व जंगली क्षेत्रों में रहती है जो दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्र है, इन जातियों में साक्षरता दर बहुत कम है। इन जातियों में साक्षरता दर केवल 15 प्रतिशत है और इन जातियों के 5 से 14 वर्ष की आयु के केवल 20 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ सदियों से भेदभाव किया जाता रहा है और उन्हें अवसरों से वंचित किया जाता रहा है। फलतः वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं। समाज के ऐतिहासिक दृष्टि से दलित और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए 1932 में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थानों में उनके लिए आरक्षण प्रदान किया गया था। रोजगार में संघीय व राज्य स्तर पर चयन व स्थायी किए जाने के समय उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाता था।

1990 में संविधान में संशोधन द्वारा संसद व विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण वर्ष 2000 तक बढ़ाया गया। लोक सभा में कुल 543 स्थानों में से 79 स्थान अनुसूचित जातियों और 40 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए।

संविधान के अनुच्छेद 330 में उपबंध है कि लोक सभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाएगा और अनुच्छेद 332 (1) में राज्य विधान सभाओं में उनके लिए आरक्षण का उपबंध है। प्रारंभ यह आरक्षण 10 वर्ष के लिए था। मूलतः अधिनियमित अनुच्छेद 334 में उपबंध था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित ये उपबंध संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि की समाप्त पर प्रभावी नहीं होंगे। इस अनुच्छेद द्वारा नियत अवधि को प्रत्येक दस वर्ष की समाप्ति पर संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1960, 1969, 1980 और 1990 में बढ़ाया गया।

क्या आरक्षण का यह प्रावधान 25 जनवरी, 2000 के बाद जारी रहना चाहिए? निम्न कारणों से इस प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है।

स्वतंत्रता के 52 वर्षों बाद भी यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग गरीबी की दशा में

जी रहे हैं। उन्हें रहने के लिए अलग स्थान दिए गए हैं। गांवों में उन्हें मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता है, उन्हें सभी कुओं से पानी लेने नहीं दिया जाता है, उन्हें केवल कुछ विशेष कार्य ही करने दिए जाते हैं और उन पर अत्याचार किए जाते हैं।

चूंकि शताब्दियों से चली आ रही पुरानी जाति प्रथा से उत्पन्न अज्ञयेता, अयोग्यता अभी भी विद्यमान है इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की विद्यमान प्रणाली को जारी रखना आवश्यक है।

मुख्य मत्री श्री नारा चन्द्रबाबू नायडू गारू के कर्मठ नेतृत्व के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में तेलगु देशम् सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष कदम उठाए हैं। सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए मुंडाडुगु कार्यक्रम और अनुसूचित जनजातियों के सुधार चैतन्य कार्यक्रम आरंभ किया है। हिन्दी में *मुंडाडुगु* शब्द का अर्थ है *'एक कदम आगे बढ़ाना'* और *चैतन्य* शब्द का अर्थ है *'जागरूकता लाना'*। इन कार्यक्रमों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के अवसर बढ़े हैं।

मैं माननीय राष्ट्रपति, श्री के. आर. नारायणन् का आभारी हूं कि जिन्होंने संसद के दोनों सदनों में दिए गए अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया।

मैं तेलगु देशम् दल और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के एक सदस्य के रूप में अपनी ओर से सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे लोक सभा तथा विधान सभाओं में आरक्षण को और दस वर्ष के लिए बढ़ा दें।

अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं और सभी माननीय सदस्यों से अपील करती हूं कि वे इसे सर्वसम्मति से पारित करें।

* **श्रीमती संध्या बौरी (विष्णुपुर)** : माननीय सभापति महोदय, मुझे संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक के संबंध में आज सभा में हो रही चर्चा में भाग लेते हुए गर्व हो रहा है इस विधेयक से शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने और रोजगार पाने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुए 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं और हमारे देश के संविधान को लागू हुए भी 50 वर्ष हो गए हैं। लेकिन यह दुख की बात है कि आधा शतक बीत जाने के बाद भी आरक्षण नीति का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आप जानते हैं, महोदय कि हमारे देश में निर्धन लोग और संसदीय जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग अपना रोजमर्रा का जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। अधिकतर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के पास उपयुक्त आवास सुविधा नहीं है। यह सामाजिक रूप से वंचित लोग भाग्य पर निर्भर जीवन व्यतीत करते है।। उनके पास रहने को उपयुक्त घर नहीं है घर है तो उसके ऊपर कोई छत नही है, वहां पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, अर्थात् उनके पास एक सामान्य मानवीय जीवन व्यतीत करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं नहीं हैं। वह एकमात्र जीवन की जरूरतों को ही पूरा कर पाते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है लेकिन उन्हें शिक्षा अथवा रोजगार दोनों में ही आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इन लोगों के लिए साक्षरता अभी भी एक स्वप्न की तरह है और जब तक कि वह शिक्षित नहीं हो जाते, उन्हें रोजगार, कैसे मिल सकता है? जहां तक कि रोजगार की सुविधा का संबंध है, इन लोगो को कोई लाभ नही मिला है। वास्तव में आरक्षण नीति का सही कार्यान्वयन ही समय की मांग है। इन सामाजिक रूप से वंचित लोगों को लाभ पहुंचाने का इरादा है तथा संविधान में आरक्षण का प्रावधान है लेकिन जब तक कि इस नीति को ईमानदारी और उपयुक्त तरीके से कार्यान्वित नहीं किया जाता, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियति में बदलाव नहीं लाया जा सकता। उन्हें शिक्षा के उपयुक्त अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे रोजगार में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकें, केवल तभी वे समाज की मुख्य–धारा का एक हिस्सा बन सकते हैं। जब तक कि सरकार आरक्षण नीति को कार्यान्वित करने के उपयुक्त उपाय नहीं करती, समाज उन्नति नहीं कर सकता है, देश समृद्ध नहीं बन सकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे देश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह देश की उन्नति और समृद्धि में समान रूप से भागीदार हैं। हमारे पूर्वजों ने इन अभागे लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया था ताकि वे मुख्य–धारा में शामिल हो सकें। लेकिन हमारी आरक्षण नीति के उपयुक्त कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा। हम हर दस वर्ष बाद आरक्षण की समय सीमा बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह दुख की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इन सामाजिक रूप से वंचित लोगों की दशा और दयनीय स्थिति को बदला नहीं जा सका। हमें ध्यान से सोचना चाहिए कि खामियां कहां है? उन खामियों को सही तरीके से दूर करना चाहिए और हमारे संविधान में जो आरक्षण के लाभ का प्रावधान किया गया है, इसका लाभ इन बदकिस्मत लोगों को मिलना चाहिए। इनमें से कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग कुछ संस्थाओं में काम करते हैं और समाज के विकास तथा देश की समृद्धि में सहायक होते हैं। दुर्भाग्यवश हमे अपने समाज के विकास के लिए उनसे मदद मिलती है। लेकिन उनकी सेवाओं को समुचित मान्यता नहीं दी जाती। हम उनकी दशा सुधारने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं करते हैं। यह बहुत शर्म और दुख की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष के बाद भी हमें सभा में बार–बार इस मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ रही है। यह विधेयक बारहवीं लोक सभा में पुरःस्थापित होना था। चूंकि सभा अचानक भंग हो गई थी विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सका था। अब

* मूलतः बंगला में दिए गए भाषण में अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्रीमती संध्या बौरी]
इस विधेयक पर वर्तमान लोक सभा में चर्चा की जा रही है। लेकिन केवल चर्चा करने से और आरक्षण को दस वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाना ही काफी नहीं है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सूचित करने की सही प्रणाली होनी चाहिए। कई बार इन लोगों को उनको मिलने वाले अवसरों के बारे में भी सूचित नहीं किया जाता है चाहे वह शैक्षणिक संस्थान में हो अथवा रोजगार की सुविधा के संबंध में हो। कई बार जान–बूझकर उक्त अवसरों की जानकारी नहीं दी जाती है, उसे दबा दिया जाता है और इस तरह से इन लोगों को उनके रोजगार के अवसरों अथवा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने की सुविधा से वंचित रखा जाता है। यह एक सामान्य राय है कि आरक्षण राजनीति के कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को काफी लाभ पहुंच रहा है। यह सही नहीं है। समूचे भारत के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के अधिकतम बच्चे अपने माता–पिता के साथ ही अपनी रोजी–रोटी कमाना आरंभ कर देते हैं। वे पढ़ाई नहीं करते हैं। वह अपने बचपन का आनंद नहीं लेते हैं और बहुत ही छोटी आयु में कमाना आरंभ कर देते हैं। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए और स्कूल में अवश्य भेजा जाना चाहिए। उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए हर तरह की सहायता दी जानी चाहिए। हमारी नीति है उच्च स्तर पर सोचना। हम यह सोचते हैं कि इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के स्नातक हो जाने के बाद क्या किया जा सकता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले और अपरिहार्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। इन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की दशा बहुत दयनीय है। हमें उपयुक्त योजना बनानी चाहिए और उनकी दशा सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और केवल तभी उनके बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यह वास्तविकता है कि इन लोगों को जागरूक करने और अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करना ही एकमात्र उपाय है। अतः हमें इन लोगों को शिक्षित करने के लिए आरंभ से ही उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। अनेक अनुसूचित जनजातियों के लोग अभी तक प्रकृति पर निर्भर हैं। वह जीवित रहने के लिए आसमान, वायु, जल तथा पहाड़ों पर निर्भर करते हैं। हमने वन संरक्षण परियोजना भी आरंभ की है। लेकिन फिर भी यह लोग प्रकृति पर निर्भर करते हैं। और वनों के संरक्षण को इन सभी परियोजनाओं में शामिल नहीं किया गया है। इन सभी परियोजनाओं में इनको भी शामिल करना चाहिए। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को और दस वर्ष के लिए बढ़ाना ही काफी नहीं है। आरक्षण नीति के सही कार्यान्वयन की तत्काल आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा, रोजगार तथा प्रोन्नति में आरक्षण के लाभ देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां मुख्य धारा का हिस्सा केवल तभी बन सकती हैं जबकि उन्हें सही तरीके से शिक्षित किया जाए। केवल तभी वह विश्वास के साथ सामान्य वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अतः हमें आरक्षण नीति को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिएं ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाया जा सके। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे इस प्रणाली की खामियों पर विचार करें और आरक्षण नीति का ईमानदारी से पालन करें केवल तभी सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय की वर्षों से चली आ रही बहिष्कृत स्थिति में सुधार लाया जा सकता है और हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया और इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं मैं यह अवश्य कहूंगी कि मैं तहे–दिल से इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करती हूं। मैं पुनः धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का यह मौका दिया।

महोदय, आरंभ से ही मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधेयक पर कुछ सुझाव देने वाला हूं। मैंने श्री बूटा सिंह जी की बात को ध्यानपूर्वक सुना है उनके द्वारा उठाये गए प्रश्न काफी व्यापक थे। जिस किसी ने भी उनका भाषण सुना होगा वह यही समझेगा कि आरक्षण ही अपने आप में काफी है। वे जीवन के हर क्षेत्र में हर तरह की नौकरी में, सरकार की प्रत्येक सेवा में अधिक से अधिक आरक्षण लाना चाहते हैं।

पचास वर्ष पहले, इस देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण इसलिए दिया गया था क्योंकि पिछले हजारों वर्षों से इस देश के हिन्दु समाज द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता रहा था। समाज में उन्हें समुचित मान्यता नहीं दी गई थी। इसीलिए यह निर्णय लिया गया था कि उनको उनका समुचित हक देने के लिए उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसलिए हम पिछले पचास वर्षों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करते रहे हैं। परन्तु, आरंभ में यह निर्णय लिया गया था कि आरक्षण केवल दस वर्षों के लिए दिया जाएगा। अब, हम दस–दस वर्षों में संसद में आते हैं और आगामी दस वर्षों की अवधि के लिए उनके लिए आरक्षण की मांग करते हैं। क्यों ? इसका कारण क्या है? अगर इसी तरह हम हर दस वर्ष के बाद अगले दस वर्षों के लिए आरक्षण मांगते रहे तो इसका अंत क्या होगा? क्या हम आरक्षण के लिए कोई समय–अवधि निर्धारित नहीं कर सकते? क्या हम यह नहीं कह सकते कि फलां–फलां वर्ष तक हम आरक्षण की नीति को समाप्त कर देंगे।.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.00 बजे

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : जब तक हम इस देश से अस्पृश्यता हटाने के लिए समय निर्धारित नहीं करते.... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : कम से कम, संपन्न वर्ग को तो ......*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, श्री के. आर. नारायणन इस समय देश के माननीय राष्ट्रपति हैं। क्या वे इस पद पर इसलिए आए हैं कि वे अनुसूचित जाति के हैं? वे इस पद पर अपने गुणो के कारण आए हैं।

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : जब वे उपराष्ट्रपति के पद पर चुने गये तो क्या हुआ था? क्या उन्हें उनके गुणों के आधार पर मौका दिया गया था?.... *(व्यवधान)* जब अ.जा. अ.ज.जा. के सदस्यों के मंच के संसद सदस्यों ने दबाव डाला तभी इस मुद्दे पर विचार किया गया था।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा. जगन्नाथ जी, कृपया बैठ जाइए।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, वे इस उस मुद्दे को दूसरी ओर मोड़ रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया माननीय सदस्य को न उकसाइए।

श्री कोडीकुनील सुरेश : वे विधेयक के विरोध में बोल रहे हैं।. ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : अब माननीय श्री जी. एम. सी. बालयोगी जी इस गरिमामय सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं।....*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश : ये सब बातें मत कहिए। हम पूरी बात जानते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, शुरू से ही मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने मेरी बात का गलत अर्थ लगा लिया है। संभवतः वे सोचते हैं कि मैं यहां केवल इसका विरोध करने के लिए खड़ा हूं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरा अपना भी विचार है। इसलिए मैं भी बोल सकता हूं। मैं नहीं जानता कि वे मेरी बात का विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। परन्तु मुझे भी कुछ बातें कहनी हैं। कृपया मेरी बात सुनिए। हम भी कुछ कहना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। अगर हम इसे यहां नहीं कह सकते तो हम यह बात बाहर बोलेंगे।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : आप इसका समर्थन कर रहे हैं परन्तु साथ ही आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे हमें कष्ट हो रहा है।

श्री खारबेल स्वाईं : मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा हूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : हम चाहते हैं कि आप इसका विरोध करें।

श्री खारबेल स्वाईं : मुझे यह निर्देश न दें कि मुझे क्या कहना चाहिए। मैं वही कहूंगा जो मैं कहना चाहता हूं। मैं आपके निर्देशों के अनुसार नहीं चल रहा हूं।

महोदय, भारत में दो प्रथाएं हैं। एक तो जाति प्रथा और दूसरी वर्ग प्रथा। पचास वर्ष पहले हम स्वतंत्र हुए थे, हमने अपना संविधान अपनाया था। पचास वर्ष पहले जब हमने आरक्षण प्रणाली अपनाई थी तब भारत में निम्न वर्ग और निम्न जाति में कोई फर्क नहीं था।

श्री मन्दा जगन्नाथ (नगरकुरनूल) : अस्पृश्यता के बारे में आपका क्या कहना है?

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उनकी बात में हस्तक्षेप न करें।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, निम्न जाति का व्यक्ति उसी निम्न जाति से ही संबंधित हो सकता है। आमतौर पर, पचास वर्ष पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी लोग इस समाज के गरीब वर्ग से भी संबंधित थे। यह तथ्य है।

अब आरक्षण नीति के आ जाने से स्थिति बदल चुकी है। मैं यह सब बातें क्यों कह रहा हूं? मैं यही बात बताने वाला हूं कि आरक्षण की यह प्रथा हर दस वर्षों के लिए बार–बार क्यों बढ़ाई जा रही है? हम एक कलैक्टर का ही उदाहरण लेते हैं जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। मान लो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कलैक्टर के पास एक चपरासी है जो ब्राह्मण समुदाय का है और साथ ही उसका एक पड़ोसी है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से है तथा उच्च वर्ग से संबंधित है, तो वह किससे संबंध रखेगा? वह उसी व्यक्ति से अधिक संपर्क रखेगा जो उच्च वर्ग का है और जो उसी वर्ग का है, अर्थात्, क्लैक्टर। मान लो ब्राह्मण समुदाय के किसी व्यक्ति के नीचे काम करने वाला कोई क्लर्क या कोई नौकर ब्राह्मण समुदाय का है तो क्या वह उससे संबंध रखेगा? वह उससे संबंध नहीं रखेगा। वह अन्य कलैक्टर से अधिक संपर्क रखेगा जो अनुसूचित जाति का है।

यह वर्ग का प्रश्न है। जाति का प्रश्न नहीं है। इसलिए अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बेहतर अवसर प्रदान करके समाज की वर्ग संरचना को बदलते है तो स्थिति अपने आप बदल जायेगी। हम कलैक्टर का ही उदाहरण लेते हैं। वह आरक्षण कोटा के आधार पर कलैक्टर बना है और अब वह जिले का कलेक्टर बन गया है और फिर वह सचिव बनता है। वह उच्च समाज में रहता है और बड़े शहर में रहता है तथा उसके सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन मिलता है, उसके बाद उसकी दूसरी पीढ़ी के लिए भी आरक्षण लागू हो जाता है, कलैक्टर के बेटे को वही मौका मिलेगा। यह सुविधा नीचे तक कभी नहीं पहुंच सकी।

डा. मन्दा जगन्नाथ : इसमें गलत क्या है?

सभापति महोदय : कृपया बहस न करें। आप अपनी बात सिद्ध कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं : यह लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सबसे गरीब लोगों को नहीं मिला क्या यह उन्हें नहीं मिलनी चाहिए? इसलिए मेरा सुझाव यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत संपन्न वर्ग का भी निर्धारण होना चाहिए।

श्री कोडीकुनील सुरेश : नहीं।

श्री खारबेल स्वाईं : यही आरक्षण जारी रहने देना चाहिए। परन्तु जो लोग वर्ग–I के अधिकारी, मंत्री और संसद सदस्य बन गए हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए।

श्री कोडीकुनील सुरेश : इस समय अनुच्छेद 334 के अंतर्गत आरक्षण का उल्लेख किया गया है।

सभापति महोदय : मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री खारबेल स्वाईं : मैं बात खत्म नहीं कर रहा हूं। अब यह निहित स्वार्थ का प्रश्न बन चुका है।.... *(व्यवधान)*..... अब, सवाल आरक्षण का है। इस देश में यह निहित स्वार्थ का प्रश्न बन गया है। अब सभी आरक्षित वर्ग में आना चाहते हैं। वे सभी लोग और जातियां जो कभी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं थीं अब वे आरक्षण सूची में आने के लिए एक–दूसरे से होड़ लगा रहे हैं।

50 वर्ष पूर्व अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल जातियों की सूची आपने देखी होगी और अब आप आज की सूची देख रहे हैं। यदि 50 वर्ष पूर्व इस सूची में 1000 जातियां थी तो आज इन जातियों की संख्या 5000 तक पहुंच गई है। उड़ीसा में राधी नामक एक जाति है। वे चिवड़ा बनाते हैं। 50 वर्ष पूर्व जब उनसे कहा गया कि उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है तो उन्होंने इंकार कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं, हमारी तुलना अनुसूचित जातियों से नहीं की जा सकती है। किंतु अब 30 या 40 वर्ष बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय में एक मामला दायर कर मांग की है कि उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए और अब वे अनुसूचित जाति बन गई हैं। मेरी जाति का ही उदाहरण लें। मैं खादैत समुदाय का हूं। मैं यह नहीं जानता कि मैं अगड़ी जाति का हूं या पिछड़ी जाति का हूं क्योंकि उड़ीसा में मैं पिछड़े समुदाय का हूं और केन्द्र सरकार ने हमें पिछड़े समुदाय के रूप में स्वीकार नहीं किया है। जहां तक केन्द्र की सूची का संबंध है उसमें मैं अगड़ी जाति का हूं। इसलिए मैं अपने राज्य में पिछड़ा हूं किंतु केन्द्र में अगड़ी जाति का हूं। अतः मैं अपनी जाति के लोगों की स्थिति के बारे में अवगत नहीं हूं क्योंकि उनकी संख्या काफी अधिक है। अब वे मांग कर रहे हैं कि उन्हें पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल किया जाए, अब वे अन्य पिछड़ी जातियों के माने जाते हैं। वे आरक्षण भी चाहते हैं। इसलिए विशेषज्ञता का प्रश्न उठाया गया जिसके कारण उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण से इंकार किया। मान लो कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और मेरे समुदाय का कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर डाक्टर बन जाता है। यदि मैं पाता हूं कि वह अच्छा डाक्टर नहीं है तो क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए? यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति इंजीनियर बन जाता है और वह अच्छा नहीं है तो क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग उसके पास जाएंगे.... *(व्यवधान)* मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि मेरे समुदाय का कोई व्यक्ति अच्छा होगा तो मैं उसके पास जाऊंगा।

डा. मन्दा जगन्नाथ : उन्होंने इस समुदाय का अपमान किया है। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए.... *(व्यवधान)* उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के डाक्टरों का अपमान किया है और उन्हें बुरा डाक्टर कहा है....*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश : वे अनुसूचित जाति के डाक्टरों व इंजीनियरों का अपमान कर रहे हैं।

डा. मन्दा जगन्नाथ : आप इन समुदायों का अपमान कर रहे हैं। इन समुदायों के अनेक बहुत अच्छे डाक्टर व इंजीनियर हैं।.... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा. जगन्नाथ, कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

डा. मन्दा जगन्नाथ : उन्होंने इन समुदायों का अपमान किया है। उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री स्वाईं, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

....*(व्यवधान)*

डा. मन्दा जगन्नाथ : उन्होंने यह बहुत बुरी बात कही है।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, मेरा निजी चिकित्सक भी अनुसूचित जाति का है....*(व्यवधान)*

डा. मन्दा जगन्नाथ : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं।.... *(व्यवधान)* उन्हें अपनी पसंद का डाक्टर रखने का पूरा हक है। वे उस डाक्टर के पास क्यों जाएं। ....*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, मैंने किसी का अपमान नहीं किया है।

सभापति महोदय: कृपया विषय पर आएं।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा. जगन्नाथ, कृपया बैठ जाइए।

डा. मन्दा जगन्नाथ : उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। उन्होंने इस समुदाय का अपमान किया है। उन्होंने अनुसूचित जाति का अपमान किया है। उन्हें वे शब्द वापस लेने चाहिए।.... *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : मेरा पारिवारिक चिकित्सक भी अनुसूचित जाति का है....*(व्यवधान)*

डा. मन्दा जगन्नाथ : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपको पूरा हक है कि आप किसी भी डाक्टर के पास जाएं। आपको किसने कहा कि आप अनुसूचित जाति के डाक्टर के पास जाएं? ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : वे यह कहने का प्रयास कर रहे हैं योग्यता जैसी कोई चीज नहीं है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। योग्यता का अपना महत्व है।

डा. मन्दा जगन्नाथ : भारत में ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर प्रोफेसर उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेते हैं।....*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : मैं नहीं झुक रहा हूं किंतु वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय : डा. जगन्नाथ आपको भी मौका मिलेगा।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री स्वाईं, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, मुझे आपसे संरक्षण चाहिए। यह किस प्रकार का व्यवहार है? ....*(व्यवधान)* वे बाद में बोल सकते हैं। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं किसी का अपमान क्यों करूं? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 25 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति के लोग हैं।....*(व्यवधान)*

डा. मन्दा जगन्नाथ : उन्होंने ने कहा कि अनुसूचित जाति के डाक्टर बुरे डाक्टर हैं। उन्हें उन शब्दों को वापल लेना चाहिए। उन्हें माफी मांगी चाहिए।....*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश : अपने भाषण में आपने अनुसूचित जातियों का अपमान किया है।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, मैं यह भी कहूंगा कि सामान्य श्रेणी के किसी व्यक्ति की इस वेदना को भी समझा जाना चाहिए कि जब दो या तीन वर्ष बाद पाता है कि उसके अधीनस्थ किसी अन्य श्रेणी के होने के कारण उसे पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वह किसी एक वर्ग की वेदना है। ऐसा नहीं है। यह वेदना प्रत्येक व्यक्ति की है।....*(व्यवधान)*

योग्यता का अपना महत्व है, इसलिए 'क्रीमी लेयर' के पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए और जो लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए जा रहे हैं उन्हें इन समुदायों के सबसे निर्धन व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। एक समयावधि निश्चित की जानी चाहिए आरक्षण की इस प्रणाली का अन्त हो जैसा हमने देखा कि माननीय राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन और माननीय अध्यक्ष श्री बालयोगी के मामले में आरक्षण का अन्त हुआ है।

अपराह्न 2.14 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच प्रत्यर्पण संधि सहित तीन समझौतों पर हस्ताक्षर

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : सभापति महोदय, संयुक्त अरब अमीरात के न्याय, इस्लामी कार्य तथा औकाफ मंत्री महामान्य श्री मोहम्मद नाखिरा अल जाहेरी 25–26 अक्तूबर 1999 को एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता से संबद्ध करार, असैनिक और वाणिज्यिक मामलों में विधिक और न्यायिक सहयोग पर करार संपन्न हुए।

यह प्रत्यर्पण संधि किसी भी देश से आतंकवाद तथा आर्थिक अपराधों में लिप्त अपराधी सहित भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण करने के लिए एक विधिक रूपरेखा प्रदान करेगी। इस संधि के अधीन प्रत्यर्पण संभव हो सकेगा चाहे वह अपराध इस संधि के प्रवृत्त होने से पहले किया गया हो अथवा बाद में।

असैनिक और वाणिज्यिक मामलों में विधिक और न्यायिक सहयोग पर करार का उद्देश्य ऐसे मामलों में कानूनी सहायता के व्यापकतम उपायों को सुसाध्य बनाना है। इस करार के परिणामस्वरूप एक देश की अदालत द्वारा दूसरे देश के प्रदेश को जारी किए गए सम्मनों तथा अन्य न्यायिक दस्तावेजों की तामील करना संभव हो जाएगा। एक देश का न्यायिक प्राधिकरण, दूसरे के अनुरोध पर साक्ष्य भी ले सकता है, इसके अलावा एक देश के न्यायालय दूसरे देश के प्रदेश में पारित डिग्रियों और पंचाटी को निष्पादित भी कर सकते हैं।

आपराधिक मामलो में परस्पर कानूनी सहायता से सम्बद्ध करार का उद्देश्य आतंकवाद से संबंधित अपराध सहित सभी प्रकार के अपराधों के संबंध में जांच तथा अभियोजन को पूरा करने में दोनों देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना है। यह अपराध के प्रतिफल तथा दस्तावेजों का पता लगाने उन्हें नियंत्रण में लेने, जब्त तथा अधिग्रहण करने के उद्देश्य से सहायता प्राप्त करने के लिए

आधार तैयार करेगा। यह करार सम्मनों, वारंटों का निष्पादन और अन्य न्यायिक दस्तावेजों तथा अधिकार–पत्रों की तामील में परस्पर सहायता के व्यापक उपाय को भी सुसाध्य बनाएगा।

इन तीनों संधियों में दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने और आतंकवाद और अन्य अपराधों का मुकाबला करने के लिए ठोस उपाय करने की इच्छा परिलक्षित होती है।

अपराह्न 2.17 बजे

संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 334 का संशोधन) - जारी

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय सभापति जी, आज कानून मंत्री महोदय ने भारतीय संविधान में और संशोधन करने के लिए चौरासीवां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ी हुई हूं। मुझ से पूर्व इस विधेयक के बारे में बहुत सी बातें कही गयी हैं। आरक्षण के बारे में कहा जाता है कि आरक्षण की कोई समय सीमा होनी चाहिए और समय सीमा निर्धारित करके आरक्षण को जल्दी ही समाप्त करना चाहिए। इस किस्म की सोच रखने वाले जो हमारे सांसद हैं, उन्हें यह समझना होगा कि इस देश में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। आरक्षण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस देश में सामाजिक गैर–बराबरी लम्बे समय से बनी हुई है और आज भी जिंदगी के हर पहलू में खामियां नजर आती हैं। उस गैर–बराबरी को दूर करने के लिए समय–समय पर हमारे महान पुरुषों ने काफी संघर्ष किया है। महात्मा ज्योति राव फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, परम पूज्य बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जी, पेरियार जी और अन्य महापुरुष तथा गुरु हुए हैं जिन्होंने समय–समय पर इस देश से सामाजिक गैर–बराबरी को दूर करने के लिए संघर्ष किया है, उनके संघर्ष के कारण ही थोड़ा बहुत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण के रूप में कुछ मिल रहा है, वास्तव में यह उनकी देन है। परम पूजनीय डा. बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाते समय इस बात को गंभीरता से लिया और संविधान बनाने वाली कमेटी के सामने यह गैर–बराबरी वाली बात रखी। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगी कि जब तक इस देश में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर–बराबरी रहेगी, तब तक इस देश में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों, इस समाज के दबे–कुचले लोगों को इसकी जरूरत महसूस होती रहेगी। इस देश में यह आरक्षण की जरूरत इसलिये पड़ी है क्योंकि यहां पर गैर–बराबरी सामाजिक व्यवस्था है। भारतीय संविधान में इन लोगों को जिन्दगी के हर पहलू में आगे बढ़ावा देने के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हमें इस बात को गंभीरता से सोचना होगा कि जब से संविधान में इनके आरक्षण के लिये व्यवस्था की गई है, तब से क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जिन्दगी के हर पहलू में आरक्षण मिल रहा है, मैं समझती हूं कि यह नहीं मिल रहा है। जब हर दस साल के बाद आरक्षण की अवधि बढ़ाने की बात आती है तो मुझे मालूम है कि हर पार्टी के नेता अपने राजनैतिक स्वार्थ के कारण इस विधेयक का समर्थन करते हैं। जब भी दस साल पूरे हो जाते हैं और संशोधन विधेयक आता है तो हर पार्टी के नेता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के वोट लेने के लिये अपने दिल पर पत्थर रखकर जरूर इसका समर्थन करते हैं। वे लोग दिल से नहीं चाहते कि यह आरक्षण जारी रहे और इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। इसलिये मैंने यह बात क्यों कही क्योंकि यदि हर पार्टी के लोग चाहें कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पूरा मिले तो मैं समझती हूं कि यदि उनकी नीयत साफ है तो उनको आरक्षण का लाभ पूरा मिल सकता है।

सभापति महोदय, आजादी के बाद केन्द्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनीं। कुछ समय तक गैर–कांग्रेसी सरकारें भी रहीं और कुछ समय तो मिली–जुली सरकार भी रही, चाहे वह केन्द्र में रही हो या राज्य में रही हो, किसी पार्टी ने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के कोटे को पूरा नहीं किया है। यही कारण है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उनकी मंशा यह नहीं थी कि आरक्षण कंटीन्यू रहे। वे चाहते थे कि जिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जिन्दगी के हर पहलू में गिराया गया है, पछाड़ा गया है तथा सामाजिक गैर–बराबरी के चलते ऐसे लोगों को आरक्षण दिया जाये। जिस पार्टी की सरकार बनती है, वह साफ नीयत से यह कोटा पूरा करें ताकि जल्द से जल्द वे लोग अपने स्थान पर खड़े हो सकें। यह मंशा भारतीय संविधान निर्माताओं की थी। शुरू में जो अवधि रखी थी, संविधान बनने के बाद यदि आप उस अवधि के अंदर काम करते तो सरकार चलाने वालों की नीयत साफ होती, और पहले दस साल के अंदर विशेष अभियान चलाकर आरक्षण के कोटे को पूरा कर दिया जाता तथा जो अधिकारीगण या जिस महकमे के लोग आरक्षण का कोटा पूरा नहीं करते यदि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पूर्व की सरकारें कुछ कानून बनाती तो मैं समझती हूं कि पहले दस साल में ही आरक्षण को कोटा पूरा हो जाता। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हम जब शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, अपर कास्ट्स के लोगों को तकलीफ होती है कि इन्हें यह लाभ क्यों मिल रहा है। लेकिन हम अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं चाहते कि हमें यह खैरात मिले, बशर्ते कि आप लोग अपनी मानसिकता में तब्दीली कर लें। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपर कास्ट्स की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दें, सामाजिक बराबरी पर लाकर खड़ा कर दें, आर्थिक असमानता को दूर कर दें,

सामाजिक गैर–बराबरी को दूर कर दें तो हमें यह खैरात नहीं चाहिए। मैं बताना चाहती हूं कि जब तक इस देश के अंदर सामाजिक गैर–बराबरी रहेगी, आर्थिक गैर–बराबरी रहेगी, शैक्षणिक गैर–बराबरी रहेगी, तब तक इस देश के अंदर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के करोड़ों लोगों को आरक्षण की जरूरत महसूस होती रहेगी।

सभापति महोदय, मैं आरक्षण के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी। मैंने पिछली सरकार के दौरान भी कहा था कि आरक्षण के मामले में कभी राज्यों की सरकारें और कभी केन्द्र की सरकारें दखलंदाजी करके आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश में लगी रहती है। मैंने पिछली सरकार के दौरान कहा था कि आरक्षण का पूरा लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचति जनजातियों को मिलता रहे, इसमें कोई छेड़छाड़ न की जाए तथा इसके लिए आरक्षण को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए। इस बारे में माननीय कानून मंत्री जी को माननीय सभापति जी के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप कानून के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और आपने शुरू में ही इस प्रस्ताव, इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए यह कहा था कि हम शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वैलफेयर के लिए एक सम्मेलन करेंगे। जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मैम्बर पार्लियामेंट है तथा बुद्धिजीवी तबके के लोगों की राय लेकर हम इनके वैलफेयर के लिए कदम उठाना चाहेंगे, मैं समझती हू कि यह आपका एक अच्छा सुझाव है, इसका मैं समर्थन करती हू और आपने जो संविधान संशोधन विधेयक रखा है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हू, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी प्रार्थना करती हूं कि किसी भी प्रदेश में, किसी भी पार्टी की सरकार या केन्द्र सरकार आरक्षण के मामले में या आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई दखलंदाजी न कर सकें, इसके लिए आप भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में इसे रखने के लिए भी विधेयक लायें। मैंने 22 तारीख को जब इस सभा में स्पीकर पद के लिए चयन हो रहा था, उस मौके पर भी यह कहा था कि आरक्षण के मामले में कभी सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी करती है और कभी निचली अदालतें दखलंदाजी करती है जिसके कारण आरक्षण का पूरा लाभ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को नहीं मिल रहा है। मैंने उस दिन स्पीकर महोदय से प्रार्थना की थी कि आप माननीय प्रधान मंत्री जी से बातचीत करें और मेरी कानून मंत्री जी से भी यह प्रार्थना है कि आप भी माननीय प्रधान मंत्री जी से इस बात के ऊपर बड़ी गंभीरता से विचार करें कि समय–समय पर सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतें आरक्षण के मामले में दखलंदाजी करती हैं और आरक्षण को निष्प्रभावी बनाया जाता है तो उससे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बहुत तकलीफ होती है और उन्हें फिर सड़कों पर उतरना पड़ता है, उनको एजीटेशन करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस मामले पर माननीय प्रधान मंत्री जी से बात करके वह एक ऐसा विधेयक लायें जिससे सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतें इसमें दखलंदाजी न कर सकें, मैं ऐसा समझती हूं कि इसके बारे में आप गंभीरता से जरूर सोचेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए मेरा आपसे पुनः यही कहना है कि हर महमके में आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए आपको एक विशेष अभियान चलाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऊपर उठाने के लिए एक विशेष अभियान के तहत, टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर यह निश्चित करना पड़ेगा कि इतने समय में उनके आरक्षण का कोटा पूरा कर दिया जाएगा और जो अधिकारी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे और सख्त कार्रवाई करने लिए कोई स्टैप्स नहीं उठाएंगे, तब तक उनका कोटा पूरा नहीं होगा।

सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल के बाद, भले ही आप मंत्री न रहें आपके स्थान पर दूसरे मंत्री जी आएं, उनको भी संविधान संशोधन विधेयक लाने पर विवश होना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है कि आरक्षण की अवधि को बढ़ाने के लिए फिर से विधेयक न लाना पड़े उसके लिए यह जरूरी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए आप साफ नीयत से एक विशेष आरक्षण अभियान चलाएं। मैं विशेष रूप से राज्य सभा और प्रदेश की विधान परिषदों के बारे में कहना चाहती हूं कि वहां भी यह कोटा लागू किया जाए। वर्तमान में, लोक सभा तथा प्रदेशों की विधान सभाओं में यह लागू है, लेकिन राज्य सभा एवं विधान परिषदों में लागू नहीं है। इसलिए वहां भी इसे तुरंत लागू किया जाए। इस बारे में मंत्री जी से आप सोच–विचार करें कि जब लोक सभा और विधान सभाओं में उनके लिए आरक्षण है, तो राज्य सभा और विधान परिषदों में क्यों नहीं है। मेरा आग्रह है कि वहां भी इस व्यवस्था को लागू किया जाये और इसके लिए आप अलग से एक विधेयक लाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

सभापति महोदय, इन्हीं लफ्जों के साथ, मैं ज्यादा समय न लेते हुए, मुझसे पूर्व वक्ताओं और विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जो विचार यहां व्यक्त किए हैं, और जो ख्यालात रखे हैं, उनके ख्यालात से अपनी सहमति जताते हुए, जो बातें मैंने यहां रखी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उनकी तरफ विशेष ध्यान देंगे। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से उन दो बातों को विशेष रूप से दोहरा देना चाहती हूं और पुनः कानून मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि यदि आपकी नीयत साफ है और सरकार सच्चे दिल से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऊपर उठाना चाहती है और उनको आरक्षण का पूरा लाभ देना चाहती है, तो आरक्षण में न केन्द्र सरकार, न कोई राज्य सरकारें और न सुप्रीम कोर्ट तथा निचली अदालतें किसी तरह की दखलंदाजी करें। इस हेतु आरक्षण के मामले में भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में लाएं।

[कुमारी मायावती]

इसके साथ-साथ आप एक और ऐसा विधेयक लाएं जिसमें यह मेंशन किया जाए कि संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार हर महकमे में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने के लिए न तो कोई सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी देगा और न कोई निचली अदालतें उसमें अड़ंगा लगाएगा।

सभापति महोदय, चूंकि आपने घंटी बजा दी है और यह इंडीकेट कर दिया है कि बोलने का समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं इन्हीं लफ्जों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। क्योंकि अगर मैं मनुवादी व्यवस्था पर कुछ बोलूंगी, तो सत्ता पक्ष के लोग चीखेंगे, लेकिन मैं बता देना चाहती हूं कि मनुवादी व्यवस्था के कारण ही आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की ऐसी हालत हुई है जिसके कारण उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ी। मुझे विश्वास है कि आरक्षण को पूरा करने के लिए आप स्पेशल स्टैप्स उठाएंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी।

श्री राम सागर रावत (बाराबंकी) : अधिष्ठाता महोदय, कानून मंत्री के पद से आज जो 84वां भारतीय संविधान संशोधन विधेयक और संविधन के अनुच्छेद 334 में संशोधन का जो विधेयक आया है मैं समाजवादी पार्टी की ओर से उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

संविधान में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए एक समय सीमा बांधी गई थी कि जो लोग पीछे हैं, उन्हें विशेष अवसर देकर सामाजिक, राजनैतिक स्तर पर बराबर का दर्जा देंगे, हमें इस बात का खेद है और सदन को भी इस बात की चिंता है कि वास्तव में देश के अंदर जो व्यवस्था बनाई गई थी, यदि संविधान में नेकनीयती से कार्य किया गया होता और उनकी सुविधा का दोष न किया गया होता तो जो दस-दस वर्ष में संविधान में संशोधन और आरक्षण की समय अवधि बढ़ाई जाती है, शायद उसकी आवश्यकता न पड़ती। जिस बात के लिए उन्हें विशेष अवसर दिया गया था, चाहे अनुसूचित जाति या जनजाति के भाई हों, आज भी उनके पास न मकान है, न पीने का पानी है और शिक्षा के मामले में भी उनका स्तर बहुत पीछे है। यदि हम कहेंगे तो शायद सत्ता पक्ष के लोग कहेंगे कि विषयांतर किया जा रहा है। हमारे यहां अनुसूचित जाति के लोगों को इंदिरा आवास की जो सुविधा दी गई थी, 20,000 रुपये में घर बनाने की बात कही गई, वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें आपके यहां से ज्यादा मंत्री हैं। हर मकान पर पांच से दस हजार रुपये तक की कमीशन ले रहे हैं। इतना बड़ा करप्शन है। यही नहीं, उनको बैंकों से जो वित्तीय सहायता दी जा रही है, कानून मंत्री जी, उसमें दस प्रतिशत से तीस प्रतिशत तक कमीशन खुले आम लेते हैं। जब उनकी सुविधा में इस प्रकार का दोष होगा, सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी, अधिकारियों की नीयत ठीक नहीं होगी तो ठीक से सुविधा कैसे पहुंचाई जा सकती है। हमें इस बात को भी सोचना पड़ेगा।

जहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, तमाम जगह यह लिख दिया जाता है कि सूटेबल कैन्डीडेट नहीं मिल रहे हैं इसलिए उनकी जगह पर जनरल कर दिया जाएं। जो संस्थागत स्कूल हैं, ऐडेड हैं, उनमें चपरासी की जगह की पूर्ति नहीं हो पा रही है, बड़ी नौकरियों में तो जाने दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे पेशों में जो लोग लगे हुए हैं और उनकी तरक्की के लिए जो सुविधा दी गई है, अभी हमारे वरिष्ठ साथी बोल रहे थे, उनकी जो वित्तीय सहायता है, वह कई बार लैप्स हो चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इनको जो विशेष अवसर मिला है, उसका उनको समूचा लाभ नहीं मिल रहा है तो समयबद्ध इनमें तरक्की या समानता कैसे आ सकती है? इसलिए हाउस में मुझे कहना पड़ रहा है कि जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। यह आरक्षण आपको बार-बार बढ़ाना पड़ेगा। यह आपके लिए सुनहरी अवसर नहीं है। मंत्री जी आप यह मानकर मत चलिये कि यह मेरा सौभाग्य है कि संविधान के द्वारा हम उनकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है कि समयबद्ध ढंग से यह काम नहीं हुआ है। इसको आप अपना सौभाग्य मत समझिये, यह हमारे हाउस के लिए एक चिंता का विषय है कि जो चरणबद्ध तरीके से हम योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचाते हैं।

करप्शन राक्षस की तरह से हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को जो सुविधाएं मिली हैं, उन को किस तरह से नोंच खा रहा है, चिंता का विषय यह है। यही नहीं, बल्कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आदिवासी इलाके हैं, वहां आज भी लोग नाले का पानी पीते हैं, नदियों का पानी पीने के लिए मजबूर है। आज झुग्गी-झोपड़ियों का इन्तजाम ठीक नहीं है, इसलिए हमें आज यह कहना पड़ रहा है कि इन सारी चीजों की पूर्ति के लिए यह संविधान संशोधन अत्यावश्यक है।

अभी जो पंचायतों में एक व्यवस्था की गई थी कि अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए चाहे प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, उसमें आरक्षण की व्यवस्था हो। वह व्यवस्था हमारे यहां, उत्तर प्रदेश में और कई सूबों में की भी गई थी। अभी उसमें कई कार्नर से कुछ बात आई, एक सुप्रीम कोर्ट की बात आई। यही नहीं, कई कार्नर से पूरे देश में इस बात की साजिश हो रही है कि इनके लिए जो विशेष अवसर है, वह समाप्त हो, इसलिए यह सदन के लिए चिन्ता का विषय है। जिस पवित्र मंशा से हम पूरे समाज को एक समान अक्सर देना चाहते थे, समान तरक्की देखना चाहते थे, आज हम उनको समान तरक्की के अवसर नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए यह हमारे लिए चिंता का विषय है।

आज यहां पर हमारे तमाम सम्मानित नेताओं ने, तमाम सम्मानित सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करते हुए कानून मंत्री जी की तरफ से जो यह संविधान संशोधन बिल लाया गया है, समाजवादी पार्टी की ओर से मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, आपने संविधान के 84वें संशोधन विधेयक 1999 पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

संविधान का यह 84वां संविधान संशोधन विधेयक, 1999 में अनुच्छेद 334 में संशोधन कर 50 वर्ष की जगह पर 60 वर्ष करने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक आया है। चारों तरफ से सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने यह स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में, जो स्वर्ण जयन्ती वर्ष के अवसर पर लक्ष्य रखा गया, जिस प्रकार से संविधान में राजनैतिक रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा में और विधान सभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसमें और दस वर्ष बढ़ाने की बात अभी आई है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी जनता दल (यूनाइटिड) की ओर से उसका भरपूर समर्थन तो करता ही हूं, लेकिन सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज देश की स्थिति है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जो वंचित हैं संविधान और नीति के तहत जो अन्य क्षेत्रों में, नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, जिसमें प्रमोशन जैसे सवाल पर चारों तरफ से हमला हुआ, उसको कतिपय माननीय सदस्यों ने रेखांकित करने की कोशिश की है। मद्रास उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में हुए फैसलों पर भी यहां चर्चा हुई है।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि हाल के दो–तीन वर्षों में आरक्षण में प्रमोशन और अन्य क्षेत्रों के बारे में जो विरोध उत्पन्न हुआ है, उसके लिए सदन में अलग से विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के बाद भी हमारे जो लक्ष्य हैं, संविधान के अनुरूप जो प्रावधान किया गया था और भारतीय गणराज्य के जो लोग उससे वंचित हैं, उनको समान अवसर देने का मौका मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। इन 50 वर्षों में जो भी शासन में रहे हैं वे उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सके और विभिन्न तौर से उनको डायलूट करने की बातें की गईं। इस पर एक सम्यक निर्णय हो सकता था, वह नहीं हुआ है। जैसा अभी राम सागर जी बता रहे थे कि लिख दिया जाता है कि सूटेबल कैंडिडेंट नहीं है इसलिए दूसरे कैंडिडेंट को ले लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के नौवें अनुच्छेद में रखने का एक प्रस्ताव इस सदन में लाया जाए और इसे नौवें शिड्यूल में रखा जाए, ताकि कहीं भी 'अगर' या 'मगर' न लग सके। इस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वह निश्चित रूप से नौवें शिड्यूल के डंडे से, संविधान के डंडे से जमीन पर उतारी जा सकती है और सभी वंचितों को मौका मिल सकता है।

मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जो आजादी के स्वर्ण जयंती वर्ष तक नहीं हो पाई है। मैं संविधान के 84वें संशोधन का पुरजोर समर्थन करता हूं और आपके जरिए फिर एक बार कानून मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आरक्षण का चौतरफा 'अगर' और 'मगर' लिखा जाता है, वह नहीं होना चाहिए। न्यायपालिकाओं के जो जजमेंट आए हैं, जैसा कई माननीय सदस्यों ने बताया कि कई राज्य सरकारों ने उसके इम्प्लीमेंटेंशन में भेदभाव किया है, बिहार में प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। जेठमलानी जी, आप एक सक्षम विधिवेत्ता हैं, देश के जाने माने वकील हैं, हम आपको इस संविधान संशोधन के लाने पर बधाई देते हैं। आपने मंडल कमीशन जैसे मामले में दायर मुकदमें में वकालत करके गरीबों की लड़ाई जीतने का काम किया था इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आरक्षण में प्रमोशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन में जहां–जहां कमियां हैं, वे दूर की जाएं और इसे संविधान के नौवें शिड्यूल में रखा जाए तथा 'अगर' और 'मगर' के ऊपर चर्चा करके उसका समाधान किया जाए। जिससे इन लोगों के लिए विशेष अवसर के सिद्धांत को अमलीजामा पहनाया जा सके।

अंत में फिर एक बार इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम लोक सभा व विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन समुदायों की दीर्घ काल से लम्बित मांग है कि उन्हें राज्य सभा व विधान परिषदों में भी स्थानों का आरक्षण दिया जाए। किंतु इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह लम्बे समय से लम्बित मांग है।

मैंने सभा में सदस्यों के भाषण सुने। विगत 19 माहों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अत्याचार बढ़े हैं, ये समुदाय बहुत खतरे में हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन समुदाय के लोगों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाएं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करने का प्रस्ताव आया था। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना पर विचार करें।

[श्री कोडीकुनील सुरेश]

राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार में रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती हेतु संवैधानिक सुरक्षोपायों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए समय से कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं सरकार से संवैधानिक बाध्यताओं को मानने और राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के स्तर पर इन लोगों के लिए आरक्षित पदों को विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से भरने का अनुरोध करता हूं।

हाल ही में केन्द्र सरकार के विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। यह निर्णय इन जातियों और कर्मचारियों के उत्थान के लिए संवैधानिक दायित्व के विरुद्ध है। सरकार न्यायालय के इस निर्णय के कारण आने वाली बाधाओं व अड़चनों को दूर करने के लिए विशेष संशोधन द्वारा उपाय करने पर विचार कर सकती है।

राज्यों में अतिरिक्त भूमि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के जरूरतमंद लोगों को आबंटित नहीं की जा रही है। सरकार को भूमि सुधार अधिनियम का कड़ाई से कार्यान्वयन करना चाहिए और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित निर्धन लोगों को ऐसी भूमि आबंटित करनी चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आबंटित धनराशि को सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है। सरकार को ऐसी धनराशि के दुरूपयोग को रोकने के लिए उपायों पर विचार करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सम्माननीय सभा में कुछ तथ्यों को रखने का अवसर प्रदान किया।

अपराह्न 2.54 बजे

(श्री सोमनाथ चटर्जी *पीठासीन हुए)*

आरंभ में, मैं यहां इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे बहुत खुशी है कि 25 अक्तूबर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए गए अभिभाषण में हमने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के हितों का संरक्षण करने का वचन दिया है। हम अपने समाज से अस्पृश्यता का अन्तिम चिन्ह मिटा देने के लिए कटिबद्ध हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को अन्य 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा और कुछ राज्यों द्वारा अपनाए गए 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण प्रतिशत को वैधानिक कार्यवाही द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

महोदय, मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं, विशेषकर तब जबकि मैं इस चर्चा में भाग ले रहा हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष बाद भी इस दलित, कम विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय को दस प्रतिशत संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त नहीं है। संविधान उन्हें 22.5 प्रतिशत अधिकार देता है लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हमें दस प्रतिशत अधिकार भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

यहां संशोधन में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में 'पचास वर्षों' के स्थान पर 'साठ वर्ष' प्रतिस्थापित किया जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पहले से ही विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने क्या नीति अपनायी है। वे कार्यान्वयन प्रक्रिया में क्या संशोधन करने जा रहे हैं ताकि निर्धारित अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को शत-प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हो जाए? बाधा कहां है? विलंब क्यों हो रहा है? यह दलित वर्ग अभी तक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए क्यों हैं? क्या सरकार ने इस पहलू का विश्लेषण किया है? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे तथ्यों को इस सभा के समक्ष प्रस्तुत करें और मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपने जवाब में एक सकारात्मक हल बतायें और इस सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख करें।

महोदय, आरक्षण को अन्य दस वर्षों के लिए बढ़ाए जाने का प्रश्न आंशिक है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आरक्षण नीति को अन्य पचास वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए। कम से कम अगले पचास वर्षों में तो इस दलित समुदाय को वह अधिकार प्राप्त हो जाये जो कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने उन्हें दिए हैं।

महोदय, मुझे कुछ शंकाएं है। आब्जर्वर स्टैस्टीकल बुक 1998 के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 20,59,01,000 थी। क्या यह उनकी आज तक की जनसंख्या है? इसे कब अद्यतन किया गया था? अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनगणना कब की गई थी? मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय अपने जवाब में इन तथ्यों का उल्लेख करें। यदि 1991 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या यह है तो आरक्षण जनगणना तथा जनसंख्या पर आधारित होना चाहिए। यदि यह जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए तब सरकार को पहला कदम यह उठाना चाहिए कि वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनगणना को अद्यतन करे। महोदय, मेरे विचार में यह सरकार की असफलता है कि उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनगणना को अद्यतन नहीं किया और इस दलित समुदाय के लिए किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके तथा प्रभावी कदम नहीं उठा सके।

महोदय, विधेयक में यह कहा गया है कि आरक्षण केवल दस वर्षों के लिए है। यदि सभा में सर्वसम्मति के कारण विधेयक पारित होता है तो यह कैसे हो सकता है कि सरकार दस वर्षों के भीतर

सभी स्तरों पर आरक्षण का कार्य पूरा कर लेगी, मैं दोहरा रहा हूं 'प्रत्येक स्तर पर'?

अपराह्न 3.00 बजे

अतः आरक्षण न केवल विधान सभाओं में मिलना चाहिए बल्कि सरकारी संस्थानों और सेवाओं में भी मिलना चाहिए। मैं इस सम्मानीय सभा से अनुरोध करता हूं कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सोचें और सहानुभूतिपूर्वक विचार करे तथा इस गंभीर मुद्दे का विश्लेषण करें। मैं विपक्ष के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे इस संवेदनशील मुद्दे पर दलगत नीति से परे रहते हुए सर्वसम्मति बनायें।

शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब एक आदेश दिया है। उसमें कहा गया है कि यह 'योग्यता' पर आधारित होता है। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय 'योग्यता' की परिभाषा दे सकते है? यदि वे 'योग्यता' की परिभाषा दे रहे हैं तो ठीक है। अन्यथा, यदि यह केवल एक शब्द है कि उच्च शिक्षा विशेषकर कि चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इंजिनियरिंग में आरक्षण के लिए 'योग्यता' एक साधन होगा, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इसकी परिभाषा दें। इस मामले पर न्यायपालिका द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं इस सम्मानीय सभा से अनुरोध करता हूं कि वे सर्वसम्मति बनायें। इस संवेदनशील मुद्दे में कहीं से भी कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सभी स्तरों पर आरक्षण का प्रावधान है लेकिन यह बहुत शर्मनाक बात है कि सर्वोच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक भी न्यायाधीश नहीं है।

महोदय, उच्च पदों सरकारी सेवाओं और न्यायपालिका में लगातार दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है जबकि संविधान ऐसे आरक्षण की गारंटी देता हैं यहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 16 (4क) को उद्धरित करना बहुत उचित होगा। महोदय, मैं बहुत व्यथित ह्रदय से आपके समक्ष खड़ा हूं। दलितों पर अनेक अत्याचार किए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पिछले दस वर्षों के दौरान दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर एक राज्य-वार श्वेत पत्र तैयार करें और उसे सभा पटल पर प्रस्तुत करें। एक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। इसका समय-समय पर साथ-साथ संशोधन किया जाना चाहिए। इन पहलुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए एक पृथक न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि जब मेरी नेता डा. पुराची थैल्लवी 1991 से 1996 तक तमिलनाडु की मुख्य मंत्री थीं तब उन्होंने दलितों के आर्थिक उत्थान, उनकी शिक्षा तथा दलितों के राजनीतिक उत्थान के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम बनाया था। अब मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरी नेता के प्रयत्नों के कारण तमिलनाडु में दलित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। क्या देश के सभी राज्यों के लिए वह एक आदर्श होगा?

इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं मैं केवल एक मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। जहां तक कि आरक्षण नीति का संबंध है, विशेषकर कि सरकार की श्रेणी-एक की सेवाएं-वर्ग चार, तीन और दो की निम्न श्रेणियों के लिए यह ठीक है- जबकि दलितों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, इस आरक्षण की नीति में कुछ संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि सभी राज्य इसका पालन नहीं कर रहे हैं। निश्चय ही, तमिलनाडु में हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अन्य राज्य अफसर शाही के कारण इसका पालन नहीं कर रहे हैं। या तो वे इसका पालन नहीं कर रहे हैं अथवा वे निचले स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे उन सभी समस्याओं के सकारात्मक हल प्रस्तुत करें।

इन वंचित वर्गों के लिए अनेक योजनाएं बनायी गयीं हैं। लेकिन उन्हें निचले स्तर पर किस सीमा तक कार्यान्वित किया जा रहा है? क्या निचले स्तर को मिलने वाले लाभों के प्रतिशत का मूल्यांकन करने के लिए कोई निगरानी एकक बनाया गया है? नहीं, अब तक कोई निगरानी एकक नहीं बनाया गया है।

कोई निगरानी एकक नहीं बनाया गया है, समय-समय पर कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है और समय-समय पर कोई जांच नहीं की जाती है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में एक सतर्कता एकक नियुक्त करें ताकि न केवल इसका कार्यान्वयन हो बल्कि इसलिए कि बिना कोई कमी किये शत-प्रतिशत लाभ निचले स्तर को मिल सके।

महोदय, इन पंक्तियों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह सरकार दलित समुदाय के लिए एक सकारात्मक हल निकालेगी और आरक्षण को अन्य 50 वर्षों के लिए बढ़ायेगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सर, भारतरत्न डा. बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए दस वर्ष तक आरक्षण मिलना चाहिए। यह आजाद देश का दुर्भाग्य है कि आज 50 वर्ष के बाद भी, हम एक बिल ला रहे हैं। डा. बाबासाहेब की इच्छा थी कि पिछड़ी जाति के लोगों को सीखना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, एजूकेटिड होना चाहिए और अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। उन्हें यह पता था कि अगर हम आरक्षण बढ़ाते जायेंगे तो जो लोग आरक्षित नहीं हैं, आज देश के ज्यादा से ज्यादा लोग आरक्षित नहीं हैं, उनके ऊपर अन्याय होगा। आप बोल रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों पर अन्याय हो रहा है, लेकिन जो लोग आरक्षित नहीं हैं, उनके ऊपर कम अन्याय नहीं हो रहा है। हमारा कहना यह है कि दूसरे लोगों पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए, यह मैं शिवसेना की राय आपके सामने रखना चाहता

[श्री मोहन रावले]

हूं। आज असंतोष की ज्वाला भड़क रही है। इससे पहले दिल्ली में आरक्षण के खिलाफ अंगार लगाकर नौ युवकों ने अपनी जान दी थी। गुजरात में आंदोलन हुआ था, वहां भी लोगों ने जान दी थी और देश के कई भागों में ऐसा आंदोलन हुआ था....*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : जान ली थी या जान दी थी.. *(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई) : अंगार लगाकर दिल्ली में जान दी थी.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति महोदय : वे बात समाप्त नहीं कर रहें हैं। श्री रावले कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : गुजरात में आपने जान ली थी, वहां हमारे लोगों को मारा गया। यहां जो जले तो जले, उनको अभी भी जलना है तो जलें.... *(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : सर, यह जो बोल रहे हैं, वह इन्हें वापस लेना चाहिए। वह बोल रहे है। कि जो जले तो जले, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, क्या आपकी जान की कीमत है.... *(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : उन्होंने स्वेच्छा से किया, उन्हें हमनें नहीं मारा। शेड्यूल्ड कास्ट्स ने दिल्ली में किसी को नहीं मारा, गुजरात में हमें मारा गया....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रावले, आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं इसकी छानबीन करूंगा।

....*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, आपको यह बात समझनी चाहिए।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको भी समय मिलेगा। उस समय आप बोल सकते हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, हम सदन में यह कहना चाहते हैं कि आज जाति–जाति में संघर्ष होने की बात आई है.... *(व्यवधान)* डा॰ बाबासाहेब अम्बेडकर साहब को पता था इसीलिए उन्होंने दस वर्ष तक ही आरक्षण देने की राय रखी थी। यह दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री रह चुके श्री बूटा सिंह जी ने एक बात रखी, जिससे मुझे दुख हुआ। वह ट्रेजरी बैंच में भी थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट प्रोमोशन के ऊपर दी है, उन्हें क्या अधिकार था। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ सारा सदन चाहता है कि न्याय व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। कहीं आप डिफर हो सकते हैं। यह सदन है। मैं सुन रहा था....*(व्यवधान)* मैंने आपका नाम लिया है आप क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं। सदन सुप्रीम है, आप उस बारे में संशोधन करके कुछ निर्णय ले सकते हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था के ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते। आप न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ट्रेजररी बैंच में रह चुके हैं।

सरदार बूटा सिंह : ग़लत कोट कर रहे हैं। सभापति जी, मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो पार्ट–3 आफ दि कांस्टीट्यूशन है, उसे फंडामेंटल राइट माना है....*(व्यवधान)*

खंड 16 की धारा को अनुज्ञात्मक प्रावधान के रूप में कैसे घोषित किया गया जबकि पूरा अनुच्छेद अपने आप में मौलिक अधिकार है? किसी न्यायालय को यह अधिकार अथवा संवैधानिक पुर्नलेखन का अधिकार किसने दिया है? मेरे मन में उच्चतम न्यायालय के प्रति बहुत श्रद्धा है और मैंने निर्णय की आलोचना भी नहीं की है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था रखी है, मानिये कल को आपके लोग घोटाला....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : हम संविधान के जनक हैं। यह क्या है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रावले, आप विषय से बाहर जा रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : मैं सब्जैक्ट से बाहर नहीं जा रहा हूं, उन्होंने जो बात कही है मैं उस पर बोल रहा हूं।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, जो उन्होंने कहा, जो मैंने सुना, वह मैं बोल रहा हूं। मैंने गौर से उनको सुना हैं मेरा आग्रह है कि आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। मैं उसी के बारे में बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। आप जारी रखिए।

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, अगर किसी कर्मचारी को यह लगे कि मैं चाहे कितनी ही मेहनत कर लूं, दिल लगाकर चाहे

जितना भी अच्छा काम कर लूं, मुझे कोई प्रमोशन मिलने वाली नहीं है, तो वह क्यों काम करेगा। यदि किसी कर्मचारी को यह मालूम हो कि मुझे अपनी जाति या धर्म के आधार पर प्रमोशन मिलने वाली है, तो वह क्यों काम करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण का प्रावधान करके आप राष्ट्र को नष्ट कर रहे हैं।

सभापति महोदय : उन्होंने उच्चतम न्यायालय की निन्दा नहीं की है। आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, मैं सब्जैक्ट पर ही बोल रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं वह प्रोमोशन से रिलेटेड है।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, उन्हें स्पष्ट करने दीजिए कि वह विधेयक का समर्थन कर रहे हैं अथवा विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ किसी को निर्देश नहीं दे सकती। आपको उनके भाषण से समझना होगा। श्री रावले, मेरा आपसे केवल यह अनुरोध है कि आप अपने को इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय तक ही सीमित रखिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, जो मैंने सुना है वह मैं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको उसे कहने का अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : बूटा सिंह जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार है....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मुझे स्पष्ट करने दीजिए कि मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय के लिए अगाध श्रद्धा रखता हूं। लेकिन वह लोगों की गलत उद्धृत देने में विशेषज्ञ हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, हमारी यह मांग है कि जो गरीब हैं या जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उसको मद्दे नजर रखते हुए उनके लिए भी आरक्षण होना चाहिए। यह मांग मैं सदन में रखना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राम नायडू दग्गुबाटि (बापतला) : सभापति महोदय, लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति को और दस वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के संबंध में संविधान (चौरासीवां) संशोधन विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। यह कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान और असमानता को दूर करने और दलितों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में स्वागत योग्य प्रयास है। माननीय महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति को लागू करने के उपायों में सुधार किया जाना चाहिए।

क्रियान्वयन तन्त्र में चाहे जो भी कमियां हों उनका सम्यक् विश्लेषण किया जाना चाहिए और उनके उचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि क्रियान्वयन तंत्र की कमियों को दूर करने के लिए सरकार को पुनरीक्षा समिति गठित करने के बारे में विचार करना चाहिए।

महोदय, आंध्र प्रदेश में हमारे कर्मठ मुख्य मंत्री काफी उदार रहे हैं और उन्होंने इस प्रकार से नीतियों का अनुपालन किया है कि सामान्य सीटों से अनुसूचित जाति के लोगों ने भी चुनाव लड़ा है और विधायक के लिए चुनाव जीते भी हैं। इसके अतिरिक्त तेलुगू देशम् पार्टी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आबंटित की गयी विधान सभा की सीटों को 14 प्रतिशत और 4 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशः 15 प्रतिशत और 6 प्रतिशत कर दिया है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक राज्य को ऐसे सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए।

मैं महिलाओं के लिए भी उचित आरक्षण प्रदान करने का अनुरोध करता हूं ताकि उन्हें उनका हिस्सा मिल सके।

अन्त में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे और मेरे मित्रों और सभी माननीय सदस्यों को विधेयक का समर्थन करने के लिए अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के सदस्यों को देखा जाए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के आरक्षण को दस वर्ष और बढ़ाने के लिए जो 84वां संविधान संशोधन आया है, हम उसका समर्थन करेंगे, आप उसके पक्ष में तर्क देंगे, कहां-कहां गड़बड़ी, त्रुटि है, उसे सुधारने का सुझाव देंगे।.....(व्यवधान) इनको बरदाश्त नहीं हुआ। क्या हाल है, जिस देश में इस तरह की हुकुमत होगी वहां कैसे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की तरक्की होगी। जिस सत्ता पक्ष के लोगों की मानसिकता इस प्रकार की है, उसमें कैसे तरक्की हो

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

सकती है।.....(*व्यवधान*) बिल लाए हैं, आपकी लाचारी है, आपके मन के भीतर क्या है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि जिस देश के करोड़ों लोग वंचित, शोषित, उपेक्षित रहेंगे, वह देश दुनिया के मुल्कों के साथ बराबर अथवा ताकतवर नहीं हो सकता, वह आगे के बैंच पर एक साथ दुनिया के मुल्कों के साथ नहीं बैठ सकता। डा. राम मनोहर लोहिया ने भी बार-बार कहा कि जिस देश में करोड़ो लोग इस तरह शोषित, उपेक्षित, वंचित और सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक ढंग से पिछडे रहेंगे, दबे रहेंगे, वह देश तरक्की नहीं कर सकता, वह देश मजबूत नहीं हो सकता। इस सभी के आलोक में संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का प्रावधान किया। बहुत लोगों की धारणा है, मैं उनके भाषण से असहमत हूं कि यह खैरात या उन पर कोई कृपा हैं ऐसा नहीं है। यह भीख नहीं भागीदारी, सत्ता में हिस्सेदारी है। यह संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का अधिकार है। इसलिए इसे खैरात कहकर किसी को हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। यह कोई दया या कृपा नहीं है, संविधान निर्माताओं ने उनको यह अधिकार दिया है। हम नहीं जानते, जिस समय संविधान बना, उसमें बार-बार संशोधन करके दस वर्ष, पन्द्रह वर्ष जोड-जोडकर बढ़ाते रहे, फिर माननीय मंत्री जी 84वां संविधान संशोधन लाए हैं। पहले अनुमान लगाया गया कि पंद्रह वर्षों में तरक्की हो जाएगी, फिर दस वर्ष और बढा दिए, क्या कुछ हिसाब हुआ है कि पचास वर्षों में कितना सुधार हुआ है? पचास वर्षों में सुधार नहीं हुआ तो क्या आगे दस वर्ष और बढ़ा देने से सुधार हो जाएगा? क्या इसका कुछ विश्लेषण किया गया है? लेकिन मुझे इस बात से संतोष है कि माननीय कानून मंत्री ने यह वचन दिया है कि हम तीन दिन की कांफ्रेंस करेंगे और इस पर गहराई से बातचीत करेंगे। इससे हमको लगता है कि उनको चिन्ता है। पिछले वर्षों में सदन में बार-बार अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों पर जो ज्यादतियां हुई हैं, उस पर बहस होती रही है लेकिन ठोस रूप में इसका परिणाम नहीं आया कि इस देश में जो करोड़ों उपेक्षित, वंचित, शोषित लोग हैं, उनको किस तरह सहूलियत दी जाए और इस तरह का वातावरण कायम किया जाए जिससे उनको बराबरी का दर्जा मिल सके और सम्मान मिल सके। जो तीन दिन की कांफ्रेंस बुलाएंगे, हम सरकार से अपेक्षा करेंगे, उन्हें इस तरह की रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ेगी कि पचास वर्षों में क्या स्थिति हुई और किस तरह से अनुमान लगाया गया है कि दस वर्ष और देने से उनको बराबरी का दर्जा मिल जाएगा। ये अंदाज से दस वर्ष बोल रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि इनका समय-समय पर विश्लेषण होना चाहिए कि आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, उसके उद्देश्य की कितनी आपूर्ति होती है। बीच-बीच में कोर्ट वाला मसला आता है, यह ठीक है, हमने स्वीकार किया है कि जहां कहीं सर्विसेज हैं, उनमें आरक्षण दिया जाए लेकिन जजों की जो सेवाएं हैं उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। बार-बार मांग होती रही है कि ज्यूडीशियल सर्विसेज का कमीशन बनना चाहिए, जिसमें आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, उसको सरकार क्यों नहीं लाई है। इस पर कई बार सदन में बहस हुई है और सरकार की तरफ से कुछ लगा है कि सहमति जैसी है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी पर सदन में बहस हुई थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अधिकारी काम करते हैं, सरकारी सेवाओं में हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला हुआ, जिससे उनके प्रमोशन में बाधा पड़ी और सरकार ने कहा कि लाचारी है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसलिए चन्द तरह का सर्कुलर जारी हुआ, जिससे उनके प्रमोशन में बाधा पड़ी है, उन पर आघात हुआ है, इसके लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, उसमें क्यों देरी करते हैं। यह जो संशोधन आया है, वह ले आये हैं कि 10 वर्ष बढ़ा दीजिए, आप इससे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की भारी तरक्की कराने वाले हैं। मुझे भरोसा नहीं है। आप क्यों नहीं वह संशोधन लाते, कानून लाते, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते सरकार को बाध्य होकर, केवल केन्द्र सरकार को ही नहीं, राज्य सरकारों को भी बाध्य होकर ऐसा सर्कुलर निकालना पड़ा है, जिससे उनके प्रमोशन में बाधा पड़ी है और उनकी सेवा को खतरा है, उनकी मानसिक स्थिति में खराबी आ रही है। इसीलिए इस सरकार की नीयत साफ होती तो मैं जानता कि उस संशोधन को लाते, जिससे सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट, जो बराबर खिलाफ में कुछ कोर्ट्स में फैसला हो जाता, उस तरह का पुख्ता कानून बनना चाहिए, जिससे कोर्ट की बात न गले और कहीं ऐसा फैसला न हो जाये, जिससे सदन की इच्छा और जो हम लोग कानून बनाने वाले हैं, जो भावना है, उसके खिलाफ बातें हो जाएं। बार-बार एक फैसला होता है और माननीय बूटा सिंह जी सवाल उठा रहे थे कि विभिन्न कोर्ट्स का विभिन्न किस्म का फैसला हो जाता है। कभी पक्ष में हो जाता है, कभी विपक्ष में हो जाता है चूंकि हम न्यायपालिका का आदर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए न्यायपालिका के फैसलों को देखकर तदनुसार संविधान में संशोधन की जरूरत पड़े अथवा तदनुसार कानून बनाने की जरूरत पड़े तो उसको कानूनी जामा पहनाना चाहिए, जिससे कोर्ट को जिस तरह से जब चाहे फैसला देने का अधिकार न रहे। उस तरह से न्याय के दृष्टिकोण से सम्यक एक कानून बनाना चाहिए, जिससे जो दलित लोग हैं, शोषित लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके हितों का संरक्षण हो सके और उनकी तरक्की हो सके।

मैं इस बात के लिए दृढ़संकल्पित हूं कि जब तक हिन्दुस्तान के करोड़ों शोषित, आदिवासी, गरीब, पिछड़े वर्ग, दलित लोगों को तरक्की, सम्मान और बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, हिन्दुस्तान भी आगे नहीं बढ़ेगा, हिन्दुस्तान भी अन्य मुल्कों के साथ बराबरी की तुलना में नहीं आयेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को निष्पक्ष होकर देशहित में, समाज हित में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन के लिए और बराबरी का दर्जा देने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि हिन्दुस्तान दुनिया के मुल्कों के सामने सीना तानकर, सिर ऊंचा करके चल सके, उस तरह की भावना संविधान में लानी चाहिए। मैं इस बात से असहमत

हूं कि रस्मी तौर पर ये आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के बड़े भारी खैरख्वाह बने हैं, बड़े भारी हितैषी बने हैं कि हम इसे ले आये हैं, पहले दस वर्ष था, फिर दस वर्ष के लिए बढ़ा देते हैं। इससे हमको नीयत पर कोई भरोसा नहीं है कि ये कोई बड़ा भारी कल्याण करने वाले हैं।

ये लोग तो यथास्थितिवादी है और दकियानूसी लोग हैं। पुराना छुआछूत का भेदभाव और सब मंत्र पढ़ने वाले ये लोग हैं। पुराना तत्व जो बहन मायावती जी कहती थीं कि ये मनुवादी हैं, ये उसी मानसिकता वाले लोग हैं, जो समाज में यथास्थितिवाद चाहते हैं, जिन बातों के चलते हिन्दुस्तान इतने वर्षों तक गुलाम रहा। उसी तरह की परिस्थिति फिर ये लाना चाहते हैं। इसीलिए इसका हम घोर प्रतिवाद करते हैं और इनकी मानसिकता को हम दुरुस्त करना चाहते हैं कि प्रगतिशील और हिन्दुस्तान की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तन के लिए इनकी भी मानसिकता बदलनी चाहिए। मंत्र पढ़ने से परिवर्तन नहीं आता।

कखनहरा दुख मोर, हे भोलानाथ, दुखहि जनम है,

न दुखहि जियाउल, सुख सपनेहि नहीं भेद।

महाकवि विद्यापति ने करोड़ों आदिवासी, गरीब दलित, पिछड़े शोषित, दबे हुए लोगों के लिए ऐसा कहा है। यदि यह मंत्र पढ़ने से होता तो दीपावली मे हम गांव-गांव में पढ़ते हैं कि लक्ष्मी आवे, दरिद्र भागे, लेकिन हजारों वर्षों से यह नहीं हुआ संविधान संशोधन, कानून में सुधार, मानसिकता में सुधार होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन हिन्दुस्तान में हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

मुझे संसद की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में काफी लम्बे समय तक काम करने का अवसर मिला और मुझे देखकर हैरानी हुई कि स्वतंत्रता प्राप्ति के कई वर्षों बाद भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद बड़ी मात्रा में रिक्त पड़े हुए हैं। क्या मैं यह समझूं कि चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अतः इसके पीछे कुछ कारण अवश्य होगा। ऐसा इसलिए होगा कि किन्ही विशेष वर्गों की ओर से किसी प्रकार का विरोध रहा होगा।

दूसरा 'पदोन्नति' के बारे में है। प्रावधान यह है कि जिन्हें पदोन्नति दी जाएगी उन्हें उसी संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन अधिकतर स्थानों में मुझे पता है कि उन्हें संस्थान में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। वह उनके साथ-साथ देश के लिए भी आवश्यक होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया था।

तीसरा मैं एक बात बताना चाहती हूं कि भूमि सुधार सभी राज्यों में क्रियान्वित किये जाने चाहिए और केवल आरक्षण से कुछ नहीं होगा क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अधिकतम संख्या कृषि मजदूरों की है। कितने राज्यों ने भूमि सुधार लागू किये हैं? जब आप हमारे राज्य में आते है या केरल जाते हैं तो पदो की बकाया संख्या काफी कम है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करें तो भूमि सुधारों को लागू किया जाना चाहिए।

अभी-अभी मेरे सहयोगी मित्र *लक्ष्मी* की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहती हूं कि लक्ष्मी सरस्वती के पीछे पीछे आती है। जब तक सरस्वती वहां नहीं होगी लक्ष्मी नहीं आएगी। इसलिए निःशुल्क शिक्षा देने के प्रश्न पर विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चो को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। महोदय तभी लक्ष्मी आ सकती है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि यह किस प्रकार किया जाना चाहिए।

महिलाओं के बारे में एक प्रस्ताव है कि उन्हें कालेज स्तर पर निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी। यह अच्छा प्रस्ताव है और इसके बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य में सभी महिलाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबद्ध नहीं होती। फिर भी इस पर विचार किया जाना चाहिए।

अन्य बात जो मैं कहना चाहती हूं वह अत्याचारों के बारे में है। आप ने देखा होगा कि अधिकतर अत्याचार भूस्वामियों द्वारा किये जाते हैं इसीलिए मैं कहती हू कि यदि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ महिलाओं जैसे अन्य कमजोर वर्गों के खिलाफ किये गये अत्याचारों के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं तो आपको भूमि सुधारों के लिए लड़ना होगा।

मैं कहना चाहती हूं कि इस तथ्य की पुनः जांच की जाने की आवश्यकता है कि परियोजनाएं किस प्रकार लागू की जा रही हैं। मैंने यह भी देखा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाई गई परियोजनाएं वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं।

अतः उस पहलू की भी जांच की जानी चाहिए और विषय की गहन पुर्नजांच और सम्यक निगरानी के माध्यम से ही हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मानदंड (जीवन स्तर) को वास्तव में उठा पाएंगे और उस सम्मान को बचाए रखेंगे जिसके वे हकदार हैं। यह दया प्रश्न नहीं है यह तो उनके जीवन स्तर के मानदंड को ऊपर उठाने और उच्च सम्मान बनाए रखने का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नु लाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति महोदय, 84वां संविधान संशोधन हमारी सरकार द्वारा लाया गया है। पिछली

[श्री पुन्नू लाल मोहले]

सरकार इस दिशा में 50 वर्षों तक अनदेखी करती रही, जिसकी वजह से यह संविधान संशोधन विधेयक सन् 2010 तक लाना पड़ा।.... *(व्यवधान)* मैं बता रहा हूं, किस तरह से अनदेखी करती रही। विधान सभा और लोक सभा द्वारा यह विधेयक लाया गया है कि सन् 2000 तक आरक्षण दिया जाए। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह आरक्षण विधेयक सन् 2010 तक के लिए लाया गया है। समय दस साल के लिए बढ़ाया गया है। इसके पूर्व में मैं बताना चाहूंगा कि आरक्षण चाहे चतुर्थ श्रेणी का हो या उच्च श्रेणी का हो, जैसे मजिस्ट्रेट, नगर–पालिका, बैंक, सैनिकों तथा भू–परिवहन में आरंभ नहीं दिया गया है। नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया, उसको दस साल, पांच साल तक संजोए रखा गया और फिर आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। मैं मध्य प्रदेश से चुनकर आया हूं, मैं आपको वहां के बारे में बताना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश राज्य में 16 हजार कर्मचारियों के पद रिक्त थे, जो अधिकतर अनुसूचित जनजाति के थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। अगर आरक्षण इस प्रकार दिया गया, तो उससे क्या देश का विकास हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है, क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विकास हो सकता है? जब आरक्षण की बात कह रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं दिया गया है। जनसंख्या इतने दिनों तक बढ़ती रही, लेकिन पिछली जनसंख्या को ही आधार मान लिया गया। जनसंख्या दस वर्षों तक बढ़ती रही, जनगणना भी होती रही, लेकिन उसको आधार नहीं माना गया। पिछले सयम में सरकारें अधिकतर कांग्रेस की रही हैं। कांग्रेस की सरकार आरक्षण तो बढ़ाती रही, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से आरक्षण में कमी रही। मैं कहना चाहता हूं, 1999 में कलयुग समाप्त होने जा रहा है, और सतयुग आ रहा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार.... *(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए। कानून एक ही बनें और अन्य बडी संस्थाओं द्वारा भी आरक्षण दिया जाए। जिन संस्थाओं द्वारा आरक्षण नहीं दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, कानून बताया जाता है, कानून तोड़ने वाले के ऊपर भी कानून लागू किया जाए। हम अधिकार की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य बोध नहीं होता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल मे भी पूर्ण अधिकार दिया जाना चााहिए। मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के अनुपात के हिसाब से मंत्रिमंडल में अधिकार दिया जाए, तभी हम मानेंगे कि इस दिशा में काम हो रहा है। आज की परिस्थिति में माननीय राष्ट्रपति महोदय चुने गए हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय भी चुने गए हैं। जब ऐसे सभी जगहों पर आरक्षण होगा, तो देश का कल्याण होगा और समाज का कल्याण होगा। जब हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की बात करें, तो मैं इस दिशा से हटकर कहना चाहूंगा। सरकार द्वारा आदिवासी योजनाओं के लिए, हरिजनों के विकास की योजनाओं के लिए राशि दी जाती है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा उनको खर्च नहीं किया जाता है। जब खर्च नहीं किया जाता है, तो राशि को वापिस कर दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी राज्य सरकारें जो राशि को खर्च नहीं कर पाती हैं, पैसे का दुरूपयोग करती है, उन राज्य सरकारों को निकालने का प्रावधान भी होना चाहिए। उन राज्य सरकारों को कानूनी मुद्दों में फंसाने तथा सस्पैंड करने का अधिकार भी होना चाहिए और सजा देने का प्रावधान भी होना चाहिए, तभी देश, समाज और दलित लोगों का विकास हो सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, जिसने थोडे समय में ही सरकार बनने के बाद इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। जय हिन्द, जय भारत।

श्री पी. आर. किन्डिया (शिलांग) : सभापति महोदय, मैं संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं इस विधेयक के उद्देश्यों व कारणों का कथन का उल्लेख करना चाहता हूं इसमें यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने का मुख्य कारण यह है, कि वे कारण अब भी मौजूद हैं जिन्हें, लोक सभा और विधान सभा में स्थानों के आरक्षण और सदस्यों के नाम–निर्देशन के संबंध में उपबंध करते समय संविधान सभा में महत्व दिया गया था।

सभापति महोदय, मैं चाहता था कि सरकार वास्तविक स्थिति के आधार पर विधेयक लाती, दस वर्ष की अवधि उस अवधि की केवल एक किस्त है जिसके लिए आरक्षण अपेक्षित है। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि हम अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को वांछित स्तर तक लाने में कहां तक सफल हुए हैं। यदि सरकार ऐसा करती तो मुझे विश्वास है कि विधेयक में बताई गई अवधि दस वर्ष नहीं होती यह 20 वर्ष या 25 वर्ष या 30 वर्ष होती जो अधिक यथार्थवादी होती – यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमने स्थिति का मूल्यांकन किस प्रकार किया है।

कुछ कहने से पूर्व मैं यह उल्लेख करना चाहता हू कि हमें संविधान के निर्माताओं को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने उस समय स्थिति का मूल्यांकन किया और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मान्यता देने की आवश्यकता समझी। यह मुझे उस बात की याद दिलाती है जो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर इसी सभा कक्ष में अपने 'नियति से मिलन' भाषण में प्रधान मंत्री नेहरू ने कही थी। उन्होंने कहा था, "भारत की सेवा का तात्पर्य लाखों उन लोगों की सेवा जो दुख झेल रहे हैं। इसका तात्पर्य निर्धनता, अज्ञानता, बीमारी और अवसरों की असमानता का अन्त।" कभी–कभी हम इस बहुत महत्वपूर्ण बात को भूल जाते हैं जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। आज हम इस उपाय पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि संपूर्ण देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ये अवसर

इस प्रकार प्रदान किए जाएं जो उन्हें उस स्तर तक उठने में सहायता करें जिसे हम चाहते हैं। हम इन वृहद इच्छाओं के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों से परिचित हैं। हम उन सीमाओं को जानते हैं जिनके अधीन प्रशासन को कार्य करना पड़ता है। साथ ही निःसंदेह हमें इस बारे सही आंकड़े क्यों न मिलें कि इन वंचित समुदायों को वांछित स्तर तक लाने के प्रयासों में हमने कहां तक सफलता प्राप्त की है।

यह एक महत्वपूर्ण बात है और मेरा मानना है कि हमें इस पर यहा ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं यहा कहना चाहता हूं वह यह है कि कतिपय न्यायिक निर्णयों के कारण अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के दुखों के निवारण के लिए कार्यक्रम बनाने में कुछ सीमाएं रही हैं। मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूं किंतु साथ ही मेरा मानना है कि यह सभा संप्रभु और सर्वोच्च निकाय है। मैं अपने एक सहयोगी से सहमत हूं कि यह उचित समय है जब हमें आरक्षण के प्रश्न पर इस तरीके से पूरा वाद–विवाद करना चाहिए कि इससे इस देश के वंचित लोगों को सहायता मिले।

मैं विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की दशा के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 26 प्रतिशत है। वहां पर 209 जनजातियां हैं। हम सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उस क्षेत्र के जनजातीय लोगों की कठिनाइयों से अवगत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और बाद में श्री राजीव गांधी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं को महसूस किया यह केवल जनजातियों को वंचित रखने की बात नहीं है यह उससे बढ़कर है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर यह सोचा गया था कि यदि इन जनजातियों या इन क्षेत्रों, जहां पर जनजातियों का बाहुल्य है, को राजनीतिक प्रतिष्ठा दी जाए तो उससे उन्हें वांछित स्तर तक आने में सहायता मिलेगी, इसी उद्देश्य से 1963 में नागालैंड का गठन किया गया, इसी उदेश्य को ध्यान मे रखकर 1972 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का गठन किया गया। इसी तरह 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन किया गया था। किंतु राजनीतिक प्रतिष्ठा का तात्पर्य आर्थिक मुक्ति नहीं है।

आज हम समानत के प्रश्न पर वाद–विवाद कर रहे हैं और यह आर्थिक समानता होनी चाहिए। जब तक हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचति जनजातियों को उस आर्थिक स्थिति तक नहीं लाते तब तक हमें यह कहने में कठिनाई होगी कि "अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है" आरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है और मेरे विचार से हर किसी की इच्छा है कि हम इसे चाहते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अपेक्षित हैसियत प्राप्त होने के बाद आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यह एक इच्छा हो सकती है। किंतु तब तक हर कोई चाहता है कि आरक्षण जारी रहे।

मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलग तरह की समस्या है। यह जनांकिकी से संबंधित है। 1977 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में से एक त्रिपुरा की जनसंख्या छह लाख थी। इसमें 90 प्रतिशत जनसंख्या जनजातीय लोगों की थी। किंतु 1991 तक अर्थात् 24 वर्षों में राज्य की जनसंख्या 23 लाख हो गई।

अपराह्न 3.45 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय**, *पीठासीन हुए*)

किंतु वहां पर जनजातीय लोग अल्पसंख्यक बन गए और राज्य की जनसंख्या में उनका हिस्सा 28 प्रतिशत हो गया। यह एक और समस्या है जहां पर जनजातीय अपनी ही भूमि पर अजनबी बन गए। इसलिए भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्वास्थ्य या अन्य ऐसी सुविधाएं जैसी बात नहीं है।

इसीलिए मैं उस बात से सहमत हूं जो हमारी सहयोगी श्रीमती गीता मुखर्जी कह रही थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि हमें यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को समानतता के स्तर पर लाने की प्रगति पर निगरानी रखने के एक और प्रश्न के बारे में सोचना होगा। हम यह करने में कहां तक सक्षम रहे? हम सरकार से इस बारे में की गई प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं। जहां तक रोजगार के अवसरों का संबंध है इस बारे में एक राष्ट्रीय नीति है। किंतु हम इस तथ्य को जानते हैं कि इन पदों में से अनेक, चाहे रेलवे में हो या नागर विमानन में या किसी अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, जनजातीय लोगों या अनुसूचित जातियों को नहीं मिले। इसी तरह प्रशासन अन्य जातियों व अन्य जनजातियों के अन्य लोगों को, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के नहीं होते हैं, इन पदों पर बैठने से नहीं रोक सका, वे इस तथ्य को प्रमाणित करने वाले प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं कि वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है परिणामस्वरूप ये पद वास्तविक अनुसूचित जातियों और जनजातियों को नहीं मिल रहे हैं। यह एक और समस्या है अतः जब तक कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां अपने कार्य के प्रति उत्सुक व ईमानदार न हों तब तक हम पाएंगे कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वह नहीं हो रहा है। यहां मेरे भाषण का मुख्य उद्देश्य आरक्षण जारी रखने के बारे में मात्र एक वक्तव्य देना नहीं है मैं देखना चाहता हूं कि निचले स्तर पर आरक्षण को किस प्रकार लागू किया जाता है। यही बात मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री और सरकार को बताना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि इस मामले में आप सभी एकमत होंगे। यह दलगत मामला नहीं है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इस मुद्दे पर हमें एकमत होना चाहिए। आप सभी सहयोगियों से मेरा यह आग्रह है क्योंकि दोनों ओर के कुछ माननीय सदस्य भाजपा या कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि दलों के बारे में बात करना सही है। यह दलगत मामलों से उनका मुद्दा है। यह राष्ट्रीय मुद्दा है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने का जो विधेयक लाई है, सरकार ऐसा समझती होगी वह यह बहुत बड़ा काम कर रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को संविधान ने जो अधिकार दिया है, वह अधिकार देने के लिए ही कोई भी सरकार सत्ता में आती है। भारतीय जनता पार्टी भी अगर सत्ता में आई है तो उन्हें इन वर्गों के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने का प्रस्ताव लाना ही चाहिए था। यदि वह यह प्रस्ताव नहीं लाती तो उन्हें इस हाउस में आने का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जो प्रस्ताव आया है, यह प्रस्ताव ठीक है। दस वर्ष के लिए रिजर्वेशन और बढ़ाने का आपका प्रस्ताव है। हमारी मांग यह है कि जब तक जातिवाद अस्तित्व में हैं तब तक शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन चालू रहना चाहिए। पचास साल पहले एस. सी. और एस. टी. की पापुलेशन साढ़े बाईस परसेंट थी। अभी यह 25 परसेंट बढ गई है। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि रिजर्वेशन की जो परसेंटेज है इसे 25 परसेंट तक बढ़ाने की आवश्यता है। उसके साथ ही साथ रिजर्वेशन की जो पॉलिसी आई है, महात्मा गांधी ने पुणे में यरवदा जेल में जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्र इलेक्टोरेट की मांग की थी, तब महात्मा गांधी ने यह अनशन शुरू किया था कि हिंदू समाज में फूट नहीं होनी चाहिए, हिन्दू समाज एक रहना चाहिए और स्वतंत्र मतदान संघ की मांग बाबा साहेब कर रहे हैं, इससे हिंदू समाज को धोखा हो सकता है।

सभापति महोदय, इसीलिए उन्होंने अनशन शुरू किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गाधी जी का जो पूना पैक्ट हुआ, उसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी स्वीकार की गई। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वह आगे भी कई साल तक चलती रहनी चाहिए। हमारा कहना यह भी है कि रिजर्वेशन के मुद्दे पर हमें हमेशा गालियां दिए जाने का प्रयत्न होता रहा है कि सरकार के जंवाई हैं। देश में 100 प्रतिशत पापुलेशन है और उसमें यदि हमारी जाति की 22.50 प्रतिशत पापुलेशन है, तो हमें उतना ही आरक्षण मिल रहा है, लेकिन आरक्षण के नाम पर हमें हमेशा बदनाम करने का प्रयत्न होता है कि हम सरकार के जंवाई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम इस देश के नागरिक हैं। इसलिए हमें देश की नौकरियों में जाने का पूरा अधिकार है। हमारे ऊपर सदियों से अन्याय हुआ है। बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनको यह नहीं मिलना चाहिए, वह नहीं मिलना चाहिए। अगर हमें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ऐसा वे कहेंगे, तो हम कहेंगे कि देश में 3 प्रतिशत ब्राह्मण हैं, राजपूत समाज 10 प्रतिशत, मराठा 12 प्रतिशत, जाट 12 हैं, उनको उतने ही प्रतिशत नौकरियां मिलनी चाहिए। उनको 87.50 प्रतिशत जो नौकरियां मिल रही हैं, वे ज्यादा हैं। इसके अलावा भी उनको बहुत कुछ मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें ज्यादा नहीं मिल रहा है। हमारी जितनी आबादी है, उसी के अनुरूप या उससे कम ही हमें मिल रहा है।

सभापति महोदय, अभी हमारे मध्य प्रदेश के साथी बोल रहे थे कि सोश्यली बैकवर्ड और इकनोमिकली बैकवर्ड लोगों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के मंत्रिमंडल में इस समय केवल पांच प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। उन्हें अपने मंत्रिमंडल में 25 प्रतिशत मंत्री हमारी जाति के लोगों के रखने चाहिए। इसलिए आपको इस बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। पहले सरकार को एस. सी. एस. टी. के 25 प्रतिशत मंत्री बनाने चाहिए। उसके बाद इस बारे में कुछ कहना चाहिए। हमें कहा जाता है कि हमें सत्ता चलानी नहीं आती। मैं कहना चाहता हूं कि हमें सत्त चलानी आती है। हमारे पास ही पहले सत्ता थी, लेकिन हम आपस में लड़ते रहे। इसलिए हमारे हाथ से सत्ता चली गई और आपके हाथ में आ गई। इसलिए यह कहना गलत है कि हमें सत्ता चलाने का अनुभव नहीं है। हमें अच्छी तरह से सत्ता चलानी आती है। अगर आपको पांच साल सरकार में रहना है, तो हमारा रिजर्वेशन 10 साल बढ़ाना होगा। आप कितने साल रहेंगे, यह अभी हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। हम आपको धक्का नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपके लोग आपको धक्का दे देंगे।

सभापति महोदय, मैं तीसरी बार एम. पी. बना हूं। पहले मैं जहां से चुनकर आता रहा हूं वहां से अब श्री मनोहर जोशी जी आए हैं और मैं दूसरी जगह से चुनकर आ गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं इस बार 2,59,505 वोटों से जीत कर आया हूं। मेरी यह जीत सबसे अधिक वोटों से जीतकर आने वालों में छठवें स्थान पर है। यह परिवर्तन हो रहा हैं हमें सिर्फ एस. सी. एस. टी. के लोगों का ही समर्थन नहीं मिल रहा है बल्कि सवर्णो का भी समर्थन मिल रहा है। हमें रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। जब यहा कानून मंत्री श्री जेठमलानी जी बैठे थे, तब कहा गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट का निरादर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी हमारा आदर करना चाहिए और संविधान के आर्टीकल 316 के माध्यम से राइट हमें मिला है और रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की गई है, वह हमको मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है और केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा उस पर अमल करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, अब समाप्त करिए।

श्री राम दास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारे ऊपर हजारों सालों से अन्याय हो रहा है।

आप न्याय देने वाले हैं ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह बिल पास होकर पांच बजे से पहले राज्य सभा में भी जाना है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारा इतना ही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि

प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उसे अमल में लाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई बंधन नहीं लगाया है। इसलिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को उसे अमल में नहीं लाना चाहिए। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन एक्ट बनाने की आवश्यकता है, रिजर्वेशन को प्रोटैक्शन मिलना चाहिए। मैडिकल एजुकेशन में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए अलग मैरिट नहीं होना चाहिए। इसके बारे में इंडियन मैडिकल काउंसिल को सोचने की आवश्यकता है। यदि हमें एम.बी.बी.एस. के लिए ऐडमिशन मिलता है तो उसमें पासिंग के लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डाक्टर बहुत अच्छे होते हैं। ऊंची जाति के डाक्टर के पास जाने से पेशेंट दस इंजेक्शन में भी ठीक नहीं होता लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट्स के डाक्टर के पास जाने से एक इंजेक्शन में ठीक हो जाता है। इसलिए हमारे ज्यादा से ज्यादा डाक्टर बनने की आवश्यकता है।.. *(व्यवधान)* एस.सी., एस. टी. के लोगों के लिए जो अलग मैरिट है, वह रहना चाहिए। यह हिन्द, जय भारत!

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि यह बिल राज्य सभा में जाना है, साढ़े चार बजे मंत्री जी को रिप्लाई भी देना है। इसलिए आप अपनी बात संक्षिप्त रूप से कहिए।

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय न्याय मंत्री जी द्वारा लाए गए संविधान संशोधन के 84वें बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एन. डी. ए. की सरकार दस वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाने का जो बिल लाई है, मैं उसका समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वे कौन से हालात थे कि पचास साल के अंदर बार–बार इस बिल को लाना पडा। यह बहुत ही दुःखभरी कहानी है कि लोगों ने भारत के दलित समाज को एक वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया है। इस देश के अंदर बहुत सालों तक कांग्रेस का राज रहा और यह *....कांग्रेस पार्टी बार–बार नारे दिया करती थी .... *(व्यवधान)*

श्री कांति लाल भूरिया (झाबुआ) : यह कांग्रेस की मेहरबानी है जो आप बोलना सीखे हैं।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप नए मैम्बर हैं इसलिए ऐसे इंसीनुएशन कॉस्ट मत कीजिए।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया उस शब्द को कार्यवाही वृतांत से बाहर निकाल दें।.... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, निकाल दूंगा।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक नए सदस्य हैं। यह एक आक्षेप है। इसे कार्यवाही वृतांत से निकाला जा सकता है।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : मैं यह कहना चाहता था....*(व्यवधान)* चलो, मैं महाराजा कह देता हूं।.....*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : हम आपके प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ेंगे।.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.00 बजे

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महाराजाओं और राजाओं के खिलाफ कांग्रेस लड़ी है, इस हाउस में लड़ी है। कांग्रेस ने यहां पर महाराजाओं के खिलाफ वोटिंग की है, तब प्रिवीपर्स खत्म हुआ था। तुम्हारी पार्टी ही इनके साथ रही है।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सुनिये, आप इधर देखकर बात करिये। आप नये मैम्बर हैं।

श्री रतन लाल कटारिया : मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं नया मैम्बर हूं। 1971 में कांग्रेस द्वारा एक नारा लगा कि गरीबी दूर करेंगे। गरीबी दूर करने का नारा देकर गरीबों का वोट छीन लिया गया, लेकिन कुर्सी पर बैठने के पश्चात् ही गरीबों को भुला दिया गया। आज यह जो संविधान में संशोधन लाना पड़ा, इसका हमको गहन अध्ययन करना पड़ेगा।.....*(व्यवधान)*

श्री कांति लाल भूरिया : यह चुनावी सभा नही है, यह पार्लियामेंट है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रतन लाल कटारिया पहली बार भाषण दे रहे हैं। उन्होंने जो भी कटाक्ष किया है उसे मैं कार्यवाही–वृतांत से निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया: इसके पश्चात् इस देश में संयुक्त मोर्चा की सरकार आई, जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते थे।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोनों लोग आपस में बात करेंगे तो हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।

.....*(व्यवधान)*

श्री रतन लाल कटारिया : जो लोग अपने आपको सामाजिक न्याय का ध्वजवाहक कहते थे, उनके शासन काल के अन्दर ही पाच ओ.एमज् जारी हुए, जिसके कारण तीन लाख अनुसूचित जाति के

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृतांत से निकाल दिया गया।

[श्री रतन लाल कटारिया]

लोगों का रोजगार छीन लिया गया। उसका दोष ये आज माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को देना चाहते हैं। मैं इस महान सदन के अन्दर कहना चाहता हूं कि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विसंगति को दूर करने का ऐलान किया था और यह घोषणा की थी कि हम 17–18 मार्च को इस विसंगति को दूर करके अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको दूर करेंगे। लेकिन जो सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक बनते हैं, उन लोगों ने ही एक वोट से माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराकर अनुसूचित जाति वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया।.....*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : जो लोग थे, वे सब उधर ही बैठे हुए हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री रतन लाल कटारिया : जो लोग हम पर मनुवादी होने का आरोप लगाते हैं, उनको मैं बता दूं कि आज हमारे दल में ही सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसद इस सदन के अन्दर चुनकर आये हैं और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी सरकार के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। कुछ लोग हमारी आइडियोलोजी के ऊपर कटाक्ष करके, कभी कोई मनुवादी का नारा उछालकर, कभी कोई बी. जे. पी. को एंटी शेडयूल्ड कास्ट्स कहकर हम पर हमला करने की कोशिश करते है। लेकिन इस महान सदन के अंदर हम बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी ने जिस आइडियोलोजी को अपनाया है, वह आइडियोलोजी पंडित दीन दयाल उपाध्याय की विचारधारा के ऊपर आधारित है। जिस आइडियोलोजी के अन्दर यह कहा गया है कि जब तक हम हिन्दुस्तान के अन्दर रहने वाले करोड़ों दलितों, पीड़ितों, शोषितों के पांवों के अन्दर जो बिवाई पड़ी हैं, जब हम उनको न भर दें, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज हम अपनी पार्टी की इस फिलोसोफी को इस महान सदन के अन्दर दोहराना चाहते हैं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आज हिन्दुस्तान के समस्त 25 करोड़ दलितों और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोगों के हक सुरक्षित हैं। हम इस महान सदन से यह कहना चाहते हैं कि जैसे पिछले 50 वर्षों से भारत का तिरंगा झंडा खुली हवाओं में फहरा रहा है, इसी तरह से श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे और उनके नेतृत्व में हम हिन्दुस्तान के दलितों का कायाकल्प करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रतन लाल कटारिया : इसके साथ ही मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हम इस विधेयक पर केवल 'पचास वर्ष' की जगह 'साठ वर्ष' का प्रयोग किए जाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा दिए जाने के लिए यह अंतिम वर्ष है। परन्तु मुझे संदेह है कि हम अगले दस वर्षों में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की मांग पूरी कर सकेंगे या नहीं। महोदय, वर्ग ही सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, कुछ राज्यों में जहां सरकार वापपंथी दलों द्वारा चलाई जाती है वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का कोटा पूरा हो जाता है। परन्तु कमी उन राज्यों में है जहां सरकार अन्य दलों द्वारा चलाई जाती है।

महोदय, मैं लोक सभा की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का सदस्य रह चुका हूं। हमने केन्द्र सरकार के कई विभागों और सरकारी उपक्रमों की भी जांच की थी। परन्तु हमने पाया कि जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा कर लिया गया था ऐसा कोई विभाग नहीं था। इसलिए यह कार्यान्वयन एजेन्सियों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।

महोदय, मैं यहां एक कटु सत्य का उल्लेख करना चाहता हूं। कुछ राज्यों का प्रशासन जनजातीय लोगों के हाथों में है परन्तु वे अन्य जनजातीय समुदायों को इन सुविधाओं से वंचित रख रहे हैं। विशेषकर मिजोरम में, रियांग नामक एक अल्पसंख्यक समुदाय है जिसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें वहां से भागना पड़ा। लगभग 40,000 रियांग लोग त्रिपुरा में कैम्पों में रह रहे हैं। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे ताकि मिजोरम में शांतिपूर्ण स्थिति स्थापित हो सके तथा रियांग शरणार्थी अपने मूल राज्यों में वापस जा सकें।"

महोदय, न्यायालय के आदेशों के कारण, सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के लिए पदोन्नति की सुविधाएं अब लगभग समाप्त कर दी गई हैं। इस मामले पर इस सदन में चर्चा की गई थी और सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस सुविधा को जारी रखा जाएगा। मैं आशा करता हूं कि नई सरकार इस संबंध में उपाय करेगी क्योंकि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के सभी विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पदोन्नति की सुविधाएं दिये जाने को कायम रखना आवश्यक है।

महोदय, प्रत्येक राज्य के बजट में जनजातीय लोगों के लिए उपयोजना का प्रावधान किया गया है। परन्तु मुझे संदेह है कि इस कार्य के लिए निर्धारित की गई राशि को इसी कार्य के लिए ही खर्च किया जाएगा या अन्य कामों में लगाया जाएगा। अगर हम भिन्न–भिन्न राज्यों में जाएं तो हम पाएंगे कि इस धन का सही उपयोग नहीं होता है।

महोदय, कई कमजोर जनजातीय समुदायों की प्राचीन समूह की जनजाति के रूप में पहचान की गई है और केन्द्र सरकार ने उनके जीवन स्तर को अन्य लोगों के जीवन स्तर के बराबर उठाने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम बनाए हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इस कार्यक्रम को सभी राज्यों में अपेक्षित तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है।

विशषकर, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अनेक पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। परन्तु उनकी अन्य राज्यों में भर्ती नहीं हो रही है। राज्य और केन्द्र सरकार की लगभग सभी सेवाओं में हर वर्ग के पदों में कमी है केन्द्र सरकार को इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए कि पूर्वोत्तर के पढ़े–लिखे बेरोजगार युवकों को देश के अन्य भागों में भी नौकरी मिल सके।

इस समय हम जो आरक्षण प्रणाली अपना रहे हैं वह विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के अनुसार नहीं है। अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग जातियों और जनजातियों को अ.जा. और अ.ज.जा. के रूप में मान्यता दी गई है। अगर किसी समुदाय को किसी राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता मिली हुई है तो देश के दूसरे भागों में नहीं। मेरी मांग है कि किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर और देशभर में मान्यता दी जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको इसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूं।

डी. एम. के. पार्टी तथा अपने प्रिय नेता डा. कलाइग्नार करूनानिधि, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के प्रणेता हैं, की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूरे होने के बाद भी हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है द्रविड़ मुनैत्र कजगम ने सबसे पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देकर आंदोलन छेड़ा था। हमारे प्रिय नेता डा. कलाइग्नार करूणानिधि ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए तमिलनाडु के उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों तथा तमिलनाडु में अन्य सभी उच्च पदों पर नियुक्ति देकर आरक्षण को कड़ाई से लागू किया था। वर्ष 1972 में श्री वरदराजन, जो अनुसूचित जाति के हैं, को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। बाद में, उनकी पदोन्नति सर्वोच्च न्यायालय में कर दी गई थी। यह के. करूणानिधि के समय में हुआ था। अब तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और राज्य के मुख्य सचिव भी अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित थे।

तमिलनाडु में कलाइग्नार करूणानिधि सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण नीति को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को समुचित संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि हमारी सरकार इस पद्धति का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए पूरा–पूरा प्रयोग कर सकें।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 के अंतर्गत समय सीमा को बढ़ाए जाने के लिए माननीय विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का समर्थन करता हूं। यह समय सीमा अनुच्छेद 330 के अधीन राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों (स्थानों) के आरक्षण के लिए निर्धारित की गई है।

सर्वप्रथम मैं अपने वरिष्ठ साथी श्री बूटा सिंह, श्री रामदास आठवले और अन्य द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का समर्थन करता हूं। लेकिन इसके साथ ही दूसरे पक्ष द्वारा इस विधेयक का समर्थन करते हुए की गई कुछ टिप्पणियों का मैं विरोध करता हूं। मैं उड़ीसा से अपने युवा मित्र का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करूंगा और उन्हें 1942 के समय की घटना के बारे में बताऊंगा जब डा. बी. आर. अम्बेडकर 'लेबर काउंसिल' के सदस्य थे और वायसराय चाहते थे कि डा. अम्बेडकर पुरी के जगन्नाथ मन्दिर के दौरे में उनके साथ जाएं। डा. अम्बेडकर ने दौरे में उनका साथ दिया लेकिन अपने माननीय मित्र और सदन की जानकारी के लिए मैं कहूंगा कि महान् डा. बी. आर. अम्बेडकर को लेकर काउंसिल के सदस्य के रूप में 1942 में जगन्नाथ मन्दिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। यह कारण है.... *(व्यवधान)* कृपया व्यवधान मत डालिए।....*(व्यवधान)* मैं 1942 की बात कर रहा हूं.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, यह इनका पहला भाषण है।

.....*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मुझे उन दिनों के दौरान अपने गांव में मन्दिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी।

श्री खारबेल स्वाईं : आपको पुरी मन्दिर के भीतर जाने की अनुमति दी जाएगी। आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको मन्दिर के भीतर ले जाऊंगा। .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)* *

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : आप भारत के गांवों में जाइए और वहां के हालत को देखिए।

---

* कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारबेल स्वाई : आप पुरी के जगन्नाथ मन्दिर के बजाय गांव के बारे में बताइए। हर एक व्यक्ति को मन्दिर में जाने की अनुमति है .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, मुझे आपको कहना पड़ रहा है। कृपया व्यवधान मत डालिए।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्य को चेतावनी देता हूं। श्री स्वाईं आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मुझे आपको चेतावनी देनी पड़ रही है। आपको बार–बार इस प्रकार खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है।

श्री खारबेल स्वाई : वे किस प्रकार यह बात कह सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप किस प्रकार कुछ भी कह सकते हैं? यह उनका पहला भाषण है। यदि आप किसी बात का खंडन करना चाहते हैं। तो जब आपकी बारी आएगी आप उस समय ऐसा कर सकते हैं। वह तो केवल अपने अनुभव का वर्णन कर रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाई : वह अपने गांव की बात कर सकते हैं इन्हें पुरी मन्दिर के बारे में नहीं कहना चाहिए.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उसमें किसी असंसदीय भाषा का प्रयोग होगा तो मैं उन्हें वह शब्द वापस लेने के लिए कह दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं बोल रहा हूं।

.....*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूड़ी (छपरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी नियम के तहत आप इसे उठा रहे हैं? आपको नियम का उल्लेख करना पड़ेगा।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी : यह विशेषाधिकार का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी एक वरिष्ठ सदस्य हैं। जब भी आप व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो हमेशा आपको नियम का उल्लेख करना चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूड़ी : अनुच्छेद 19 के अधीन यह विशेषा–धिकार का मामला है। इसलिए मेरा कहना है कि वह नए सदस्य हैं और उन्होंने मुद्दा उठाया है जो अभी विचार करने योग्य है। उन्होंने कहा है कि संसद का सम्मानित सदस्य होने के नाते इस संसदीय देश में उनके स्वयं के गांव के मन्दिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है यदि उन्होंने ऐसा दावा किया है तो इसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि यह अत्यंत चिंता का मामला है..... *(व्यवधान)* इसकी जाचं की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने सभा में यह दावा किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)* *

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूड़ी आप नए सदस्य नहीं हैं। आप इस सभा के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। जब आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहें है तो आपको सम्बद्ध नियम का भी उल्लेख करना चाहिए। यह चिन्ता का विषय भी है और व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं है। श्री राष्ट्रपाल, आप अपनी बात जारी रखिए और मैं अन्य सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि व्यवधान न डालें।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, मैं सभा का और विशेषकर विधि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख भी चर्चा में आया था। मैं इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको मौका मिलेगा तब आप इसका खंडन कर सकते हैं इस प्रकार से नहीं कर सकते। वे अपनी कठिनाइयों के बारे में बता रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि उनके गांव में उनको टैम्पल में नहीं जाने दिया जाता है। यदि यह बात सच है.....

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मेरा गांव 50 आदमी का है। आप मेरे साथ आइये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, जिसे वह सही समझे उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है। इन्हें उनको तंग नहीं करना चाहिए जब वह कह रहे हैं.....*(व्यवधान)* उन्हें इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है।.....*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्या वे वह नहीं कह सकते जो वे इसके बारे में महसूस करते हैं? यदि वे गलत है तो उन्हें यह साबित करना चाहिए। वे उन्हें बोलने से नहीं रोक सकते हैं.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप उठ रहे हैं और जो मर्जी चाहे बोल रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया मेरी बात सुनिए। श्री रामदास आठवले जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैंने यह कहा है कि माननीय सदस्य ने अपना अनुभव बताया है। यह असंसदीय नहीं है। आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? इसलिए आप उनके बोलने में इस प्रकार व्यवधान न डालें। यह उनका पहला भाषण है। मुझे आप लोगों में से इस सभा के कुछ वरिष्ठ सदस्यों से यह अपेक्षा नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह वर्मा (बाहरी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पुरी मंदिर में लोगों की आस्था है और उस मंदिर में हरिजनों को प्रवेश नहीं दिया जाता, यह बात स्पष्ट है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने 1942 की स्थिति बताई है। उन्होंने 1942 का उदाहरण दिया है। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह वर्तमान में हुआ है।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह वर्मा : आज 1942 की बात कहने का क्या फायदा ? आप आज की बात करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा में यह क्या हो रहा है?

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खारबेल स्वाईं मैं आपको चेतावनी देता हूं। मुझे आपको डांटना पड़ेगा। इस तरह खड़े मत होइए और फिर जो मर्जी आए वह मत कहिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई जाए जो इस बात की जांच करे।

श्री लाल मुनी चौबे : उपाध्यक्ष महोदय, यह उनके लिए बड़ी शर्म की बात है कि उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार है और मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं मिलता।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रवीण चन्द्र राष्ट्रपाल के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से विधि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले वर्ष एक बात हुई और यह एक अत्यधिक गंभीर मुद्दा है। .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अध्यक्षपीठ को संबोधित करना है न कि विधि मंत्री को।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, आपके माध्यम से मैं इस मुद्दे की ओर विधि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछली सरकार में वे विधि मंत्री नहीं थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी थी। विधि मंत्रालय के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने एक फाइल भारत के माननीय राष्ट्रपति को भेजी थी। माननीय राष्ट्रपति ने उक्त फाइल पर अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीशों के नामों पर विचार करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिला और समाज के कमजोर वर्गों के न्यायाधीशों के नामों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में व्यापक संभावनाएं प्रदान की हैं। उन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं का भी उल्लेख किया है। हमारे देश की जनसंख्या में 90 प्रतिशत हिस्सा इन वर्गों का है। उल्लेखनीय बात यह है कि उक्त फाइल पर राष्ट्रपति द्वारा लिखे टिप्पण को एक अंग्रेजी साप्ताहिक 'इंडिया टुडे' को लीक कर दिया गया, विधि मंत्री ने उत्तर दिया कि इस सूचना को उन्होंने लीक नहीं किया। राष्ट्रपति सूचना को कभी भी लीक नहीं करेंगे, मैं चाहता हूं कि वर्तमान विधि मंत्री यह जानने के लिए इस मामले की जांच करें कि यह सूचना किसने लीक की है।

इस पत्रिका ने यह सुझाव देने के लिए भारत के राष्ट्रपति के आचरण के बारे में भी लिखा है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : क्या माननीय सदस्य एक मिनट के लिए चुप होंगे?

---

* कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राम जेठमलानी]

अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उन्हें न्यायाधीश पद से हटाया गया था। मैंने उस निर्णय की समीक्षा की है और यह देखा है कि उस न्यायाधीश के नाम पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : किंतु मैं किसी विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सुझाव का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री राम जेठमलानी : क्या इस बात का पता लगाना आवश्यक है कि किसने क्या लीक किया है? यह पूर्णतः अप्रासंगिक है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : इस प्रकार इसका तात्पर्य है कि न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। जो व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य है। वह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं है। यह हमारी न्यायिक प्रणाली और आरक्षण नीति की विडम्बना है।

मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल राज्य सभा की तरह लोक सभा के लिए निश्चित कार्यकाल का प्रावधान करने के लिए विधेयक लाने की जल्दबाजी में है। यदि वे राज्य सभा के कार्यकाल को इतना पसंद करते हैं तो वे पहले राज्य सभा में क्यों नहीं जा रहे हैं और फिर लोक सभा में आएं? लोकतंत्र में वे इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं?.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी : मोरारजी की सरकार को आर. एस. एस. के नाम पर किसने गिराया.....*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : आप लोगों ने गिराया, कांग्रेस की सरकार गिराने की हिस्ट्री रही है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : इस सभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के 119 सदस्य हैं। यह तभी संभव है क्योंकि हमारे संविधान में इन वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

महोदय, मेरे विचार से आरक्षण विभिन्न प्रकार का है जैसे शिक्षा विशेष रूप से उच्च स्तर पर आरक्षण, राज्य विधान सभाओं में आरक्षण, सेवाओं में आरक्षण, लोक सभा में आरक्षण आदि। वस्तुतः मैं व्यक्तिगत रूप से अनुसूचित जतियों व अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए आरक्षण प्रसुविधाओं व विशेषाधिकारों को अधिक महत्व देता हूं। मैं दूसरी प्राथमिकता सरकारी सेवा में आरक्षण और तीसरी प्राथमिकता राज्य विधान सभाओं व लोक सभा आदि में आरक्षण को देता हूं।

महोदय, आपके माध्यम से मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस बावत जांच करे कि राज्य विधान सभाओं और लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रणाली के विरुद्ध कोई मामला क्यों नहीं है या कोई याचिका दायर क्यों नहीं की गई है। इस आरक्षण नीति के विरुद्ध कोई न्यायालय में क्यों नहीं जाता है ओर वे केवल शिक्षा और सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के विरुद्ध ही न्यायालय में क्यों जाते हैं? क्योंकि इस सभा में आरक्षण के प्रावधान से 119 व्यक्ति लाभान्वित होंगे और इस देश का कोई भी राजनीतिक दल इस सभा के 119 सदस्यों के समर्थन को खोना नहीं चाहता हैं।

महोदय, मुझे भय है कि इस सभा आरक्षण की व्यवस्था समाप्त होते ही इस सभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के मुश्किल से 20 या 25 सदस्य होंगे। इसलिए हम अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों जो इस देश के मूल निवासी हैं, के हितों की रक्षा के लिए स्थायी तंत्र की स्थापना चाहते हैं। वे खानाबदोश नहीं हैं। कुछ लोगों ने बेहतर भविष्य के लिए अपनी मातृभूमि छोड़ी। हम उस वर्ग से नहीं हैं। हम अपनी मातृभूमि को कभी नहीं छोड़ा और पैसा कमाने के लिए अन्य देशों में नहीं गए। हमने हमेशा अपने देश की सेवा की। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस देश में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए स्थायी तंत्र हो।

महोदय, हम उन कारणों की सराहना करते हैं कि जिनके चलते अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस आरक्षण का प्रावधन किसी विशेष धर्म के लोगों को नहीं दिया गया है। अपितु इसका प्रावधान भौगोलिक दृष्टि से अत्यधिक दुर्गम क्षेत्रों जैसे पर्वतीय क्षेत्रों और वनों में रहने वाले लोगों के लिए किया गया है। अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हिन्दू भी हो सकता है, ईसाई भी और मुसलमान भी हो सकता है। इसलिए उनको उनके निवास क्षेत्र के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है जबकि अनुसूचित जाति के लोगों को केवल उनकी जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता हैं क्योंकि उनके जन्म स्थान के आधार पर होता है और इसलिए भी क्योंकि हजारों वर्षों से इस देश में उन्हें अछूत समझा जाता था।

मैं इस बात से सहमत हूं कि स्वतंत्रता के बाद से स्थिति में सुधार हुआ है। परन्तु अभी भी देश के उत्तरी भागों में विशेषकर राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में छोटे गांवों की स्थिति शोचनीय है। मैं जानता हूं कि दक्षिण राज्यों की स्थिति बेहतर है। मैं देशभर में घूमा हूं। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में शहरीकरण और अन्य बातों के कारण स्थिति बेहतर हो सकती है। परन्तु आपको पूरे देश की स्थिति पर विचार करना चाहिए। मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

अब, मैं आपको उस वाद-विवाद की प्रति दिखा रहा हूं जो बारहवीं लोकसभा के दौरान का हैं मैं इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। यह 60 पृष्ठों की है। मैंने आज इसकी एक प्रति खरीदी है। मुझे उसके लिए रुपये भी देने पड़े। कोई भी संसद सदस्य पिछली लोकसभा से संबंधित कोई भी कागज बिना भुगतान किये हुए नहीं ले सकता। यह ठीक है। मैं इस मामले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने इसकी फोटो प्रतियां करवाने के लिए 60 रुपये दिए थे। मैं विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री से अनुरोध करता हू कि कम से कम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य को तो बख्शा जाना चाहिए। यह तो मजाक है। इस बारे में चिंता न कीजिए।

मैं केवल माननीय प्रधान मंत्री जी जो इस समय उपस्थित नहीं हैं, द्वारा दिए गए एक आश्वासन का उल्लेख करना चाहता हूं। इस सभा को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो बिल्लियों और कुत्तों के बारे में काफी चिन्तित रहती हैं, इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं वास्तव में, यह एक ऐसा विषय है कि उन्हें इस समय सभा में उपस्थित होना चाहिए। अगर मेरे साथी, श्री बूटा सिंह जी द्वारा कही गई बात सच है तो इस सभा को इस संबंध में एक संकल्प पारित करना चाहिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा अपने कार्यालय के कमरे से हटाए गए डा. भीमराव अम्बेडकर के चित्र को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। इस सभा को यह निर्णय करना चाहिए कि अगर उस मंत्री के कमरे से डा. भीमराव अम्बेडकर का चित्र हटा दिया गया हो तो उसे उस स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया जाना चाहिए। यह जिम्मेदारी विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री की होनी चाहिए जो इस समय इस चर्चा के दौरान उपस्थित हैं।

अब मैं वह उद्धृत करता हूं जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था: "इनमें वे दो ज्ञापन इस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में हैं। हम संसद सदस्यों की समिति के गठन का स्वागत करेंगे जो इस विषय की जांच करेगी और इस संबंध में सरकार की सहायता करेगी। सरकार आरक्षण की इस प्रणाली को बनाए रखने के लिए बचनबद्ध हैं जो अब तक चल रही है और एक कानून बनाना चाहते हैं चाहे इसके लिए संविधान में संशोधन करने की ही आवश्यकता हो।"

मैं माननीय विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि बारहवीं लोकसभा के दौरान 18 मार्च, 1999 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन पर गंभीरता से विचार करें। इस आश्वासन के बाद सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ वह सभी जानते है। मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा नही करना चाहता।

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे विधेयक को इसकी समाप्ति की तारीख पर पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। जब हम जानते हैं कि इसकी समाप्ति की तारीख जनवरी में है तो यह विधेयक समाप्ति तारीख की समाप्ति के छह महीने पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आनन्द मोहन बिश्वास (नवद्वीप) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा का एक नया सदस्य हूं। यह मेरा पहला भाषण है। मैं समाज के उपेक्षित वर्ग से हूं। इसलिए, मैं इस मामले में बहुत रुचि ले रहा हूं। अपनी तथा आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मैं माननीय मंत्री, श्री राम जेठमलानी द्वारा इस सभा में प्रस्तुत किए गए संविधन संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं।

यह आरक्षण के संबंध में एक प्रावधान है। यह हमेशा रहनेवाली बात नहीं है। हमारे संविधान में इसकी परिकल्पना एक अस्थाई उपाय के रूप में की गई है।

सरकार को वास्तविक स्थिति और वास्तविक सत्यता की समीक्षा करनी होगी कि क्या जहां तक आरक्षण का सवाल है क्या समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

हमारे संविधान का अनुच्छेद 46 इसका मुख्य आधार है और यह एक संवैधानिक वचनबद्धता है तथा सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का चहुमुंखी विकास हो सके और उनको हर प्रकार के शोषण से बचाया जा सके। यह आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों और सरकारी विभागों तक ही सीमित नहीं है इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसका कार्यक्षेत्र काफी बड़ा है और आरक्षण को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, शैक्षिक संस्थाओं, विधायी निकायों और कुछ हद तक निजी संस्थाओं में भी दिया जाना चाहिए जहां निधि के रूप में उन संस्थाओं को छूट दी जाती है।

परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने ऐसी कोई पद्धति विकसित नहीं की है जिससे इस वास्तविकता का पता लगाया जा सके कि अब तक निर्धारित प्रतिशतता पहुंच सकी है या नहीं। परन्तु स्वयं संविधान में अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक पद्धति है और संविधान में संशोधन किया गया है अर्थात् 65वां संशोधन और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग गठित किया गया है जो यह देखेगा कि उन वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की गई है या नहीं और यह भी कि क्या न्यायिक शक्ति संवैधानिक निकाय के पास है या नहीं। यह दुर्भाग्य की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से वह शक्ति वापस ले ली गई है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आयोग यह मूल्यांकन कर सकता है। क्या निर्धारित प्रतिशतता उन तक पहुंच सकी है या नहीं। वे कुछ हद तक सम्मन जारी कर सकते हैं

[श्री आनन्द मोहन विश्वास]
और सभी संबद्ध कागजों की जांच कर सकते हैं तथा संबंधित प्राधिकारियों के वक्तव्य को कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित कर सकते हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, केबिनेट मंत्री सभा में उपस्थित नहीं है। सारी बातें कौन नोट कर रहा है? महोदय, श्री बिश्वास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के भी सदस्य थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय जी उपस्थित हैं और इस बात को नोट कर रहे हैं।

श्री आनंद मोहन बिश्वास : परन्तु मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक न्यायिक कर्मठता है क्योंकि हमारे संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। परन्तु मैं समझता हूं कि न्यायपालिका संसद से ऊपर नहीं है। उस निर्णय में यह सैद्धांतिक रूप से कहा गया है कि आयोग को किसी भी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण को सम्मन भेजने का अधिकार है जो आरक्षण के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में दोषी है या उसकी अनुमति नहीं देता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्दिष्ट किया है कि यह शक्ति केवल वार्षिक प्रतिवेदन के लिए प्रयोग की जाएगी। इस प्रकार यह शक्ति आयोग के पास है परन्तु यह प्रभावी नहीं है।

महोदय, मैं आपका ध्यान आरक्षण कोटा निर्धारित करने के मानदंड के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि आरक्षण कोटा जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। परन्तु 1981 की जनगणना के अनुसार आज तक अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण कोटा 15 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह केवल 7.5 प्रतिशत है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मामले की समीक्षा करे। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूघित जातियों की जनसंख्या 24 प्रतिशत तक बढ़ा गई है इसलिए अनुसूचित जातियों के आरक्षण कोटे को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत कर देना चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण कोटे को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। परन्तु वर्ष 2000 के अंत तक यह दोनों ही मामलों में बढ़ जाएगा।

दूसरे, आरक्षण केवल सेवाओं (नौकरियों) में ही नहीं बल्कि शैक्षिक संस्थाओं में भी दिया जाना चाहिए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 15(4) में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सभी शैक्षिक संस्थाओं में दाखिला मिलना चाहिए। इसलिए यह उदारता नहीं है यह रियायत नहीं है यह किसी वर्ग की खैरात नहीं है लेकिन मैं समझता हूं यह समाज के उपेक्षित विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों का संवैधानिक अधिकार है।

महोदय, मैं आपका ध्यान समाज के सभी कमजोर वर्गों पर किये जा रहे अत्याचारों की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के पश्चात् हम समझते हैं समाज का यह तबका कुछ वर्गों के लिए निहित हितों से उत्पीड़ित किया जाता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई वर्ष पूर्व सन् 1956 में हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसरण में इस सम्माननीय सदन ने सिविल अधिकार अधिनियम के अंतर्गत छूआछूत को समाप्त किया था। यह अपराधिक कार्यवाही की अधिकारिता के अंतर्गत आता है और इसके अधीन विशेष न्यायाधीश के माध्यम से निर्णय के लिए प्रावधान है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक इस अधिनियम के तहत किसी निहितार्थ को कोई भी अनुकरणीय दंड नहीं दिया गया है।

महोदय, इस सभा में एक दूसरा अधिनियम है। उस अधिनियम का नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम है। यह अधिनियम इस सम्माननीय सभा में 1989 में पारित किया गया था। यह मैं अपने स्वयं के अनुभव से बोल रहा हूं। मुझे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे अपने देश के विभिन्न भागों का दौरा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। यह नोट करते हुए हैरानी हुई कि पुलिस कार्मिकों को इन अधिनियमों के संबंध में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है। जब अत्याचारों को झेलने वाले व्यक्ति पुलिस के पास गए तो पुलिस ने इस अधिनियमों के प्रावधान पर विचार किए बिना भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के अधीन मामला दर्ज किया। इन अधिनियमों के प्रावधानों में एक प्रावधान है कि अत्याचार से पीड़ित व्यकित जो अनुसूचित जाति समुदाय से है, को मुआवजा दिया जाएगा। यह भी प्रावधान है कि मुआवजा राज्य के खजाना से सभी उन पीड़ितों को दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि सभी पुलिस कार्मिकों को इन दो अधिनियमों से अवगत कराए ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की रक्षा की जा सके।

महोदय, मैं नोडल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कार्यकारी तंत्र अवश्य होना चाहिए ताकि इस बात का मूल्यांकन किया जाए क्या आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता प्राप्त हुई है अथवा नहीं हुई है। मेरे अनुसार वर्ग 'क' सेवाओं में अनुसूचित जाति की प्रतिशतता 6 है और वर्ग 'ख' में यह केवल आठ है और वर्ग घ की सेवाओं जिनमें जमादार और ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले लोग शामिल हैं में यह 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इस प्रकार वर्ग 'क' और 'ख' में बकाया पद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री आनंद मोहन बिश्वास : महोदय, वर्ग 'क' और 'ख' में आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता अभी तक प्राप्त नहीं की जा सकी है जब तक वह प्राप्ति नहीं की जाती आरक्षण की प्रक्रिया जारी रहेगी।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 1996–97 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा पांच परिपत्र जारी किये गए थे जिसके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिए गए आरक्षण के अधिकार में कटौती की गई थी। यह नौकरशाही की धड़ल्लेबाजी के सिवाय कुछ नहीं है। तत्कालीन सरकार ने इस परिपत्र को जारी करने में अपना दिमाग नहीं लगाया।

अपराह्न 4.44 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

इन्दिरा साहनी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि इन्दिरा साहनी का मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है यह अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित है। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। इन्दिरा साहनी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए।

मैं पिछली सरकार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने संविधन में सतहत्तरवें संशोधन के माध्यम से सेवा और पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण जारी रखने के लिए नयी धारा '16(4) (क)' का अन्तःस्थापन किया और न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी किया। इस संशोधन के कारण आरक्षण को आगे जारी रखा गया था। इसलिए सरकार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र की समीक्षा करनी चाहिए।

महोदय, मैं नोडल मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय अधिनियम की आवश्यकता है ताकि आरक्षण का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और इसमें दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। सभी कार्यकारी स्तरों पर आरक्षण का पालन न करने वालों को दंड दिया जाना चाहिए। आरक्षण नीति का जानबूझकर उल्लंघन करने वालों की जवाबदेही और उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि लगभग सभी राज्य सरकारों ने दंड प्रावधान सहित अधिनियम लागू कर दिया है कि आरक्षण नीति को लागू करने वाले किसी अधिकारी को भारी जुर्माने का दंड दिया जा सकता है।

जब मैं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री के पद पर आसीन था तब मैंने इस सभा में एक विधेयक पुरःस्थापित किया था। इसलिए अधिनियम में दंड प्रावधान होना चाहिए कि आरक्षण नीति का उल्लंघन करने वाले अधिकारी को न्यायालय द्वारा दंड दिया जाएगा। उनके वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में भी प्रतिकूल टिप्पणी की जाएगी। इसलिए अधिकारी आरक्षण नीति के उचित कार्यान्वयन का ध्यान रखेंगे।

मेरा विनम्र निवेदन है और मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी और वैसा विधेयक पुरःस्थापित करेगी। केन्द्रीय अधिनियम ने अपनी शक्ति खो दी है और इसे निरमन किया जाना चाहिए और इससे आरक्षण नीति की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस सभा के समक्ष माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश अम्बेडकर अन्तिम वक्ता हैं। कृपया आप दो मिनट में समाप्त कीजिए क्योंकि हमें यह विधेयक राज्य सभा में भी भेजना है।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, पहले ही इस चर्चा में 21 सदस्य भाग ले चुके हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय, मुझे भी इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। ..... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है।

.....*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। हर दस साल में एक बार लोक सभा और विधान सभाओं में अगले दस वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाए जाने हेतु एक ऐसा ही विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। आरंभ में संसद को जातिगत आधार पर अलग रखना आवश्यक था और इसी इरादे से आरक्षण नीति को संविधान में शामिल किया गया था। पचास वर्ष बीत गए हैं सामाजिक प्रगति भी हुई है, और हम एक ऐसी व्यवस्था में आ गए हैं जहां जातिवाद तो कम होता जा रहा है पर जातियां दिन–पर–दिन मजबूत होती जा रही हैं। आज हम ऐसी ही सामाजिक अनुरूपता का सामना कर रहे हैं। यदि हम इसी व्यवस्था में चलते रहते हैं तो हम स्वयं को एक ऐसी स्थिर स्थिति में पायेंगे जहां न तो आरक्षित वर्ग के लोगों और न ही सामान्य वर्ग के लोगों को पास में आने का अवसर मिलेगा। विरोधी विचारधारा वाले लोगों के होते हुए इस देश में लोगों को एक आम मंच पर लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। समय–समय पर, परिस्थितियां बदल रही हैं। जहां आरंभ में सरकारी तंत्र का प्रयोग आरक्षण नीति का सुलझाने के लिए किया जाता था वहीं अब हम देख रहे हैं कि न्यायालयों का प्रयोग आरक्षण नीति को निपटाने के लिए किया जा रहा है।

महोदय, अब समय आ गया है कि हम इस देश की सामाजिक यथार्थता के प्रति जागृत हों। मैं जानता हूं कि आरक्षण जारी रखना

[श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर]

पड़ेगा। क्योंकि लोगों के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। परन्तु हमें भी लोगों को अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए एक मौका देना होगा। मैं माननीय मंत्री जी के इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हो परन्तु मैं समझता हूं कि न केवल सरकार बल्कि विपक्ष के लोगों को भी आगे आकर देखना होगा कि हम इस वैचारिक भिन्नता को कैसे दूर करें जहां अनुसूचित जाति स्वयं को अनुसूचित जाति होने का दावा करती है और सामान्य वर्ग सामान्य वर्ग ही रह जाता है। मैं समझता हूं कि हमें समाज के इस मतभेद को दूर करना चाहिए।

मैं देखता हूं कि आज स्थिति बद से बदतर हो रही है जिसका कारण जातिवाद नहीं है बल्कि इसका कारण है कि आज जातियां मजबूत होती जा रही हैं। संविधान के आरंभ में हमने संसदीय प्रणाली को जातिवाद से अलग रखा था। आज यह आवश्यक हो गया है कि राजनैतिक दल भी जातिवाद से अलग रहें। मुझे नहीं लगता कि मुझे और श्री सुशील कुमार शिंदे को छोड़कर किसी ने भी सामान्य उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा हो या राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किया गया हो। यही दृष्टिकोण है। राजनीतिक दलों को अब दृष्टिकोण बदलना होगा। मुझे ऐसी स्थिति दिखाई देती है जहां लोग तो बदल रहे हैं परन्तु राजनैतिक दल परिवर्तन के प्रति विमुख हैं। इसलिए, कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए जिनके द्वारा हम राजनैतिक दलों का विचार बदलने के लिए उन पर दबाव डाल सकें। परन्तु मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोगों को बदल सकें। यह केवल दृष्टिकोण ही है कि आप स्थिति को किस तरीके से देखते हैं, आप उन मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं जिनसे समाज बदल सकता है। अगर हम दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो हम देखते हैं कि देश में विवाद खड़ा हो जाता है।

क्या मैं आर्थिक क्षेत्र में इस समय हो रही निजीकरण के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करूं जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही समर्थन प्राप्त है? आने वाले दिनों में पूरा सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र में बदलने वाला है। मुझे इसमें दो अलग–अलग बातें दिखाई देती हैं : (एक) निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार कर आरक्षण नहीं है और (दो) यदि पूरा सरकारी क्षेत्र एक दिन निजी क्षेत्र में हो जाता है तो अप्रत्यक्ष रूप से हम आरक्षण का लाभ समाप्त कर रहे हैं। संसद में भी धीरे–धीरे सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। दलितों का अनुपात दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हम उदारीकरण की नीति अपना रहे हैं। उदारीकरण की नीति का क्या प्रभाव है? उदारीकरण की नीति का प्रभाव यह है कि संसद की आर्थिक शक्ति दिन प्रतिदिन घट रही है। हम आने वाले समय में एक नई स्थिति का सामना करने वाले हैं। यदि आर्थिक शक्ति और राजनैतिक शक्ति पूरी तरह अलग हो जाती हैं और यदि पूरी सभा में चरित्र परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन होता है तो यह सभा आर्थिक शक्ति से वंचित हो जाएगी। उसके पास केवल राजनैतिक शक्ति रह जाएगी जिसका वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता। अब समय आ गया है कि इस स्थिति के नियंत्रण से बाहर हो जाने से पहले हम इस पर चर्चा करें।

अंत में क्या मैं एक अन्य मुद्दा उठा सकता हूं? जैसा कि मैंने कहा है, जातियां दिन प्रतिदिन अधिक मजबूत होती जा रही हैं। क्या हमें सामाजिक परिवर्तन का सहारा नहीं लेना चाहिए? जाति अपने आप में एक कलंक है, जैसा कि अस्सी के दशक में सरकार ने स्वयं *हरिजन* शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इससे समाज के कुछ हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था।

अगर आप इस देश में सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि विभिन्न समाज इकट्ठे हो जाएं तो मैं समझता हूं कि यही समय है जब हमें यह फैसला करना चाहिए कि 'जाति' शब्द के प्रयोग पर भी इस देश में प्रतिबंध लग जाए। यदि आप उन्हें अलग समुदाय के रूप में देखना शुरू करेंगे तो हम इसके विस्तृत क्षेत्र में चले जाते हैं जहां किसी समुदाय का अर्थ पृथक रूप से नहीं होता है अथक इसका अर्थ किसी को कोई विशेषाधिकार दिया जाना भी नहीं होता है।

हमें आगे की ओर चलते रहना है और यदि हमें आगे बढ़ना है, यदि हमें सामाजिक परिवर्तन देना है तो मुझे नहीं लगता कि केवल और दस वर्षों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर हमें कुछ मिल जाएगा।

वर्ष 1952 में इस संविधान के निर्माता डाक्टर अंबेडकर ने सरकार से मांग की थी कि एक ऐसी प्रक्रिया बनाएं जिससे आरक्षण समाप्त हो जाए क्योंकि वे जानते थे कि एक दिन यही आरक्षण विकास के मार्ग में बाधा बन जाएगा। मैं जानता हूं कि आज न्यायपालिका और अन्य स्थानों में विवाद है। हमें एक सामाजिक परिवर्तन की योजना बनानी चाहिए, एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन जिसके द्वारा हम समुदायों को, विभिन्न विचारधारा वाले लोगों को एक साथ लाकर उनमें एक होने की भावना पैदा कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्रीजी बोलेंगे।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, क्या हम इस सम्मानित सभा के सदस्य नही हैं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, यह बिल राज्य सभा को भी जाना है।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप भी इस सभा के सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : फिर हमें अनुमति क्यों नहीं दी जाती है आप हमें ट्राइब्स के मुद्दे पर ....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने मध्याह्न के बाद इस विधेयक पर होने वाली चर्चा में भाग लेने वाले 20 सदस्यों के बहुत ज्ञानवर्धक, विद्वतापूर्ण और धैर्यपूर्ण भाषणों को सुना था। मैं उन सभी भाषणों और उठाए गए मुद्दों के बारे में काफी लंबे समय तक चर्चा करता। परंतु आज हम सभी के पास समय की कमी है। मैं काफी संक्षेप में कहना चाहता हूं; परंतु इतना संक्षेप में भी नहीं कि इस सभा में उठाए गए मुद्दों का अपमान हो।

महोदय, सभी 20 भाषणों का निष्कर्ष निकालने और सर्वेक्षण करने के बाद सर्वसम्मति से तीन बातें सामने आई हैं पहली यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा कुछ हद तक एंग्लों–इंडियन समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान निर्माताओं पर आरंभ में जो दबाव डाला गया था वह जारी रहेगा। इस संबंध में कुछ मतभेद हैं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि जबसे आरक्षण लागू हुआ है कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई है। अन्य ने कहा है और मेरी बहन ने हिसाब किताब लगाकर कहा है कि संविधान निर्माताओं का केवल 10 प्रतिशत सपना ही पूरा हो सका है।

महोदय चाहे जैसे भी मतभेद हों परन्तु वे सभी इस बात से सहमत हैं कि वर्षों पहले होने वाले कठोर अपमान और अत्याचार जिसने भारतीय सामाजिक परिदृश्य को कुरूप बना दिया था अभी भी भारतीय भूभाग के कई हिस्सों में होते हैं।

दूसरी बात जिस पर हम सभी एक हैं वह यह है कि आरक्षण का लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित है और यह उन लोगों की अधिकांश संख्या तक नहीं पहुंच पाया है जो इस देश में सदियों से सताए जाते रहे हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

इसलिए भविष्य में आरक्षण के लाभ को देने के लिए व्यापक आधार होना चाहिए। ऐसा लगता है कि हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह विधेयक पारित होना चाहिए। मैं इस पर एकमत होने के लिए सभा का आभारी हूं परंतु टिप्पणी करने के लिए इस सम्मानित सभा का कुछ अधिक समय लेने के कारण क्षमा चाहता हूं जो मैंने उठाए गए मुद्दों पर संक्षेप में कहा है।

महोदय, इस सभा के हम सभी सदस्य भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेते हैं। भारत का संविधान मानव सम्मान और भाई–चारे की बात करता है। भारत का संविधान जाति, पंथ, रंग अथवा धर्म को ध्यान में रखे बिना सभी के प्रति समानता की बात करता है। जो लोग मनुवादियों के रूप में सत्यनिष्ठा से संविधान के प्रति शपथ लेते हैं। उनके बारे में कुछ कहना थोड़ा अनुचित होगा। मुझे बहन कुमारी मायावती का भाषण अच्छा लगा।

मैंने उनके जो भाषण सुने हैं, उनमें यह सबसे रोचक भाषण है लेकिन यदि उन्होंने यह मजाक में कहा है तो मैं इस दृढ़तापूर्वक कही गई बात का विरोध करने का प्रयास भी नहीं करूंगा। लेकिन हम *मनुवादी* नहीं है, हम *अम्बेडकर वादी* हैं।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं यदि आप अपनी सोच में परिवर्तन लाते हैं।

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी : मैं इस सभा में अपनी व्यक्तिगत इच्छा कई बार जाहिर कर चुका हूं... (*व्यवधान*) मैंने इस सभा के समक्ष यह कई बार कहा है कि मैं डा. अम्बेडकर को न केवल हमारे संविधान के निर्माता के रूप में मानता हूं बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में– सामाजिक जीवन तथा राजनीतिक जीवन दोनों में– मैं उन्हें अपना मार्ग–निर्देशक, मित्र, दार्शनिक और वस्तुतः एक पथ प्रदर्शक मानता हूं।

मैं विगत के घावों को कुरेदना नहीं चाहता हूं। मैं राजनीतिक मुद्दा बनाना नहीं चाहता हूं। कुछ सदस्यों ने, निस्संदेह राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है लेकिन मैं ऐसा कोई मुद्दा बनाना नहीं चाहूंता हूं। मैं इस स्वीकारोक्ति पर अडिग रह सकता था कि पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजतियों के संबंध में कोई उपलब्धि नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने ऐसा कहा था मैं कह सकता था: जी हां, यह सही है' और फिर मैं पासा बदल सकता था और कह सकता था "लेकिन पिछले पचास वर्षों से हम सत्ता में नहीं रहे हैं।"– मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं और विगत में जाने का कोई लाभ नहीं हैं अब हम भविष्य पर ध्यान दें।

कभी–कभी ऐसी समस्याओं को आंकने जो हमें कठिनाई में डाल देती हैं और इन अत्यधिक जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए विगत का संक्षिप्त उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है।

महोदय, *मनुस्मृति* को कुछ लोग धर्मग्रंथ के रूप में मानते हैं, मैं समझता हूं यह भारतीय विचारधारा विशेषकर हिन्दू विचारधारा की उदारता, सहिष्णुता, चेतना और धर्म निरपेक्षता के प्रति श्रद्धांजलि है कि उन्होंने भारत के संविधान को अपने धर्म ग्रंथों को महत्व ने देने की अनुमति दे दी है और उन्होंने इस देश की संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को अपने धर्मग्रन्थों को महत्व न देने की अनुमति दे दी है। क्या हम सब एक जुट होंगे और सर्वसम्मति से एक कानून पारित करेंगे जिसमें मनुस्मृति के उन भागों को निर्दिष्ट किया जाए जो

[श्री राम जेठमलानी]

संविधान तथा इस देश के कानून के साथ मेल नहीं खाते हैं? ..... (*व्यवधान*) हम इसके इच्छुक होंगे, लेकिन कृपया यह ध्यान में रखिए कि हिन्दू धर्म में संयोगवश कुछ ऐसी त्याज्य बातें पाई जाती हैं। जिनसे हम पिछले कई वर्षों से छुटकारा पाने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसी त्याज्य और बाह्य बातें प्रत्येक धर्म में पाई जाती है। क्या सभी धर्मों के अनुयायी इस धर्मयुद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हैं जो कि भारतीय गणराज्य का मौलिक धर्म है जो अन्य सभी सांप्रदायिक धर्मों पर हावी होगा? इस महान कार्य में हमारा साथ दें। यह धर्मनिरपेक्ष तथा एकीकृत समाज की स्थापना में आपका सबसे बड़ा योगदान होगा।

महोदय, परम आदरणी मित्र गीताजी ने एक बात कही थी। वह *"लक्ष्मी"* के ऊपर *"सरस्वती"* के प्रभुत्व की बात कर रही थीं। मैं पूरे दिल से इसका समर्थन करता हूं। यदि आप मुझसे पूछें, तो वास्तविक समस्या है, शिक्षा की समस्या। यदि आप समाज के सभी वर्गों को विशेषकर उन लोगों को जो कि शताब्दियों से उत्पीड़न का शिकार रहे हैं उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करें तो आप सबसे बड़ी समस्या को हल कर पाएंगे, और यह अन्य सभी गौण समस्याओं का हल है।

अध्यक्ष महोदय, इस सभा के सदस्य मुझे एक वकील के रूप में जानते हैं और अब मैं अस्थायी रूप से विधि मंत्री हूं। लेकिन मूल रूप से मैं विधि का अध्यापक हूं। मैं अभी भी तीन विश्वविद्यालयों में पढा रहा हूं। नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया में, जो कि अब हारवर्ड आफ इंडिया में बदल गया है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। हम अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रति वर्ष प्रवेश देते हैं। हम उन्हें तब भी प्रवेश देते हैं जबकि अर्हता परीक्षा में उनके कम अंक होते हैं। मैं स्वयं वहां गया और उन युवा लड़कों को पढ़ाया; मैंने उन्हें पढ़ाया और उन्हें तीन महीने का गहन प्रशिक्षण दिया और इन अनुसूचित जातियों के उन लड़कों ने अन्य सभी छात्रों को मात दे दी और प्रत्येक परीक्षा में उन्होंने तथाकथित उच्च जातियों के सभी छात्रों को पीछे छोड़ दिया है।

शिव सेना के मेरे मित्र यहां मेरे सहयोगी ने नाराज़गी के बारे में बहुत ही सही बात की है जो कि कभी–कभी आरक्षण के कारण होती है। जी हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ लोगों को इस बात का मिथ्या अभिमान होता है कि उनके पाठ योग्यता (मेरिट) है और उन्हें तब बहुत क्रोध आता है जब आरक्षण व्यवस्था के कारण उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। लेकिन, मेरे विचार से जो लोग इस प्रकार क्रोधित होते हैं, उन्हें दो बातों को अवश्य समझना चाहिए: कि योग्यता का अभिप्राय उत्कृष्टता अथवा किसी परिवार विशेष में जन्म लेना नहीं है। आखिरकार यह 'योग्यता' क्या है और किसने 'योग्यता' को परिभाषित किया है? डा. सरोजा मुझे 'योग्यता' शब्द को परिभाषित करने के लिए कह रही थीं। डाक्टर, मैं 'योग्यता' शब्द को परिभाषित करने की अपनी असमर्थता को स्वीकार करता हूं। आपके सामाजिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त योग्यता को अन्य किसी भी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आखिरकार क्या एक सफल सफाई कर्मचारी की तुलना में एक सफल वकील बड़ा होता है? आप बिना किसी निष्कर्ष अथवा मानदंड के इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? नहीं, यह सामाजिक दृष्टिकोण का प्रश्न है। हमारे सोचने के तरीके को इस तरह का बनाया गया है कि एक वकील एक सफाई कर्मचारी से थोड़ा सा बेहतर होता है। संभवतः कुछ समाजों में इससे भिन्न स्थिति हो सकती है, सामाजिक दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है।

मेरे मित्र, आरक्षण व्यवस्था गरीबी दूर करने का तरीका नही है, वह इतिहास में की गई गलतियों की प्रतिपूर्ति करने का तरीका है, जिस तरह से हिन्दू कानून में पिता का कर्ज पुत्र पर आ जाता है और अपने पिता के कर्ज को चुकाने का पुनीत दायित्व पुत्र का होता है। वर्तमान पीढ़ी तथाकथित योग्य लोग जो आरक्षण व्यवस्था की वजह से नाराज है उसे इस बात को समझना चाहिए कि वर्तमान समाज को अपने पूर्वजों द्वारा किए गए गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। लेकिन इस नाराजगी को लंबे समय तक नहीं चलते रहने देना चाहिए। हम इसे दस वर्ष की आंरभिक अवधि से आगे पहले ही बढ़ा चुके हैं। हम इस अवधि को बढ़ाकर 20, 30 अथवा 40 अथवा 50 वर्ष कर चुके हैं और अब, आज हम इस अवधि को बढ़ाकर 60 वर्ष कर रहे हैं। मेरा यह सुझाव है कि अगले दस वर्षों के भीतर यदि हम अपने संपूर्ण नैतिक, आत्मिक और भौतिक संसाधनों का एक साथ उपयोग करें तो मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षोपायों के उचित कार्यान्वयन के द्वारा हम दस वर्ष के भीतर वह उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे जो कि हम पिछले 50 वर्ष के भीतर प्राप्त नहीं कर सके।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : यह असंभव है।

श्री राम जेठमलानी : लेकिन मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने विधि तथा न्याय मंत्री के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से कहा था कि मैं एक बड़ा सम्मेलन बुलाना चाहता हूं जिसमें आप लोगों में से जो लोग आना चाहते हैं वे आयें और जिन्हें आज स्वतंत्र रूप से बोलने का अवसर नहीं मिला है, हम उनके विचार कई दिनों तक सुनेंगे। हम समस्याओं का पता लगायेंगे और उनका हल निकालेंगे।

लेकिन इस बात का पक्का इरादा होना चाहिए और दृढ निश्चय होना चाहिए कि आप उन समाधानों को पूरी सत्यनिष्ठा, पूरी मेहतन और पूरी ईमानदारी से कार्यान्वित करेंगे।

मेरे कुछ मित्रों ने विधान का हवाला दिया है। जी हां, मेरे मित्र श्री राम विलास पासवान ने हमें एक आदर्श उदाहरण दिया है। उन्होंने यह आदर्श उदाहरण हमें तब दिया जबकि वह पिछले मंत्रिमंडल के सदस्य थे,– न कि तब जबकि वह इस मंत्रिमंडल के सदस्य हैं,– जिसके वह स्वयं एक विशिष्ट सदस्य थे। उन्होंने

ान का एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया। मैं केवल इस बात का वचन दे सकता हूं कि मैंने उसे नहीं देखा है। लेकिन मैं निश्चय ही उसे पढ़ूंगा और आज सरकार के केवल संकल्पों द्वारा और सरकारी ज्ञापनों द्वारा जो कुछ हो रहा है, कि उन्हें सांविधिक दायित्वों में परिवर्तित किया जाए अथवा नहीं, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। यही श्री राम विलास पासवान ने पूछा है और मैं वचन देता हूं कि हम इस पर विचार करेंगे।

मेरे मित्र, विख्यात प्राध्यापक ने *'मानसिकता का विकास करो'* की बात की है। चरित्र को वैधानिक रूप नहीं दिया जा सकता है। चरित्र का निर्माण आपकी शिक्षा से होता है; इसका निर्माण अन्तरात्मा में प्रकाश की ज्योति के परिणामस्वरूप होता है। कानून इसमें कुछ नहीं करेगा। आप ठीक कह रहे हैं कि इस देश में हमने अनुसूचित जातियों को मोहरे और कुछ उदाहरणों में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल किया है लेकिन उनके लिए कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके वे हकदार हैं और जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था।

आज मैं कोई राजनीतिक तर्क नहीं देना चाहता मेरे मित्र, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ने ठीक ही कहा है कि इस देश में बड़ी बुराई भ्रष्टाचार है। उनसे एक प्रत्यक्षवादी का वर्णन सुनना कि अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षोपायों के कार्यान्वयन में भी अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है, हृदय विदारक है मैं इस सभा के उन सभी सदस्यों के साथ हूं जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। किंतु भ्रष्टाचार को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब कानून को कड़ाई से लागू किया जाए और राजनीतिक रूप से उच्च पदासीन लोगों के मामले में इसमें ढील न दी जाए। भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनों का कड़ाई से पालन करने हेतु सभी को प्रतिबद्ध होना चाहिए और किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में भ्रष्टाचार के माध्यम से कोई लाभ नहीं लेना चाहिए, तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा और इससे अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों की दशा में सुधार होगा।

मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे संपूर्ण मंत्रिमंडल के हृदय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य लोगों के कल्याण की गहरी भावना है। क्या इस बात का इससे भी बड़ा कोई सबूत हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अलग जनजातीय मामलों संबंधी मंत्रालय बनाया है जिसका प्रभारी एक केबिनेट स्तर का मंत्री है? हमारी सकरार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के केबिनेट स्तर के तीन मंत्री हैं और इन वर्गों के आठ अन्य मंत्री हैं जिसमें से कुछ के पास विभिन्न मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार है। हम अभी इन वर्गों से और भी प्रतिभाओं की तलाश में हैं। मेरी बात पर यकीन कीजिए, मुझे आशा है कि शीघ्र ही मेरे मंत्रालय में मेरे स्थान पर अनूसूचित जाति का कोई अन्य मंत्री होगा। हो सकता है कि वह भारतीय राष्ट्रीय विधि विद्यालय का ही कोई छात्र हो।

चार अन्य विषयों अर्थात् महिलाएं, भूमि सुधार, संपन्न वर्गों (क्रीमी लेयर) और इस विधान को भविष्य में किसी संवैधानिक प्रहार बचाने हेतु आठवीं अनुसूची के प्रयोग का उल्लेख किया गया है। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि इन सभी विषयों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

श्री कोडीकुनील सुरेश : राज्य सभा में आरक्षण के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है?

श्री राम जेठमलानी : जी हां, राज्य स्तर और केन्द्रीय स्तर पर ऊपरी सभा में आरक्षण का प्रश्न ऐसा विषय है जिसके बारे में हम बिना किसी जल्दबाजी के आराम से विचार विमर्श करेंगे। हम इस बात को हल निकालेंगे और फिर संसद के समक्ष जाएंगे और निश्चित तौर पर सरकार को आवश्यक कदम उठाने के लिए मनाएंगे।

मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। अब, मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है और इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं –

अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि अभी तक मत विभाजन नम्बर आबंटित नहीं किए गए हैं, इसलिए स्वचालित मत रिकार्डिंग मशीन से मत विभाजन संभव नहीं है। अतः, अब मत विभाजन नियम 367 कक के अंतर्गत पर्चियां वितरित करके होगा।

सदस्यों को अपना मत दर्ज करने के लिए उनके स्थानों पर 'पक्ष में'/'विपक्ष में' मुद्रित पर्चियां दी जाएंगी। पर्चियों में 'पक्ष में' वाली पर्चियां हरे रंग में हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों में मुद्रित हैं और दूसरी और 'विपक्ष में' वाली पर्चिया लाल रंग में मुद्रित हैं। सदस्यगण इन पर्चियों पर हस्ताक्षर कर तथा स्पष्टतः अपना नाम एवं पहचान पत्र संख्या लिखकर अपनी पसंद के अनुसार मत दर्ज कर सकते हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमें पहचान पत्र नहीं मिले हैं। हमें अपनी निर्वाचन क्षेत्र संख्या लिखने की अनुमति दी जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हमें नाम और निर्वाचन क्षेत्र संख्या लिखने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र संख्या ही लिखिए। सदस्यगण पर्चियों पर विनिर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर करें और सुस्पष्ट शब्दों में अपना नाम, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम और तिथि लिखकर अपना मत दर्ज करें। जो सदस्य मतदान में भाग नहीं लेना चाहते हैं वे 'भाग नहीं लिया' (पीले रंग में) पर्ची मांग लें। अपना मत दर्ज करने के तुरंत बाद प्रत्येक सदस्य अपनी पर्ची डिविजन क्लर्क को देंगे जो पर्ची एकत्र करने उनके स्थान पर आएगा और फिर उन्हें सभा पटल अधिकारियों को सौंप देगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे मत विभाजन के लिए केवल एक पर्ची भरें।

सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे डिविजन क्लर्क द्वारा पर्चियां एकत्र करने से पूर्व अपना स्थान न छोड़ें।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

अपराह्न 5.40 बजे

मत-विभाजन संख्या-1

पक्ष में

अजय कुमार, श्री एस.

अडसुल, श्री आनंदराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

उराम, श्री जुएल

ए. नरेन्द्र, श्री

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी. डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कटियार, श्री विनय

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

करूणाकरन, श्री के.

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

किन्डिया, श्री पी. आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री अरुण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारमंगलम, श्री पी. आर.

कुमारासामी, श्री पी.

कुरूप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णदास, श्री एन. एन.

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र
खन्ना, श्री विनोद
खां, श्री मनसूर अली
खां, श्री सुनील
खांदोकर, श्री अकबर अली
खान, श्री हसन
खुराना, श्री मदन लाल
खूंटे, श्री पी. आर.
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गढ़वी, श्री पी. एस.
गमांग, श्रीमती हेमा
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल
गांधी, श्रीमती सोनिया
गाड्डे, श्री राम मोहन
गामलिन, श्री जारबोम
गावीत, श्री रामदास रुपला
गीते, श्री अनंत गंगाराम
गुढे, श्री अनंत
गुप्त, प्रो. चमन लाल
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गहलोत, श्री थावरचन्द
गोयल, श्री विजय
गोविन्दन, श्री टी.
गौडा, श्री जी. पुट्टास्वामी
गौतम, श्रीमती शीला
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री स्वदेश
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत
चन्देल, श्री सुरेश
चिन्नासामी, श्री एम.
चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई
चेन्नितला, श्री रमेश
चौटाला, श्री अजय सिंह
चौधरी, श्री अधीर
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री पद्मसेन
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री राम रघुनाथ
चौधरी, श्री विकास
चौधरी, श्री समर
चौधरी, श्री हरिभाई
चौधरी, श्रीमती रीना
चौधरी, श्रीमती निशा
चौबे, श्री लाल मुनी
चौहान, श्री निहाल चन्द
चौहान, श्री बालकृष्ण
चौहान, श्री शिवराजसिंह
चौहान, श्री श्रीराम
जगतरक्षकन, डा. एस.
जगन्नाथ, डा. मन्दा
जगमोहन, श्री
जयशीलन, डा. ए. डी. के.
जहेदी, श्री महबूब
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश
जार्ज, श्री के. फ्रांसिस
जावीया, श्री जी. जे.

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, श्री मनोहर

जोस, श्री ए. सी.

झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

ढिकले, श्री उत्तमराव

तिरुनावकरसू, श्री

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोपदार, श्री तरित बरण

तोमर, डा. रमेश चन्द

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

थामस, श्री पी. सी.

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नीतीश कुमार, श्री

पटनायक, श्री नवीन

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री आत्माराम भाई

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री दिनशा

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परांजपे, श्री प्रकाश

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.

पवार, श्री शरद

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा. रंजीत सिंह

पांजा, श्री अजित कुमार

पांडियन, श्री पी. एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल (यलाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के.

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री शिवराज वी.

पाटील, श्री श्रीनिवास

पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पायलट, श्री राजेश
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, डा. संजय
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री रामचन्द्र
पासवान, श्री सुकदेव
पासी, श्री राजनारायण
पोटाई, श्री सोहन
पोन्नुस्वामी, श्री ई.
प्रधान, डा. देवेन्द्र
प्रधान, श्री अशोक
प्रभु, श्री सुरेश
प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.
प्रसाद, श्री जितेन्द्र
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास
प्रेमाजम, प्रो. ए. के.
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फारूक, श्री एम. ओ. एच.
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
बंसल, श्री पवन कुमार
बखला, श्री जोवाकिम
'बचदा', श्री बची सिंह रावत
बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी. एम.
बब्बन राजभर, श्री
बराड़, श्री जे. एस.
बर्मन, श्री रनेन

बलिराम, डा.
बसु, श्री अनिल
बालू, श्री टी. आर.
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह
बिश्वास, श्री आनन्द मोहन
बुन्देला, श्री सुजानसिंह
बेगम नूर बानो
बेहरा, श्री पदमनाव
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैठा, श्री महेन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
बैस, श्री रमेश
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर
बोस, श्रीमती कृष्णा
बौरी, श्रीमती संध्या
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भगोरा, श्री ताराचन्द
भडाना, श्री अवतार सिंह
भाटिया, श्री आर. एल.
भूरिया, श्री कांतिलाल
मंजय लाल श्री
मंडल, श्री ब्रहमानन्द
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा
मरांडी, श्री बाबू लाल
मलयसामी, श्री के.
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
मल्होत्रा, डा. विजय कुमार
महताब, श्री भर्तृहरि
महतो, श्री बीर सिंह
महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष
महाजन, श्री वाई. जी.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
मांझी, श्री रामजी
मांझी, श्री परसुराम
मान, श्री जोरा सिंह
मान, श्री सिमरनजीत सिंह
माने, श्री शिवाजी
माने, श्रीमती निवेदिता
मायावती, कुमारी
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री एस. बी.
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुण्डा, श्री कड़िया
मुनि लाल, श्री
मुनियप्पा, श्री के. एच.
मुरलीधरन, श्री के.
मुरूगेसन, श्री एस.
मुर्मू, श्री रूपचन्द
मुर्मू, श्री सालखन
मूर्ति, श्री ए. के.
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस.
मेहता, श्रीमती जयवंती
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहन, श्री पी.
मोहले, श्री पुन्नू लाल
मोहिते, श्री सुबोध

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा
यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, श्री दिनेश चन्द्र
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
येरननायडू, श्री के.
रमण, डा.
रमैया, डा. बी. बी.
रवि, श्री शीशराम सिंह
राजा, श्री ए.
राजेन्द्रन, श्री पी.
राठवा, श्री रामसिंह
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री वरकला
राधाकृष्णन, श्री पोन
राम सजीवन, श्री
राम, श्री ब्रजमोहन
रामशकल, श्री
रामैया, श्री गुनीपाटी
राय, श्री नवल किशोर
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण
राव, श्री सी.एच. विद्यासागर
राव, श्रीमती प्रभा
रावत, प्रो. रासासिंह
रावत, श्री प्रदीप
रावत, श्री रामसागर
राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रियान, श्री बाजू बन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन
रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर
रेड्डी, श्री चाडा सुरेश
रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द
रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.
लाहिड़ी, श्री समीक
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री राजेश
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वाडियार, श्री एस. डी. एन. आर.
विजयन, श्री ए. के. एस.
विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वर रम्मा
वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, श्री डी.
वेत्रिसेलवन, श्री वी.
वैको, श्री
शर्मा, कैप्टन सतीश
शर्मा, श्री विष्णु दत्त
शशि कुमार, श्री
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत) डा. धनीराम

शान्ता कुमार, श्री
शाह, श्री मानवेन्द्र
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
शिंदे, श्री सुशील कुमार
शिवकुमार, श्री वी. एस.
श्रीकांतप्पा, श्री डी. सी.
श्रीनिवासुलु, श्री कालवा
षणमुगम, श्री एन. टी.
संकेश्वर, श्री विजय
संखवार, श्री प्यारे लाल
संगमा, श्री पूर्णो ए.
संघाणी, श्री दिलीप
सईद, श्री पी. एम.
सईदुज्जमा, श्री
सनदी, प्रो. आई. जी.
सर, श्री निखिलानन्द
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्रीमती सुशीला
सरोजा, डा. वी.
सांगतम, श्री के. ए.
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
सामन्तराय, श्री प्रभात
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र भूषण

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बलबीर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री साहिब

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह, डा॰ रघुवंश प्रसाद

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवंत

सिंह देव, श्री के॰ पी॰

सी॰ सुगुणा कुमारी, डा॰ (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई॰ एम॰

सुधीरन, श्री वी॰ एम॰

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा॰ नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी॰ एम॰

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाईं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

हक, मोहम्मद अनवारूल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार हैं :

पक्ष में : 383

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं/द्वार खोल दिए जाएं।

अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड-2

अध्यक्ष महोदय : खंड 2 हेतु श्री दिलीप संघाणी द्वारा प्रस्तुत संशोधन है।

श्री दिलीप संघाणी क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली) : मैं मूव नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

अब मैं खंड 2 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं–

अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

अपराह्न 5.55 बजे

मत-विभाजन संख्या-2

पक्ष में

अजय कुमार, श्री एस.

अडसुल, श्री आनंदराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

उराम, श्री जुएल

ए. नरेन्द्र, श्री

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी. डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कटियार, श्री विनय

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

करूणाकरन, श्री के.

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव

किन्डिया, श्री पी. आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री अरुण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारमंगलम, श्री पी. आर.

कुमारासामी, श्री पी.

कुरूप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णदास, श्री एन. एन.

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री मनसूर अली

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी. आर.

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गढ़वी, श्री पी. एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती सोनिया
गाड्डे, श्री राम मोहन
गामलिन, श्री जारबोम
गावीत, श्री रामदास रुपला
गीते, श्री अनंत गंगाराम
गुढे, श्री अनंत
गुप्त, प्रो॰ चमन लाल
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गहलोत, श्री थावरचन्द
गोयल, श्री विजय
गोविन्दन, श्री टी.
गौडा, श्री जी॰ पुट्टास्वामी
गौतम, श्रीमती शीला
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री स्वदेश
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत
चन्देल, श्री सुरेश
चिन्नासामी, श्री एम॰
चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई
चेन्नितला, श्री रमेश
चौटाला, श्री अजय सिंह
चौधरी, श्री अधीर
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री पद्मसेन
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री राम रघुनाथ
चौधरी, श्री विकास
चौधरी, श्री समर
चौधरी, श्री हरिभाई
चौधरी, श्रीमती रीना
चौधरी, श्रीमती निशा
चौबे, श्री लाल मुनी
चौहान, श्री निहाल चन्द
चौहान, श्री बालकृष्ण
चौहान, श्री शिवराजसिंह
चौहान, श्री श्रीराम
जगतरक्षकन, डा॰ एस॰
जगन्नाथ, डा॰ मन्दा
जगमोहन, श्री
जयशीलन, डा॰ ए॰ डी॰ के॰
जहेदी, श्री महबूब
जाफर शरीफ, श्री सी॰ के॰
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश
जार्ज, श्री के॰ फ्रांसिस
जावीया, श्री जी॰ जे॰
जीगाजीनागी, श्री रमेश सी॰
जैन, श्री पुष्प
जोशी, श्री मनोहर
ज़ोस, श्री ए॰ सी॰
झा, श्री रघुनाथ
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी॰
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
डूडी, श्री रामेश्वर
डोम, डा॰ राम चन्द्र
ढिकले, श्री उत्तमराव
तिरुनावकरसू, श्री
तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा. रमेश चन्द
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
थामस, श्री पी. सी.
दग्गुबाटि, श्री राम नायडू
दत्तात्रेय, श्री बंडारू
दास, श्री नेपाल चन्द्र
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी
दूलो, श्री शमशेर सिंह
देलकर, श्री मोहन एस.
देव, श्री बिक्रम केशरी
देव, श्री संतोष मोहन
नरह, श्रीमती रानी
नाईक, श्री राम
नाईक, श्री श्रीपाद येसो
नायक, श्री अनन्त
नायक, श्री अली मोहम्मद
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
नीतीश कुमार, श्री
पटनायक, श्री नवीन
पटवा, श्री सुन्दर लाल
पटेल, डा. अशोक
पटेल, श्री आत्माराम भाई
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी
पटेल, श्री दिनशा
पटेल, श्री दीपक
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री मानसिंह
परस्ते, श्री दलपत सिंह
परांजपे, श्री प्रकाश
पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.
पवार, श्री शरद
पवैया, श्री जयभान सिंह
पांजा, डा. रंजीत कुमार
पांजा, श्री अजीत कुमार
पांडियन, श्री पी. एच.
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार
पाटिल (यत्लाल), श्री बसनगौडा रामनगौड
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के.
पाटील, श्री उत्तमराव
पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब
पाटील, श्री प्रकाश वी.
पाटील, श्री शिवराज वी.
पाटील, श्री श्रीनिवास
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पायलट, श्री राजेश
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, डा. संजय
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री रामचन्द्र
पासवान, श्री सुकदेव
पासी, श्री राजनारायण
पोटाई, श्री सोहन
पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.

प्रसाद, श्री जितेन्द्र

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए. के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम. ओ. एच.

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

'बचदा', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी. एम.

बब्बन राजभर, श्री

बराड़, श्री जे. एस.

बर्मन, श्री रनेन

बलिराम, डा.

बसु, श्री अनिल

बालू, श्री टी. आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन

बुन्देला, श्री सुजानसिंह

बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

बोस, श्रीमती कृष्णा

बौरी, श्रीमती संध्या

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगोरा, श्री ताराचन्द

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाटिया, श्री आर. एल.

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रहमानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा

मरांडी, श्री बाबू लाल

मलयसामी, श्री के.

मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री बीर सिंह

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई. जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

मांझी, श्री रामजी

मांझी, श्री परसुराम

मान, श्री जोरा सिंह

मान, श्री सिमरनजीत सिंह

माने, श्री शिवाजी

माने, श्रीमती निवेदिता

मायावती, कुमारी
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री एस. बी.
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुण्डा, श्री कड़िया
मुनि लाल, श्री
मुनियप्पा, श्री के. एच.
मुरलीधरन, श्री के.
मुरूगेसन, श्री एस.
मुर्मू, श्री रूपचन्द
मुर्मू, श्री सालखन
मूर्ति, श्री ए. के.
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस.
मेहता, श्रीमती जयवंती
मोहन, श्री पी.
मोहले, श्री पुन्नू लाल
मोहिते, श्री सुबोध
यादव, डा. (श्रीमती) सुधा
यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, श्री दिनेश चन्द्र
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
येरननायडू, श्री के.
रमण, डा.
रवि, श्री शीशराम सिंह
राजा, श्री ए.
राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री वरकला
राधाकृष्णन, श्री पोन
राम सजीवन, श्री
राम, श्री ब्रजमोहन
रामशकल, श्री
रामैया, श्री गुनीपाटी
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री विष्णु पद
राय प्रधान, श्री अमर
राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण
राव, श्री सी.एच. विद्यासागर
राव, श्रीमती प्रभा
रावत, प्रो. रासासिंह
रावत, श्री प्रदीप
रावत, श्री रामसागर
राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण
रियान, श्री बाजू बन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन
रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर
रेड्डी, श्री चाडा सुरेश
रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द
रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.
लाहिड़ी, श्री समीक
बनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री राजेश
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वाडियार, श्री एस. डी. एन. आर.
विजयन, श्री ए. के. एस.
विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, डा. एस.
वेत्रिसेलवन, श्री वी.
वैको, श्री
शर्मा, कैप्टन सतीश
शर्मा, श्री विष्णु दत्त
शशि कुमार, श्री
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत) डा. धनीराम
शान्ता कुमार, श्री
शाह, श्री मानवेन्द्र
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
शिंदे, श्री सुशील कुमार
शिवकुमार, श्री वी. एस.
श्रीकांतप्पा, श्री डी. सी.
श्रीनिवासुलु, श्री कालवा
षणमुगम, श्री एन. टी.
संकेश्वर, श्री विजय
संखवार, श्री प्यारे लाल
संगमा, श्री पूर्णो ए.
संघाणी, श्री दिलीप
सईद, श्री पी. एम.
सईदुज्जमा, श्री
सनदी, प्रो. आई. जी.
सर, श्री निखिलानन्द
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्रीमती सुशीला
सरोजा, डा. वी.
सांगतम, श्री के. ए.
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
सामन्तराय, श्री प्रभात
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री चन्द्र भूषण
सिंह, श्री प्रभुनाथ
सिंह, श्री बलबीर
सिंह, श्री बृज भूषण शरण
सिंह, श्री राजो
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री साहिब

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवंत

सिंह देव, श्री के. पी.

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.

सुधीरन, श्री वी. एम.

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी. एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाईं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

हक, मोहम्मद अनवारूल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

रमैया, डा. बी. बी.

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 381

विपक्ष में : 1

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड दो विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

किया गया संशोधन

पृष्ठ 1 पंक्ति 3 –

"चौरासीवां' *के स्थान* पर

"उनासीवां" *प्रतिस्थापित* किया जाए।" (1)

(श्री राम जेठमलानी)

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं पहले से ही खाली हैं।

सायं 6.00 बजे

अब मैं खंड 1 को संशोधित रूप में सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

अपराह्न 6.02 बजे

मत-विभाजन संख्या-3

पक्ष में

अजय कुमार, श्री एस.

अडसुल, श्री आनंदराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशंवत

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न
आचार्य, श्री बसुदेव
आजाद, श्री कीर्ति झा
आठवले, श्री रामदास
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
आदि शंकर, श्री
आदित्यनाथ, योगी
उमा भारती, कुमारी
उराम, श्री जुएल
ए. नरेन्द्र, श्री
एम. मास्टर मथान, श्री
एलानगोवन, श्री पी. डी.
कटारा, श्री बाबूभाई के.
कटारिया, श्री रतन लाल
कटियार, श्री विनय
कथीरिया, डा. वल्लभभाई
कन्नप्पन, श्री एम.
कमलनाथ, श्री
करूणाकरन, श्री के.
कलिअप्पन, श्री के.के.
कश्यप, श्री बली राम
कानूनगो, श्री त्रिलोचन
काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव
किन्डिया, श्री पी. आर.
कुप्पुसामी, श्री सी.
कुमार, श्री अरुण
कुमार, श्री वी. धनंजय
कुमारमंगलम, श्री पी. आर.
कुमारासामी, श्री पी.
कुरूप, श्री सुरेश
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
कृपलानी, श्री श्रीचन्द
कृष्णदास, श्री एन. एन.
कृष्णन, डा. सी.
कृष्णास्वामी, श्री ए.
कौर, श्रीमती प्रेनीत
कौशल, श्री रघुवीर सिंह
खंडेलवाल, श्री विजय कुमार
खण्डूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र
खन्ना, श्री विनोद
खां, श्री मनसूर अली
खां, श्री सुनील
खांदोकर, श्री अकबर अली
खान, श्री हसन
खुराना, श्री मदन लाल
खूंटे, श्री पी. आर.
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गढ़वी, श्री पी. एस.
गमांग, श्रीमती हेमा
गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल
गांधी, श्रीमती सोनिया
गाड्डे, श्री राम मोहन
गावीत, श्री रामदास रूपला
गिलुवा, श्री लक्ष्मण
गीते, श्री अनंत गंगाराम
गुढे, श्री अनंत
गुप्त, प्रो. चमन लाल
गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गहलोत, श्री थावरचन्द
गोयल, श्री विजय
गोविन्दन, श्री टी.
गौडा, श्री जी. पुट्टास्वामी
गौतम, श्रीमती शीला
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री स्वदेश
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत
चन्देल, श्री सुरेश
चिन्नासामी, श्री एम.
चेन्नितला, श्री रमेश
चौधरी, श्री अधीर
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री पद्‌मसेन
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री राम रघुनाथ
चौधरी, श्री विकास
चौधरी, श्री समर
चौधरी, श्री हरिभाई
चौधरी, श्रीमती रीना
चौधरी, श्रीमती निशा
चौबे, श्री लाल मुनी
चौहान, श्री निहाल चन्द
चौहान, श्री बालकृष्ण
चौहान, श्री शिवराजसिंह
चौहान, श्री श्रीराम
जगतरक्षकन, डा. एस.
जगन्नाथ, डा. मन्दा
जगमोहन, श्री
जटिया, डा. सत्यनारायण
जयशीलन, डा. ए. डी. के.
जहेदी, श्री महबूब
जाधव, श्री सुरेश रामराव
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश
जार्ज, श्री के. फ्रांसिस
जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.
जैन, श्री पुष्प
जोशी, श्री मनोहर
जोस, श्री ए. सी.
झा, श्री रघुनाथ
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
डूडी, श्री रामेश्वर
डोम, डा. राम चन्द्र
ढिकले, श्री उत्तमराव
तिरुनावकरसू, श्री
तिवारी, श्री लाल बिहारी
तिवारी, श्री सुन्दर लाल
तुड़, श्री तरलोचन सिंह
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा. रमेश
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
त्रिपाठी, श्री रामनरेश
थामस, श्री पी. सी.
दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दत्तात्रेय, श्री बंडारू
दास, श्री नेपाल चन्द्र
दासमुशी, श्री प्रियरंजन
दिवाथे, श्री नामदेव हरवाजी
दूलो, श्री शमशेर सिंह
देव, श्री बिक्रम केशरी
देव, श्री सतोष मोहन
नरह, श्रीमती रानी
नाईक, श्री राम
नाईक, श्री श्रीपाद येसो
नायक, श्री अनन्त
नायक, श्री अली मोहम्मद
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
नीतीश कुमार, श्री
पटनायक, श्री नवीन
पटवा, श्री सुन्दर लाल
पटेल, डा. अशोक
पटेल, श्री आत्माराम भाई
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी
पटेल, श्री दिनशा
पटेल, श्री दीपक
पटेल, श्री धर्मराज सिंह
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री मानसिंह
परस्ते, श्री दलपत सिंह
परांजपे, श्री प्रकाश
पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.
पवार, श्री शरद
पवैया, श्री जयभान सिंह
पांजा, डा. रंजीत कुमार
पांजा, श्री अजीत कुमार
पांडियन, श्री पी. एच.
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार
पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के.
पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब
पाटील, श्री प्रकाश वी.
पाटील, श्री शिवराज वी.
पाटील, श्री श्रीनिवास
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पायलट, श्री राजेश
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, डा. संजय
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री रामचन्द्र
पासवान, श्री सुकदेव
पासी, श्री राजनारायण
पोटाई, श्री सोहन
पोन्नुस्वामी, श्री ई.
प्रधान, डा. देवेन्द्र
प्रधान, श्री अशोक
प्रभु, श्री सुरेश
प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.
प्रसाद, श्री जितेन्द्र
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास
प्रेमाजम, प्रो. ए. के.
फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम. ओ. एच.
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
बखला, श्री जोवाकिम
'बचदा', श्री बची सिंह रावत
बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी. एम.
बब्बन राजभर, श्री
बराड़, श्री जे. एस.
बर्मन, श्री रनेन
बलिराम, डा.
बसु, श्री अनिल
बालू, श्री टी. आर.
बिश्नोई, श्री जसवंतसिंह
बिश्वास, श्री आनन्द मोहन
बुन्देला, श्री सुजानसिंह
बेगम नूर बानो
बेहरा, श्री पद्मनाव
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैठा, श्री महेन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
बैस, श्री रमेश
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर
बोस, श्रीमती कृष्णा
बौरी, श्रीमती संध्या
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भगोरा, श्री ताराचन्द
भडाना, श्री अवतार सिंह
भाटिया, श्री आर. एल.
भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा
मरांडी, श्री बाबू लाल
मलयसामी, श्री के.
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
मल्होत्रा, डा. विजय कुमार
महताब, श्री भर्तृहरि
महतो, श्री बीर सिंह
महतो, श्रीमती आभा
महरिया, श्री सुभाष
महाजन, श्री वाई. जी.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
मांझी, श्री रामजी
मांझी, श्री परसुराम
मान, श्री जोरा सिंह
मान, श्री सिमरनजीत सिंह
माने, श्री शिवाजी
माने, श्रीमती निवेदिता
मायावती, कुमारी
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री एस. बी.
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुण्डा, श्री कड़िया
मुनि लाल, श्री
मुनियप्पा, श्री के. एच.
मुरलीधरन, श्री के.

मुरूगेसन, श्री एस.
मुर्मू, श्री रूपचन्द
मुर्मू, श्री सालखन
मूर्ति, श्री ए. के.
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मेहता, श्रीमती जयवंती
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहन, श्री पी.
मोहले, श्री पुन्नू लाल
मोहिते, श्री सुबोध
यादव, डा. (श्रीमती) सुधा
यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, श्री दिनेश चन्द्र
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
येरननायडू, श्री के.
रमण, डा.
रमैया, डा. बी. बी.
रवि, श्री शीशराम सिंह
राजा, श्री ए.
राजेन्द्रन, श्री पी.
राठवा, श्री रामसिंह
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री वरकला
राधाकृष्णन, श्री पोन
राम सजीवन, श्री
राम, श्री ब्रजमोहन
रामशकल, श्री

रामुलु, श्री एच. जी.
रामैया, श्री गुनीपाटी
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री विष्णुपद
राय प्रधान, श्री अमर
राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण
राव, श्री सी.एच. विद्यासागर
राव, श्रीमती प्रभा
रावत, प्रो. रासासिंह
रावत, श्री प्रदीप
रावत, श्री रामसागर
राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण
रियान, श्री बाजू बन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन
रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर
रेड्डी, श्री घाडा सुरेश
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द
रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.
लाहिड़ी, श्री समीक
बनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री राजेश
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वाडियार, श्री एस. डी. एन. आर.
विजयन, श्री ए. के. एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, डा. एस.
वेणुगोपाल, श्री डी.
वेत्रिसेलवन, श्री वी.
वैको, श्री
शर्मा, कैप्टन सतीश
शर्मा, श्री विष्णु दत्त
शशि कुमार, श्री
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत) डा. धनीराम
शान्ता कुमार, श्री
शाह, श्री मानवेन्द्र
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
शिंदे, श्री सुशील कुमार
शिवकुमार, श्री वी. एस.
शुक्ल, श्री श्यामाचरण
श्रीकांतप्पा, श्री डी. सी.
श्रीनिवासुलु, श्री कालवा
षणमुगम, श्री एन. टी.
संकेश्वर, श्री विजय
संखवार, श्री प्यारे लाल
संगमा, श्री पूर्णो ए.
सईद, श्री पी. एम.
सईदुज्जमा, श्री
सनदी, प्रो. आई. जी.
सर, श्री निखिलानन्द
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्रीमती सुशीला
सरोजा, डा. वी.
सांगतम, श्री के. ए.
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
सामन्तराय, श्री प्रभात
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
सिंह, श्री प्रभुनाथ
सिंह, श्री बलबीर
सिंह, श्री बृज भूषण शरण
सिंह, श्री राजो
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री रामानन्द
सिंह, श्री साहिब
सिंह, श्रीमती कान्ति
सिंह, श्रीमती श्यामा
सिंह, सरदार बूटा
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवंत

सिंह देव, श्री के. पी.

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री, ई. एम.

सुधीरन, श्री वी. एम.

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी. एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाईं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

हक, मोहम्मद अनवारूल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 381

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस अवसर पर कुछ कहने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको उसके लिए अग्रिम रूप से सूचना देनी होगी।

.....*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मुझे केवल कुछ शब्द कहने हैं... ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको पहले सूचना देनी होगी।

.....*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : महोदय, यह माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा अनुरोध है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

.....*(व्यवधान)* *

सरदार बूटा सिंह : महोदय इस विधेयक के प्रभारी मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी आपको उसके लिए सूचना देनी होगी।

.....*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मुझे केवल दो लाइनें बोलने की अनुमति दी जाए।.....*(व्यवधान)* महोदय, माननीय मंत्री से एक बात छूट गयी है। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप इस समय कुछ भी नहीं कह सकते।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली करा ली गई हैं। अब मैं इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखूंगा।

.....*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : इस सभा की यह प्रक्रिया है कि विधेयक के अंतिम विभाजन के समय कोई सदस्य वक्तव्य दे सकता है।.... *(व्यवधान)* कृपया नियम 94 देखें .....*(व्यवधान)* मैं नियम 94 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।.....*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

.....(*व्यवधान*)

सरदार बूटा सिंह : महोदय नियम, 94 के अंतर्गत, मुझे एक वाक्य कहने की छूट है।.....(*व्यवधान*) महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए।.....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि ऐसा नियम है, परन्तु आपको पहले से सूचना देनी होगी।

.....(*व्यवधान*)

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैंने आपको सूचना दी है।..... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : अब आप उस तरह की सूचना नहीं दे सकते। आपको इस बारे में पहले से सूचना देनी होगी।

.....(*व्यवधान*)

सरदार बूटा सिंह : महोदय, इससे मैं अपने अधिकार से वंचित हो जाऊंगा। विधेयक के अंतिम चरण में मुझे बोलने का अधिकार है। श्री जेठमलानी जी वह जानते हैं। .....(*व्यवधान*) आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपने अग्रिम सूचना दी है तो आप बोल सकते हैं।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैं आपको सूचना दे चुका हूं।.... .(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : नहीं आपने सूचना नहीं दी है।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैंने अपने हाथ से लिखकर आपको दी है।.....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी आप अब यह सूचना नहीं दे सकते, आपको अग्रिम सूचना देनी होगी।

सरदार बूटा सिंह : जब संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसी समय ही सूचना दी जाती है। मैं इस संबंध में प्रातःकाल में सूचना कैसे दे सकता था? मुझे यह कैसे पता चलता कि माननीय मंत्री जी इस बात को छोड़ देंगे? .....(*व्यवधान*) महोदय, मंत्री महोदय ने तीसरे विभाजन के दौरान एक महत्वपूर्ण बात छोड़ दी है और मैं वहीं बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।.....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी, आपको नई परम्परा नहीं बनानी चाहिए। आपको यह बात समझनी चाहिए।

.....(*व्यवधान*)

सरदार बूटा सिंह : महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक बात है। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं बोलूंगा।.....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : सुबह भी आपने इस वाद-विवाद में 45 मिनट का समय लिया था।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, वह ठीक है परन्तु सभा की यही इच्छा थी। मुझे सभा ने अनुमति दी थी। महोदय, मैं केवल एक लाईन कहूंगा और मैंने यह किया है।.....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

.....(*व्यवधान*) *

एक माननीय सदस्य : महोदय, क्या यह कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा? .....(*व्यवधान*)

सरदार बूटा सिंह : क्यों नहीं शामिल किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी है।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, सदस्यों के अंतिम चरण में बोलने का अधिकार है। अगर आप वह परम्परा नहीं अपनाएंगे, जो संसद में पहले से ही है, तो मुझे दुख होगा।

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : मैं केवल एक वाक्य बोलूंगा। अब 30 वर्ष बाद, जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैं इस सभा में आश्वासन पाना चाहता हूं। .....(*व्यवधान*) क्यों नहीं? यह एक दायित्व है। यह एक संवैधानिक दायित्व है। .....(*व्यवधान*) माननीय मंत्री जी को इस सभा को आश्वासन देना चाहिए। आपको सभा में आश्वासन देना चाहिए। यह संवैधानिक आश्वासन है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। .. ...(*व्यवधान*) विधेयक का समर्थन करते हुए मैं सरकार से केवल यह आश्वासन चाहता हूं कि अनुच्छेद 330 में जो प्रावधान किया गया है वे उसे कायम रखेंगे। .....(*व्यवधान*)

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, नियम के अनुसार वे बोलने के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही विधेयक का समर्थन कर दिया है।.....(*व्यवधान*)

सरदार बूटा सिंह : महोदय, वे मेरी बात से सहमत हैं।..... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री जी, इस विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं पहले ही खाली करा ली गई हैं।

---

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत–विभाजन हुआ।

अपराह्न 6.30 बजे

मत-विभाजन संख्या-4

पक्ष में

अजय कुमार, श्री एस.

अडसुल, श्री आनंदराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशंवत

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

उमा भारती, कुमारी

उराम, श्री जुएल

ए. नरेन्द्र, श्री

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी. डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कटियार, श्री विनय

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

करूणाकरन, श्री के.

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

किन्डिया, श्री पी. आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री अरुण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारमंगलम, श्री पी. आर.

कुमारासामी, श्री पी.

कुरूप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णदास, श्री एन. एन.

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री मनसूर अली

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खूंटे, श्री पी. आर.

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गढ़वी, श्री पी. एस.
गमांग, श्रीमती हेमा
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल
गांधी, श्रीमती सोनिया
गाड़डे, श्री राम मोहन
गावीत, श्री रामदास रूपला
गीते, श्री अनंत गंगाराम
गुढे, श्री अनंत
गुप्त, प्रो. चमन लाल
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गहलोत, श्री थावरचन्द
गोविन्दन, श्री टी.
गोहेन, श्री राजेन
गौडा, श्री जी. पुट्टास्वामी
गौतम, श्रीमती शीला
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री स्वदेश
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत
चन्देला, श्री सुरेश
चिन्नासामी, श्री एम.
चेन्नितला, श्री रमेश
चौधरी, श्री अधीर
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री पद्मसेन
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री राम रघुनाथ
चौधरी, श्री विकास
चौधरी, श्री समर
चौधरी, श्री हरिभाई
चौधरी, श्रीमती रीना
चौधरी, श्रीमती निशा
चौबे, श्री लाल मुनी
चौहान, श्री निहाल चन्द
चौहान, श्री बालकृष्ण
चौहान, श्री शिवराजसिंह
चौहान, श्री श्रीराम
जगतरक्षकन, डा. एस.
जगन्नाथ, डा. मन्दा
जगमोहन, श्री
जाटिया, डा. सत्यनारायण
जयशीलन, डा. ए. डी. के.
जहेदी, श्री महबूब
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश
जार्ज, श्री के. फ्रांसिस
जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.
जैन, श्री पुष्प
जोशी, श्री मनोहर
जोस, श्री ए. सी.
झा, श्री रघुनाथ
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.
ठाकुर, डा. सी. पी.
डूडी, श्री रामेश्वर
डोम, डा. राम चन्द्र
ढिकले, श्री उत्तमराव
तिरुनावकरसू, श्री
तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल
तुड़, श्री तरलोचन सिंह
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा. रमेश
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
त्रिपाठी, श्री राम नरेश
थामस, श्री पी. सी.
बग्गुबाटि, श्री राम नायडू
दत्तात्रेय, श्री बंडारू
दास, श्री नेपाल चन्द्र
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी
दूलो, श्री शमशेर सिंह
देव, श्री बिक्रम केशरी
देव, श्री संतोष मोहन
देवी, श्रीमती कैलाशो
नरह, श्रीमती रानी
नाईक, श्री राम
नाईक, श्री श्रीपाद येसो
नायक, श्री अनन्त
नायक, श्री अली मोहम्मद
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
नीतीश कुमार, श्री
पटनायक, श्री नवीन
पटवा, श्री सुन्दर लाल
पटेल, डा. अशोक
पटेल, श्री आत्माराम भाई
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी
पटेल, श्री दिनशा
पटेल, श्री दीपक
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री मानसिंह
परस्ते, श्री दलपत सिंह
पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.
पवार, श्री शरद
पवैया, श्री जयभान सिंह
पांजा, डा. रंजीत कुमार
पांजा, श्री अजित कुमार
पांडियन, श्री पी. एच.
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार
पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के.
पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब
पाटील, श्री प्रकाश वी.
पाटील, श्री शिवराज वी.
पाटील, श्री श्रीनिवास
पाठक, श्री हरिन
पाण्डये, डा. लक्ष्मीनारायण
पायलट, श्री राजेश
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, डा. संजय
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री रामचन्द्र
पासवान, श्री सुकदेव
पासी, श्री राजनारायण
पोटाई, श्री सोहन
पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र
प्रधान, श्री अशोक
प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.
प्रसाद, श्री जितेन्द्र
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास
प्रेमाजम, प्रो. ए. के.
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फारूक, श्री एम. ओ. एच.
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
बखला, श्री जोवाकिम
'बचदा', श्री बची सिंह रावत
बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी. एम.
बब्बन राजभर, श्री
बराड़, श्री जे. एस.
बर्मन, श्री रनेन
बलिराम, डा.
बसु, श्री अनिल
बालू, श्री टी. आर.
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह
बिश्वास, श्री आनन्द मोहन
बुन्देला, श्री सुजानसिंह
बेगम नूर बानो
बेहरा, श्री पद्मनाव
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैठा, श्री महेन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
बैस, श्री रमेश
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर
बोस, श्रीमती कृष्णा
बौरी, श्रीमती संध्या
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भगोरा, श्री ताराचन्द
भडाना, श्री अवतार सिंह
भाटिया, श्री आर. एल.
भूरिया, श्री कांतिलाल
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा
मरांडी, श्री बाबू लाल
मलयसामी, श्री के.
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
मल्होत्रा, डा. विजय कुमार
महताब, श्री भर्तृहरि
महतो, श्री बीर सिंह
महतो, श्रीमती आभा
महरिया, श्री सुभाष
महाजन, श्री वाई. जी.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
मांझी, श्री रामजी
मांझी, श्री परसुराम
मान, श्री जोरा सिंह
मान, श्री सिमरनजीत सिंह
माने, श्री शिवाजी
माने, श्रीमती निवेदिता
मायावती, कुमारी
मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस. बी.

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुण्डा, श्री कड़िया

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के. एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुरूगेसन, श्री एस.

मुर्मू, श्री रूपचन्द

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री ए. के.

मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

मोहिते, श्री सुबोध

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमण, डा.

रमैया, डा. बी. बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजा, श्री ए.

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम सजीवन, श्री

राम, श्री ब्रजमोहन

रामशकल, श्री

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री विष्णु पद

राय प्रधान, श्री अमर

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण

राव, श्री सी.एच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावत, श्री रामसागर

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रियान, श्री बाजू बन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.

लाहिड़ी, श्री समीक

बनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री राजेश
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वाडियार, श्री एस. डी. एन. आर.
विजयन, श्री ए. के. एस.
विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, डा. एस.
वेणुगोपाल, श्री डी.
वेत्रिसेलवन, श्री वी.
वैको, श्री
शर्मा, कैप्टन सतीश
शर्मा, श्री विष्णु दत्त
शशि कुमार, श्री
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत) डा. धनीराम
शान्ता कुमार, श्री
शाह, श्री मानवेन्द्र
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
शिंदे, श्री सुशील कुमार
शिवकुमार, श्री वी. एस.
शुक्ल, श्री श्यामा चरण
श्रीकांतप्पा, श्री डी. सी.
श्रीनिवासुलु, श्री कालवा
षणमुगम, श्री एन. टी.
संकेश्वर, श्री विजय
संखवार, श्री प्यारे लाल
संगमा, श्री पूर्णो ए.
सईद, श्री पी. एम.
सईदुज्जमा, श्री
सनदी, प्रो. आई. जी.
सर, श्री निखिलानन्द
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्रीमती सुशीला
सरोजा, डा. वी.
सांगतम, श्री के. ए.
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
सामन्तराय, श्री प्रभात
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
सिंह, श्री प्रभुनाथ
सिंह, श्री बलबीर
सिंह, श्री बृज भूषण
सिंह, श्री राजो
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री साहिब

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवंत

सिंह देव, श्री के. पी.

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.

सुधीरन, श्री वी. एम.

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी. एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाईं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

हक, मोहम्मद अनवारूल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 378

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार संशोधित रूप में अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में चर्चा कल की जाएगी।

अपराह्न 6.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 28 अक्टूबर, 1999/6 कार्तिक, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।